खण्ड-240, अंक-1
बुधवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(6 मार्च, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 240 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–'
प्रश्नोत्तर	५–३
प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति	३८–
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (सदन की मेज पर रखे गये) ..	
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (सामान्य लाभ के कार्यों तथा उपक्रमों में सहयोग) नियमावली, १९६३ (सदन की मेज पर रखी गयी)	३९–२
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों के चुनने की) नियमावली, १९६३ (सदन की मेज पर रखी गयी)	
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६३ (सदन की मेज पर रखी गयी)	
उत्तर प्रदेश पंचायत राज भूमि-प्रबन्धक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, १९६३ (सदन की मेज पर रखी गयी)	४०–४
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) नियमावली, १९६२ (सदन की मेज पर रखी गयी)	४
लखनऊ औद्योगिक प्रदर्शनी के विषय में मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में कथित गलत बयानी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४१–४
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४९–५
उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	५
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३९—परिवहन (स्वीकृत)	५०–'
अनुदान संख्या ४२—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते (स्वीकृत)	'
अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	९'
नत्थियां	९६–१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

R.A
4015

बुधवार, ६ मार्च, १९६३

132662

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०, १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६६

प्रक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० बख्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती

कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्न गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री

बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री

महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुरतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री

वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री

सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह. श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुस्सिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ६ मार्च, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद हाई कोर्ट का कार्य-क्षेत्र

**१—श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जूरिस्डिक्शन (Jurisdiction) से कई जिलों को निकाल कर हाई क्रोर्ट की लखनऊ बेंच के जूरिस्डिक्शन में लाने का निर्णय सरकार ने अभी हाल में लिया है? यदि हां, तो वे कौन-कौन से जिले हैं तथा ऐसा करने का क्या कारण है?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

जी नहीं।

प्रश्न का अगला भाग नहीं उठता।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मंत्री जी क्या इस पर विचार करेंगे कि मेरठ, आगरा, बुलन्दशहर, शाहजहांपुर, आदि जो दूर के जिले हैं उनको लखनऊ बेंच से मिला दिया जाय?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

आगरा वगैरा को तो लखनऊ लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि कुछ ऐसे जिले हैं कि जहां के लोग लखनऊ होकर इलाहाबाद जाते हैं। उधर के लोगों का कहना है कि अगर लखनऊ में बेंच बैठी है तो इन जिलों के केसेज की सुनवाई यहीं क्यों नहीं होती, ऐसी मांग आई है; लेकिन अभी इस पर कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

वह कौन से ऐसे जिले हैं कि जहां से यह मांग आई है कि उनको लखनऊ बेंच में कर दिया जाय?

श्री सैयद अली जहीर—

जिलों का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन रुहेलखण्ड, कुमायूं के लोग लखनऊ होकर इलाहाबाद जाते हैं, उधर के जिलों से ही मांग आई है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मेरठ डिवीजन के लोगों को इलाहाबाद जाने के लिये लखनऊ या दिल्ली होकर जाना पड़ता है। तो उन के केसेज को लखनऊ बेंच में ही न लगाने का क्या कारण है?

श्री सैयद अली जहीर—

कारण तो यह है कि वह इतने दिन से बराबर इलाहाबाद जाते रहे हैं और जा रहे हैं।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

क्या मंत्री जी अपने इस आश्वासन पर भविष्य में भी कायम रहेंगे कि यह जो प्रश्न उठाया जाता है कि दूरी के कारण कुछ जिलों को इलाहाबाद बेंच से लखनऊ में कर दिया जाय और इस विषय में जो ला कमीशन की निश्चित राय है कि इस तरह का कोई भी निर्णय न्याय और हाई कोर्ट की मर्यादा के लिये उचित न होगा, तो क्या वह ऐसे प्रश्न जो उठाये जाते हैं उन पर रीजनल इन्टरेस्ट को न देखकर न्याय मंत्री जी अपने आश्वासन का ध्यान रखेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

यह तो इतना लम्बा सवाल है कि मैं इसको समझा ही नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने पूछा है कि इन सब बातों का निर्णय करते वक्त वह आश्वासन का खयाल रखेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

जाहिर है कि रखेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बिक्री कर का बकाया

*१—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद शहरों पर सेल्स टैक्स का अलग-अलग कितना धन बकाया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

बिक्री-कर विभाग द्वारा रिकार्ड शहर वार नहीं बल्कि मण्डलवार (circle wise) रक्खे जाते हैं। अतः किसी शहर विशेष के संबंध में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है। वांछित मंडलों में जिनमें उपरोक्त शहर भी शामिल हैं १-१-६३ को बिक्री-कर की अवशेष धनराशि इस प्रकार थी:—

	रु०
कानपुर	२,४७,३६,९१६
आगरा	७६,८९,९६९
वाराणसी	२२,६६,६२६
मेरठ	२१,७७,५०९
लखनऊ	५१,२८,८६१
इलाहाबाद	४७,२१,३८५

श्री शिवेन्द्रप्रताप—

मंत्री जी बतायेंगे जो पूरी धनराशि ४ करोड़ २१ लाख के करीब बाकी है इसका कारण क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—

इस रकम में से १,०५,८७,४२७ रु० की रकम ऐसी है जिसकी वसूली या तो स्थगित कर दी गई है या जिसकी वसूली के लिये किस्तें कर दी गईं। २४,३३,८८३ रु० की धनराशि ऐसी है जो या तो वसूल होने के लायक नहीं है या ऐसे लोगों पर बकाया है जो दिवालिया हो गये हैं लेकिन उसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है। कुल बकाया में से उक्त दो धनराशियों को निकाल देने के बाद ३,३६,९९,९५६ रु० बाकी बचता है जिसमें से २,२७,७३,५३१ रु० की वसूली की कार्यवाही जारी कर दी गई और १,०९,२६,४२५ रु० की वसूली की कार्यवाही समय होने पर जारी की जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अभी मंत्री जी ने कहा करीब-करीब १ करोड़ से अधिक पया ऐसा है जो वसूल होने लायक नहीं है या तो वह दिवालिया हो गये या कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिन पर सेल्स टैक्स बाकी था उन्होंने अपना नाम बदल कर कह दिया कि दिवालिया हो गये, इस तरह से लोग बोगस फर्म बना लेते हैं, क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

कुछ गलतफहमी है। २४,३३,८८३ रु० ऐसा है जो या तो वसूल होने लायक नहीं है या जो दिवालिया हो गये हैं। उन पर कार्यवाही हो रही है, वसूली की कार्यवाही बन्द नहीं की गई।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पहली छमाही १५ अगस्त, १९६२ तक जो किस्त वसूल होती है, उसमें कानपुर में १ करोड़ ७६ लाख रुपया वसूल होना चाहिये था जिसमें से केवल २६ लाख रु० ही वसूल हुआ और वाराणसी में सिर्फ १२ लाख वसूल हुआ है तो कम वसूली होने का क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा—

इस रकम की सूचना हमारे पास नहीं है जो आपने बतायी। लेकिन वसूली की कार्यवाही हो रही है। जितना वह समझते हैं कि महज २५ फीसदी वसूल हुआ और ७५ फीसदी बाकी है यह गलत है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

हर व्यापारी से तिमाही एडवांस सेल्स टैक्स जमा कराया जाता है तो यह रकम तीसरे महीने जमा न होकर इस तरह हीप अप होती चली गई इसका क्या कारण है ? क्या सरकार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

तिमाही वह अपना रिटर्न दाखिल करते हैं और जितना वह अपने हिसाब से उचित समझते हैं उतनी रकम दाखिल करते रहते हैं। जो लोग दाखिल नहीं करते हैं उन पर टैक्स असेस किया जाता है और असेस करने के बाद उनको नोटिस दिया जाता है। एक महीने का मौका रहता है उसके बाद वसूली की कार्यवाही जारी की जाती है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मंत्री जी बतायेंगे कि यह रकम एक साल की है या कई सालों की ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो कुल बकाया है १९४८ से ले कर आज तक।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मंत्री जी बतायेंगे कि जिन फरमों ने सेल्स टैक्स अभी तक नहीं जमा किया है उनका असेसमेंट किया गया, या उनको किसी अधिकारी ने जा करके, असेस करके, उन पर सेल्स टैक्स लगाया और उन्होंने कोई आब्जेक्शन किया ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करके सदन की मेज पर एक रिपोर्ट रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

मैंने शुरू में ही कहा कि एसेसमेंट करते हैं एस० टी० ओज० और उसके मुताबिक कार्यवाही की जाती है। बीच में कोई दिवालिया हो गया या और कोई कार्यवाही उसने कर दी तब दूसरी बात है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने असेसमेंट किया, लेकिन कुछ लोग बीच में दिवालिया हो गये तो ऐसा तो नहीं है कि वे फर्म का नाम बदल कर दूसरी फर्म के नाम से काम कर रहे हैं ताकि उन्हें सेल्स टैक्स न देना पड़े और क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

एसेस करते हैं से आपका क्या मतलब है ? आपका प्रश्न क्लियर नहीं है ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

जैसा कि अभी बजट स्पीच के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा वह वसूली करने की सोच रहे हैं तो क्या सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वसूली दे दी है या देने की सोच रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

जिन रकमों की वसूली करनी होती है उनकी वसूली के लिये रेवेन्यू विभाग को दे दिया जाता है ।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

जिन पर सेल्स टैक्स का रुपया बकाया है क्या माननीय मंत्री उनका नाम अखबार में शाया करेंगे ताकि इस सदन के सदस्यगण ने जिन लोगों के नाम बतलाये हैं कि उन्होंने दीवाले की दरख्वास्त दे रखी है उनका भेद जो है वित्त मंत्री जी को लिख कर भेज सकें ?

श्री जयराम वर्मा—

वे नाम पूछे जायेंगे तो बतला दिये जायेंगे। वैसे अखबार में शाया करने की जरूरत मालूम नहीं पड़ती ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

१ करोड़ ७६ लाख में से सिर्फ २६ लाख रुपया वसूल हुआ है । तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिससे बकाया रकम वसूल होने को है उसमें कितने मिलमालिक हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

बकायेदारों की सूची तो पूछी नहीं गयी थी इसलिये वह लिस्ट मेरे पास नहीं है । अगर वह जानना चाहेंगे तो बता दूंगा ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने कि कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने सन् १९४८ से इस वक्त तक सेल्स टैक्स अदा नहीं किया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है और क्या उनकी प्रापर्टी का अटैचमेंट किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

हर एक के बारे में अलग-अलग बताया कि क्या कार्यवाही की गयी यह तो मुश्किल है, लेकिन वसूली की कार्यवाही हर आदमी के खिलाफ़ की जा रही है और सख्ती करने के आदेश बोर्ड आफ़ रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर, सब को दे दिये गये हैं और वसूल करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति जिनका मैं नाम ले रहा हूं और जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं श्री रामरतन गुप्त साहब, उनके ऊपर १५–१६ लाख रुपया सब मिला कर सेल्स टैक्स का बकाया है और क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा के उनके खिलाफ़ मूंदड़ा की तरह सख्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

श्री रामरतन गुप्त के खिलाफ़ कितनी बक़ाये की रक़म है यह तो मेरे पास सूचना नहीं है लेकिन उन्हीं के खिलाफ़ क्या सब के खिलाफ़ कार्यवाही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी रकम वसूल हो जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

इस जनतंत्रीय सरकार में इतना जबर्दस्त भेद भाव क्यों है ? पड़ोस में ही राजस्व मंत्री को पूछा जाय कि किसान को ३१ मार्च के पहले ही जेल में बन्द कर दिया जाता है वसूली के सिलसिले में और आप के विभाग में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसा भेदभाव क्यों है ?

श्री जयराम वर्मा—

वसूली की कार्यवाही तो की जा रही है। इंडस्ट्रीज के मामले में कुछ दूसरी स्थिति होती भी है। अगर बहुत सख्त कार्यवाही की जाय और फ़ैक्टरीज बन्द हो जायं तो मजदूरों को भी परेशानी हो जाती है। इसलिये उस को भी सामने रखना पड़ता है यद्यपि कार्यवाही करने में कुछ ढिलाई नहीं की जाती है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैं फिर प्रश्न करता हूं। इस जनतंत्रीय सरकार में इतना बड़ा भेद भाव क्यों है ? ३१ मार्च को राजस्व मंत्री तो किसानों को लगान की वसूली में पहले ही बन्द करा देते हैं तो आप अपने विभाग में ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

श्री जयराम वर्मा—

एक तो उनका यह कहना कि ३१ मार्च के पहले सब काश्तकार बन्द कर दिये जाते हैं सही नहीं है। (व्यवधान) दूसरे, इनके खिलाफ़ कार्यवाही नहीं की गयी, यह बात भी सही नहीं है। सब के खिलाफ़ कार्यवाही की गयी (व्यवधान—अनेक सदस्यों के खड़े हो कर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाइये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

कैसे बैठ जायं। वह ग़लत बयानी करते हैं और आप रोकते भी नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा—

इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय। एक ही जनतंत्र में इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको दो दफा मौका दिया। आपने सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, इसका जवाब दिलाया जाय। सूबे में सारे किसानों को गिरफ्तार किया जाता है,आपाधापी की जाती है। इससे ज्यादा और भेदभाव क्या हो सकता है? यह सरकार की शरारत है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से कोई काम नहीं चल सकता है। एक की जगह दस-दस आदमी खड़े हो जायं। इस तरह से शांति कायम नहीं रह सकती है।

श्री मैनेजरसिंह—

आप के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया है। आप आसन छोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आप को आगाह करता हूं कि आप बैठ जायं या आसन छोड़ दें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो सवाल किया उसका उन्होंने उत्तर दे दिया।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, प्रश्नों के घंटों में यह हालत होगी तो मुश्किल हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये कल्पनाथ जी, सरकार जो चाहेगी वह जवाब देगी। चेयर बदल नहीं सकती है। आप कहते हैं जवाब नहीं आया तो आपको एक मौका और दे दिया। फिर भी आप कहते हैं कि जवाब नहीं आया। (व्यवधान) आप दस-दस आदमी क्यों खड़े हैं?

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, हम दूसरा सवाल कर लें। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि १९४८ से १९६२ तक जो सेल्स टैक्स छोड़ रखा है वह इसलिये कि जो उद्योगपति समय-समय सरकार को चन्दा देते रहते हैं जैसे ५२, ५७ और ६२ में उन्होंने चन्दा दिया, और किसानों पर इसलिए बकाया नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि ये इनको वोट नहीं करते हैं और ये उद्योगपति चन्द्रभानु गुप्त जी की सरकार को करोड़ों रुपये देकर बनाये रखते हैं? यह मेरा सरकार के ऊपर चार्ज है।

श्री जयराम वर्मा—

उद्योगपति तो सभी पार्टीज को चन्दा देते हैं।

*२–३—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[२० मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर में दो हजार के करीब मजदूर बेकार हैं और स्वदेशी काटन मिल में कल से झगड़ा होने वाला है। मैंने कालिंग अटेंशन मोशन दिया था। आपने शार्ट नोटिस के लिये कहा। मैंने कह दिया तो उसको आर्डीनरी कर दिया और स्थगित कर दिया। मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि.....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कौन सा प्रश्न कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

मने उनको एलाऊ किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि नियम ५२ में यह आया था। मैंने शार्ट नोटिस में सवाल करने के लिये कहा था। उन्होंन शार्ट नोटिस में सवाल किया। इसमें काफी समय मिला फिर भी जवाब नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी कल जवाब दे दें क्योंकि इसमें इन्फारमेशन मंगानी नहीं है।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—

उपाध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आज देने में हम असमर्थ हुये। कारण इसका यह है कि श्रम मंत्री जी आज दिल्ली में हैं, और उन्होंने कल किसी प्रश्न को ले कर अपने विभाग के उच्चाधिकारियों को बुलाया है जिसमें हम कुछ फैसले लेना चाहते हैं। इसलिये हमने चाहा था कि अपना फैसला लेने के बाद इस प्रश्न के सिलसिले में उस फैसले को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दें। मुझे आशा है कि यूसुफ साहब, आप और सदन हमें इस बात की आज्ञा देंगे कि कल फैसलों को लेने के बाद ही उत्तर देने का मौका मिले।

श्री उपाध्यक्ष—

परसों जवाब दीजिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

परसों में आपत्ति नहीं है।

बहजोई क्षेत्र में चेचक की रोकथाम

*४—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्षेत्र बहजोई (जिला मुरादाबाद) में, जहां इस समय चेचक का अधिक प्रकोप हो रहा है, क्या स्वास्थ्य मंत्री शीघ्र से शीघ्र चेचक की रोकथाम का प्रबंध करेंगे?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—

क्षेत्र बहजोई, जिला मुरादाबाद में चेचक के टीके लगाने का कार्य बराबर जारी है, लेकिन इस क्षेत्र से चेचक के प्रकोप की कोई सूचना नहीं है।

मितव्ययिता

*५—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मितव्ययिता के किस-किस साधन का सरकार ने अवलम्बन करने का निश्चय किया है और उसकी कुल योजना से कितने धन की बचत की आशा है?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मितव्ययिता के लिये जो कार्यवाहियां विचाराधीन हैं वे इस प्रकार हैं—

(१) विभिन्न विभागों की कुछ योजनाओं को समाप्त या स्थगित और कुछ पदों को समाप्त करना।

(२) जहां संभव हो, विभिन्न योजनाओं के कार्यक्षेत्र को सीमित करना अथवा उनको इस प्रकार पुनस्संगठित करना कि उन पर होने वाले खर्चे में कमी हो सके।

(३) सरकारी भवनों की मरम्मत हर साल के बजाय हर दूसरे साल किया जाना।

(४) भत्ते और आकस्मिक व्यय के लिये निर्दिष्ट धनराशि में कटौती।

इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप अनुमानित १ करोड़ २५ लाख रुपये की बचत की आशा है।

साहू केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, वाराणसी में दुर्घटना

*६—श्री ऊदल, श्री कल्पनार्थसिंह, श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री रघुनार्थसिंह, (जिला वाराणसी), श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी), श्री झारखंडेराय, श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार को पता है कि सोडा ऐश फैक्टरी, वाराणसी में तारीख ७ फरवरी, १९६३ को विषाक्त गैस की वजह से तीन श्रमिकों की मृत्यु हो गयी और २५/३० के करीब मूर्छा अवस्था में लाकर शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में भर्ती किये गये? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और गैस कैसे फटी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

यह दुर्घटना साहू केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स, साहूपुरी, वाराणसी में हुई। इसमें ३ व्यक्ति मरे तथा २८ गैस से प्रभावित हुये। दुर्घटना seme watergas जिसमें कि carbon monoxide अधिक मात्रा में थी कि जेनरेटर (Generator) में जो कि प्रयोग में नहीं था और जिसके अन्दर कुछ श्रमिक कार्य कर रहे थे, अचानक प्रवेश पा जाने से घटित हुई। दुर्घटना के कारणों की अभी जांच की जा रही है।

*७—श्री ऊदल, श्री कल्पनार्थसिंह, श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री रघुनार्थसिंह, श्री गया प्रसाद, श्री झारखंडे राय, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो मजदूर मर गये उनके परिवारों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जिन मजदूरों की इस दुर्घटना म मृत्यु हुई उनके मुआवजे का रुपया फैक्ट्री ने जिलाधीश, वाराणसी के पास जमा कर दिया है। मृतकों के आश्रित कुटुम्ब की जांच की जा रही है। इस जांच के पूर्ण होने पर जिलाधीश द्वारा मुआवजे के रुपये का भुगतान कर दिया जायगा।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिलाधीश के पास फैक्टरी का कितना रुपया इन मृतकों के परिवारों को देने के लिए जमा किया गया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

६ हजार ९ सौ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि तीन श्रमिकों की मृत्यु हुई है और छः हजार रुपया बहुत कम है, तो क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोशिश होगी कि इनके परिवारों को और ज्यादा मुआवजा दिया जा सके क्योंकि उनके परिवारों को काफी तकलीफ हुई है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जो बेचारे मर गये हैं उनके लिए मुझे बड़ी तकलीफ है। उनके लिये छः हजार रुपये या दस हजार रुपये की रकम भी बहुत कम होगी, लेकिन हमारी सीमाएं बंधी हुई हैं, वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट से। उसमें जो मुआवजा निकलता है, वही दिया जा सकता है, और इसकी जांच हमने करवा ली है जितना अधिक से अधिक उसमें दिया जा सकता है दिया जायगा, उससे अधिक कानूनन हमारे पास सामर्थ्य नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जो २८ व्यक्ति घायल हैं उनमें कितने अधिकारी हैं और कितने निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं और सब से अधिक घायल व्यक्तियों के नाम क्या हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

२८ के २८ श्रमिक हैं और अफसर कोई नहीं है। जहां तक मरने वालों का सम्बन्ध है, मरने वालों की सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन यह सब लोग मानते हैं कि उनकी संख्या २८ है। यूनियन भी मानती है और मालिकों तथा जिलाधीश ने भी यही सूचना दी है। २८ में १२ आदमी ऐसे हैं जो दूसरे दिन अच्छे हो गये और काम पर चले गये। बाकी जो लोग थे वह भी अच्छे हो कर वापस आ गये हैं।

श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि जहां दुर्घटना हुई है वहां दुर्घटना अक्सर होती रहती है उसको बचाने के लिये पहले से कोई दूसरे बचाव के साधन नहीं उपस्थित किये गये थे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग का तो मैं यह उत्तर दूंगा कि मुझे इसका अफसोस है कि इस फैक्टरी में एक बार पहले भी अमोनिया गैस के लीक होने से एक दुर्घटना हुई थी और एक श्रमिक का प्राणान्त हुआ था। फिर इस मर्तबा कार्बन मोनोआक्सोइड निकलने की वजह से, जनरेटर में घुसने से, जो खाली था, अब की से फिर ऐसा हुआ, यद्यपि जिस तारीख को यह दुर्घटना हुई उस तारीख को डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर फैक्टरीज वाराणसी में थे, और उन्होंने स्वयं मौके पर जा कर देखा। फैक्ट्री ने भी अपनी तरफ से तीन आदमियों की एक समिति बनायी है जिसमें बनारस विश्वविद्यालय के केमिकल डिपार्टमेन्ट के हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट, डाक्टर पाठक, उनके इंजीनियर श्री एस० एन० जैन और एक जर्मन और हैं, इन तीन आदमियों की एक कमेटी उसने बनायी, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आयेगी। लेकिन मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमें इस दुर्घटना से बड़ी तकलीफ हुई है और हम इसके सारे मामले की अपने चीफ इंस्पेक्टर फैक्टरीज द्वारा फिर से चेकिंग करायेंगे कि सेफ्टी प्रिकाशंस ठीक हैं या नहीं, और लीकेज वगैरह या दुर्घटना न होने पाये, इसके लिये यथासम्भव प्रयत्न करेंगे।

श्री उमाशंकर तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि जहां दुर्घटना हुई है वहां अक्सर दुर्घटना होती रहती है, तो फैक्ट्री ने वहां दुर्घटना, जो अक्सर होती है, उससे बचाव के साधन वहाँ रखे थे या नहीं रखे थे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैंने चेष्टा की थी उसी प्रश्न का उत्तर देने की। एक ही स्थान पर दुर्घटना नहीं हुई, स्थान तो भिन्न-भिन्न हैं। लेकिन एक कारखाने में दो प्रकार की गैस के निकल जाने से दो बार दुर्घटना हो जाना दो वर्ष के अन्दर, यह न तो उस कारखाने के लिए शोभा की बात है और न किसी के लिए भी अच्छी बात है। तो मैंने इसीलिए निवेदन किया था कि एक्सपर्ट कमेटी की जांच रिपोर्ट आ जाय.....(व्यवधान) अगर थोड़ा सा सब्र करेंगे मेरे मित्र तो मैं उनकी बात का उत्तर दे दूंगा। जहां तक दुर्घटना से बचाव का सम्बन्ध है फैक्ट्री ऐक्ट में लिखा हुआ है कि प्रभावात्मक इन्तजाम उसका रहेगा। अब वह कहते हैं कि प्रभावात्मक इन्तजाम क्या है इसका कोई विश्लेषण हो नहीं सकता है, उस वक्त उनके कहने के मुताबिक प्रभावात्मक इन्तजाम था, लेकिन मैं, जब तक उनकी जांच की रिपोर्ट न आ जाय उनको यह सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि ऐसा इन्तजाम वहां था। मुझे आप क्षमा करेंगे उस समय तक के लिए जब तक कि इसकी जांच पूरी न हो जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां के मजदूरों ने इस जेनरेटर के बारे में खास जहां दुर्घटना हुई है और पहले भी हो चुकी है, इसके बारे में सरकार को और फैक्ट्री को लिख कर भेजा था कि यह स्थान ऐसा है कि जहां मजदूर काम नहीं कर सकते हैं और इसके लिए प्रोटेक्टिव

मेजर्स अख्तियार किये जायं, लेकिन उसके बावजूद भी फैक्ट्री ने यह प्रोटेक्टिव मेजर्स अख्तियार नहीं किये ? तो क्या सरकार जांच रपट आने के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जहां तक मेरी याददाश्त साथ देती है हमारे पास यूनियन की तरफ से या किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से ऐसा पत्र नहीं आया, हमारे चीफ इंसपेक्टर के पास आया हो तो उसे मैं देख लूंगा। लेकिन जहां तक यह बात है कि जांच के फलस्वरूप फैक्ट्री के किसी अफसर की गलती पायी गई तो मैं आदरणीय सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो २८ व्यक्ति घायल हुए हैं उन में किसी व्यक्ति का अंग-भंग भी हुआ है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर,उसमें अंग भंग होने का सवाल नहीं था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर उसका असर पड़ता है। कोई अंग भंग नहीं हुआ।

श्री रघुनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फैक्ट्री में श्रमिकों के भविष्य को ध्यान में रख कर बीमा योजना लागू की गई है ? यदि हां, तो मृतकों के परिवार को कितनी रकम प्राप्त होगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं कि उन सब नियमों और कानूनों के अन्तर्गत जो कि वहां लागू हैं और जिसमें बीमा योजना भी है, ६,९०० रु० तीनों का बनता था, वह ६,९०० रुपया तीनों का जिलाधीश वाराणसी के पास जमा है। सक्सेशन सर्टिफिकेट ज्योंही उन के परिवार के लोग ले लेंगे वह उनको दे दिया जायगा।

श्री गयाप्रसाद—

कोई भी दुर्घटना होती है, चाहे कितनी ही बड़ी दुर्घटना हो जाय, सरकार की तरफ से एक जांच कमेटी बना दी जाती है और साल छः महीने में रिपोर्ट आती है, तो इस सम्बन्ध में मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद जो कि ७ फरवरी, सन् १९६३ को हुई है क्या अब तक उसकी जांच नहीं करायी जा सकती थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि अगर उधर के बैठे लोगों को ऐसा लगे कि हमने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की; लेकिन मैं अपने मित्र से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक दुर्घटना के दिन डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर आफ फैक्टरीज, जो फैक्टरी ऐक्ट के मातहत देखरेख करने के सूबे के नम्बर के २ के अधिकारी हैं, उसने इसमें जांच की और कुछ रोज बाद फिर जांच की और पूरी जांच की रिपोर्ट हमारे पास भेजी परन्तु एक एक्सपर्ट कमेटी उस फैक्टरी ने खुद बिठाई है जिसमें दो एमिनेन्ट साइन्टिस्ट हैं। एक तो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के साइन्टिस्ट हैं और एक जर्मन हैं और एक उस फैक्टरी का अपना आदमी है। मैं नहीं कहता कि वह रिपोर्ट क्या होगी लेकिन उनकी रिपोर्ट आने के बाद हम अपनी जांच को फाइनल रूप देंगे।

खड्डा चीनी मिल में वेज बोर्ड की सिफारिशों का पालन न होना

*८—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि खड्डा चीनी मिल, देवरिया के प्रबंधकों ने २७ अप्रैल, १९६१ के गजट के अनुसार वेज बोर्ड की सालाना वृद्धि की बात तथा मजदूर संघ से हुये समझौते, दिनांक १५ जनवरी, १९६० तथा ३० अप्रैल, १९६२ का भी पालन नहीं किया है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

खड्डा चीनी मिल, देवरिया के प्रबंधकों ने सरकारी आदेश, दिनांक २७-४-६१ के अनुसार चीनी वेतन मंडल के सिफारिशों के अन्तर्गत १-११-६२ से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी है इसका कारण विषम आर्थिक परिस्थिति है ।

१५-१-६० को कोई समझौता नहीं हुआ था । २५-१-६० तथा ३०-४-६२ को हुये समझौतों का पूर्णतया पालन नहीं हुआ है । इस सब का कारण कारखाने की आर्थिक परिस्थिति तथा बैंक द्वारा उचित प्रबंध न होना है ।

*९—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या यह सही है कि उक्त मिल ने प्राविडेंट फंड का रुपया जुलाई, १९६२ ई० से जमा नहीं किया है और आर्बिट्रेशन अवार्ड, १/६० तथा ४/६१ का भी पालन नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जी हां । प्राविडेंट फंड के रुपये के लिये इम्प्लाइज प्राविडेंट फंड ऐक्ट, १९५२ की धारा ८ के अन्तर्गत रुपया वसूल करने की कार्यवाही करने का नोटिस दिया गया है ।

आर्बिट्रेशन अवार्ड के प्रतिपालन के सम्बन्ध में सम्बन्धित यूनियनों को परामर्श दे दिया गया है कि श्रमिक अपने आवेदन पत्र रुपया वसूली हेतु नियमानुसार भेज दें ।

*१०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या यह सही है कि करीब सत्तर हजार रुपया कर्मचारियों के रिटेंनिग का कर्मचारियों को नहीं मिला है? यदि हां, तो सरकार इस पर कौन सी कार्यवाही कर रही है और मजदूरों का असन्तोष दूर करने तथा उनका हक दिलाने की कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

यह सही है कि श्रमिकों को केवल १९६२ की बन्दी का रिटेंनिग एलाउन्स नहीं मिला है । इस मिल की रीति के अनुसार उसका भुगतान १९६२–६३ की पेराई ऋतु के समाप्त होने पर किया जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जिन फैक्ट्रियों की आर्थिक स्थिति खराब है और वे सरकारी आदेश का पालन नहीं कर रही हैं तो सरकारी आदेश पालन कराने के लिये सरकार कौन सा कदम उठा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जहां तक रुपये की वसूली का सम्बन्ध है उसे हम एरियर आफ लैन्ड रेवेन्यू, जैसे मालगुजारी वसूल होती है उसके मुताबिक डी० एम० से सर्टिफिकेट ईशू कराने की चेष्टा कर रहे हैं जिसके लिये हमने कहा कि श्रमिक नियमानुसार प्रार्थना-पत्र दे दे ताकि उसकी वसूली नियमानुसार हो सके । जहां तक और कार्यवाही का सम्बन्ध है, अगर हमारी इस कार्यवाही के बाद सफलता नहीं मिले तो दूसरी कार्यवाही के लिये उद्योग विभाग और श्रम विभाग को विचार करना पड़ेगा कि क्या किया जाय और उसकी व्यवस्था कैसे चलाई जाय ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि १५–१–६० और ३०–४–६२ के समझौते का पूर्णतः पालन नहीं हुआ है ऐसा सरकार ने स्वीकार किया है तो इन फैसलों के पालन का कौन सा ऐसा तरीका सरकार के पास है जिसके अन्तर्गत यह फैसला सरकार पालन कराने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, श्रम विभाग ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि मालिकों से बातचीत करके वसूली करें और अगर न हो सके तो नियमानुसार उसकी वसूली करें । अगर बीच कोई रह जाय तो दूसरी उन पर कार्यवाही करें जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में कानून को भंग करने के लिये दी गई हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह प्राविडेंट फंड का ७० हजार रुपया वसूल हुआ है। यह रुपया जमा किया गया है या नहीं बैंक में; और अगर जमा नहीं किया गया है तो सरकार इसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, वह तरीका मैंने अभी उत्तर में कहा है। जिलाधीश को यह आदेश कर दिये गये हैं कि वह रुपया एरियर लैन्ड रेविन्यू की तरह से वसूल कर लें। इसके लिये कुर्की या नीलाम का जो भी रास्ता निकलेगा वह सब किया जायगा। उन्होंने रुपया लेकर खर्च कर दिया है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता था कि क्या उस फैक्टरी ने कर्मचारियों का ७० हजार रुपया प्राविडेंट फंड का वसूल किया और उसको बैंक में जमा नहीं किया, बल्कि उस रुपये को अपने काम में इस्तेमाल कर लिया गया। तो सरकार उसके खिलाफ कौन-सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, उस फैक्टरी ने यह गलती की है और उसका एक ही तरीका है कि हम उस रुपये की वसूली का प्रबंध करें। साथ ही साथ यह भी फैक्टरी को चेतावनी दे दी गई है कि भविष्य में यदि ऐसा किया गया तो उसके खिलाफ दूसरी कार्यवाही करनी पड़ेगी। उसके लिये जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं कि वह एरियर वसूल कर ले।

श्री रक्षपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो वर्तमान नियम एवार्ड स के इम्प्लीमेन्टेशन के लिये और समझौतों के लिये बने हैं, उनमें कोई अवधि की नहीं रहती। उसका दुरुपयोग करते हुये अधिकारी तथा अन्य लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो केन्द्रीय सरकार का जो प्रोसीज्योर है, उसमें प्रभावकारी रूप से कोई कार्यवाही की जायगी। क्या उसकी व्यवस्था करने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, मैं इतनी व्यापक पालिसी का जहां तक सवाल है, उस पर कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं क्योंकि केन्द्रीय सरकार के प्राविडेंट फंड ऐक्ट में प्रदेशीय सरकार की तरमीम का कोई सवाल नहीं आता है। परन्तु इतना कहना चहता हूं कि हमारा विभाग इस प्राविडेंट फंड के मामले में, उन रकमों के लिये सख्त से सख्त तरीके से उनकी वसूली के लिये कार्यवाही करेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी प्रदेश में जो इम्प्लायर चीनी मिल मालिकों की कांफ्रेंस हुई थी, उसमें माननीय गुप्ताजी ने कार्लटन होटल में भाषण दिया था। वहां यह चीज भी रखी थी कि आज जो मिलों के ऊपर बकाया है, वह भी मिल मालिक नहीं दे पाते हैं, किसानों का जो बकाया रहता है, वह भी नहीं दे पाते हैं और जो मजदूरों के वेज बोर्ड का इम्प्लीमेन्टेशन है, वह भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुय कि यह रवैया मिल मालिकों का सरकार से असहयोग करने का है, क्या वे इस बात पर विचार करेंगे कि मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और सरकार उनको अपने हाथ में ले ले ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

श्रीमन्, जहां तक मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, वह तो प्रदेशीय सरकार से सम्बन्ध नहीं रखता है और उसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में अभी जो अपनी नीतियां बना रखी हैं, उनके तहत मिलों का राष्ट्रीयकरण करना इस अवसर पर संभव नहीं है और इसलिये उसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रघुनाथसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस खड्डा चीनी मिल के प्रबंधकों की यह धांधली सरकार को पहले से ही मालूम थी या माननीय सदस्य के प्रश्न करने पर मालूम हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

श्रीमन्, इसमें आप देखें कि प्राविडेंट फंड कमिश्नर जो कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आता है और जिसका कि दफ्तर कानपुर में है, वह इसकी वसूली करता है। जब उनसे नहीं होती है, तो वह प्रदेशीय सरकार को इसकी सूचना देते हैं। फिर हम अपने जिलाधीश को आदेश देते हैं और उनकी तरफ से डिमांड चली जाती है और उसकी वसूली हो जाती है। यदि वसूली नहीं हो पाती है तो प्राविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आता है, उनके कहने पर जिलाधीश वह करता है। इसलिये हमें तो तभी मालूम होता है जब कोई ऐसी सूचना हमारे पास आती है।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतानें की कृपा करेंगे कि इस मिल की रीति का भुगतान १९६२-६३ के सीजन के बाद किया जायगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रीति सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई है या उसका कोई पहले से प्राविजन है ? अगर है तो ५८-५९, ५९-६०, ६०-६१ में कर्मचारियों को रिटेंनिग किस प्रकार से दी गई है बस मैं यही जानना चाहता हूं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

श्रीमन्, इस वक्त मेरे पास ५८-५९, ५९-६०, ६०-६१ की डिटेल्स नहीं हैं। परन्तु सरकार ने इस बात को मंजूर कर लिया है और मैं उनको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि खड्डा की जहां तक बात है उसमें कुछ हम ने स्वयं स्वीकार नहीं किया। लेकिन दिक्कत और कठिनाइयां जो वहां की हैं, उनको देखते हुये उसे किसी न किसी तरह से चलाने की कोशिश में हैं और फिर भी न चले तो दुर्भाग्य है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

इस बात को देखते हुये कि खड्डा मिल में जब केन्द्रीय सरकार के प्रबंधक खुद थे तो उस समय मजदूरों और किसानों की दिक्कतों की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती थी, लेकिन जब से फिर प्राइवेट लोगों के हाथ में गयी तो फिर फैक्टरी की माली हालत खराब होनी शुरू हुई और तमाम घटनायें हुईं, तो क्या मंत्री जी फिर केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करेंगे कि उस की हालत को देखते हुये केन्द्रीय सरकार फिर उसे अपने हाथ में ले ले ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह---

चूंकि चीनी का उत्पादन प्रदेश में घट रहा है और चीनी मिल की हालत खराब है तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगी कि उसे अपने हाथ में ले ले ताकि मजदूरों को और किसानों को हड़ताल करने का अवसर न मिले ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अभी तो इस फैक्टरी को सरकार द्वारा ले लेने का प्रश्न मेरे सामने आया नहीं है, इसलिये इसका उत्तर मैं "हां" में और "न" में देने में इस अवसर पर असमर्थ हूं।

*११-१२-श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़), श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर), राजा अवधेशप्रतापसिंह (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

उन्नाव जिले में सहकारी कृषि समितियां

*१—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में सहकारी कृषि के अन्तर्गत अग्रगामी योजना में कौन-कौन समितियां सम्मिलित हैं और उनमें से कौन-कौन सी कार्य कर रही हैं और कौन नहीं ? और प्रत्येक को कितना-कितना अनुदान या कर्जा अब तक दिया जा चुका है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

सूचना संलग्न सूची में दी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९६ पर)

*२—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त अग्रगामी योजना के अधीन समितियों का कोई प्रतिनिधि गत अक्तूबर व नवम्बर, १९६२ में भारत भ्रमण के लिये भेजा गया था ? यदि हां, तो वह किस समिति से सम्बन्धित था और उसके ऊपर कितना धन व्यय किया गया और किस-किस रूप में ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

जी हां, नवम्बर १९६२ में सुभाष कृषि समिति लि०, मकूर का एक प्रतिनिधि सहकारी कृषि शैक्षिक भ्रमण में गया था उसके इस भ्रमण पर सरकार की ओर से २०० रु० यात्रा व्यय के रूप में खर्च हुआ ।

लखनी मूबारकपूर के किसानों को लोहे का हल न मिलने की शिकायत

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री १७ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में बांड भरने वाले व्यक्तियों को हल फरवरी, १९६१ में क्यों दिये गये ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—

इसका मुख्य कारण यह था कि सम्बन्धित व्यक्तियों ने स्वयं ३०-१-१९६१ तक स्थिति की कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी । काश्तकारों का परमिट गायब हो गया था और इसकी सूचना उन्होंने फौरन नहीं दी ।

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल चाहने वाले व्यक्तियों से हल की कीमत का सूद लिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

हल की कीमत पर नहीं, वरन् हल के लिये दिये गये ऋण पर सूद अवश्य लिया गया है । सूद की राशि प्रति काश्तकार प्रति हल ४ रु० ३८ नये पैसे है ।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के अनियमित कार्य करने वाले कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

सम्बन्धित पंचायत मंत्री को उनकी इस असावधानी के लिये क्षेत्रीय समिति, घोषी ने चेतावनी दी है कि पंचायत मंत्री ने यह नहीं बताया कि काश्तकारों का परमिट गायब हो गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

सवाल ५ का जो उत्तर दिया गया है उसमें है कि काश्तकारों की परमिट गायब हो जाने की सूचना पंचायत मंत्री ने दी और सवाल ३-४ के उत्तर में दिया गया है कि परमिट गायब हो जाने की सूचना काश्तकारों ने नहीं दिया, तो दोनों में कौन सही है ? जब काश्तकारों को परमिट मिला नहीं तो कैसे उनको मालूम हो कि हमारा परमिट गायब हुआ या नहीं और पंचायत मंत्री ने ही खुद गायब कर दिया। तथ्य यह है कि बांड भर दिया गया और ऋण मिलने लगा और जब वसूल हुआ सन् ६१ में तब उनको मालूम हुआ कि हमारा भी ऋण है और उन्होंने लाग-डांट की। रुपया मिला, हल नहीं मिला और सूद ३.३८ रुपया लगा दिया गया। तो मंत्री जी इसकी जानकारी करायें कि जो सूद गलत तरीके से लिया जा रहा है और साथ ही जिस अधिकारी ने, कर्मचारी ने इस प्रकार के कामों को किया है, उसको दंड मिले ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अर्ज करूंगा कि इतना लम्बा सवाल और इतनी व्याख्या के साथ में नहीं होना चाहिये।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

जब बान्ड भर लिया जाता है तो उसी वक्त परमिट दे दिया जाता है, लेकिन किसी गलती से वह परमिट गायब हो गया। बाद में जब पंचायत मंत्री से पूछा गया तो उसने यह गलती स्वीकार की। क्षेत्र समिति ने अपनी मीटिंग में उस पर विचार किया और उसको चेतावनी देने का प्रस्ताव किया। अब आइन्दा के लिये नया परमिट दे दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जब किसानों को नकद ऋण नहीं दिया जा सका और उनको परमिट भी नहीं दिया गया तो उस रकम पर सूद क्यों लिया जा रहा है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

इसकी सूचना मैं फिर से दे दूंगा। लेकिन जब से रुपया दिया गया है तभी से वह वसूल होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। रुपया उनको मिला नहीं, यह स्पष्ट है। परमिट भी गायब कर दिया गया। फिर सूद क्यों लिया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

उत्तर मैं दे दूं। नियमों के अनुसार बान्ड भरने के बाद परमिट ईशू होता है। जब परमिट नहीं मिला तो उनको चाहिये था कि वे शिकायत करते। लेकिन न जानकारी की वजह से किसानों ने शिकायत नहीं की। ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर जब गये तो उन्हें पता चला कि अमुक सामान नहीं गया और उस पर फिर जांच-पड़ताल हुई। अब सूद का नियम यह है कि जिस तारीख से लेन-देन पर हस्ताक्षर होते हैं उसी तारीख से रुपया वाजिब हो जाता है और ट्रान्जेक्शन जिस दिन कम्पलीट होता है उसी दिन से सूद लिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

किसानों से यह कह दिया गया कि तुम्हारी दरख्वास्त नामंजूर हो गयी। इसलिये वे चुपचाप बैठ गये। उन्हें कर्जे के सम्बन्ध में भी जब उसकी वसूली हुई तब पता चला। तो उसके बाद जो सूद लिया जा रहा है उसको क्या सरकार रोकने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

यह जो वहां की क्षेत्र समिति है उसके सामने यह प्रश्न आया था। उस समिति में उसकी निन्दा की गयी, और जो चेतावनी देने का प्रस्ताव वहां पास किया गया, उसके अनुसार चेतावनी भी सम्बन्धित व्यक्ति को दे दी गयी। अब वे कुछ और सुझाव देते तो हम उसे करते। क्षेत्र समिति तो संतुष्ट है, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

जब तक किसानों को पैसा मिला नहीं, तब तक कांट्रैक्ट पूरा कैसे हो गया और फिर जिसको पैसा मिला नहीं, उससे सूद कैसे वसूल किया जा रहा है और वह किस कानून से वसूल किया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मैं जवाब लम्बा नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। किसी नगरपालिका को वाटरवर्क्स बनाने के लिये सरकार ने रुपया दिया। एल० एस० जी० ई० डी० सरकार का है जिसने बनाने में देर कर दी। लेकिन सूद नगरपालिका पर चढ़ता जाता है। आज आपके नियम यही हैं। आज के नियम के मुताबिक कांट्रैक्ट उस समय कम्प्लीट माना जायगा जबकि बांड पर दस्तखत हो जावें। अगर सामान के लेन-देन के सम्बन्ध में देर है तो वह दूसरी बात है। २५ किसानों का सामान लाकर पंचायत मंत्री दे, तो यह किसानों को सुविधाजनक होता है। पहले वह जिसके लिये कुछ देना न हो राजा-महाराजाओं के समय में प्रभुसेवा कही जाती थी। तो पंचायत मंत्री प्रभुसेवा करता है।

जिला परिषद्, गोरखपुर की आडिट रिपोर्ट

*६--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् गोरखपुर १९५९-६० के आडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने आपत्तियां तथा टिप्पणियां की हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

सन् १९५९-६० के लेखेक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट २८ प्रस्तरों में आडिट आपत्तियां की गई हैं। यह आपत्तियां सामान्य ढंग की हैं। आडिट रिपोर्ट में कोई गम्भीर आरोप नहीं हैं जैसे कि गबन, अधिभार तथा शासकीय अनुदानों का दुरुपयोग किया जाना। विशेष जानकारी के लिये सदस्य महोदय किसी दिन भी मेरे कार्यालय में आडिट रिपोर्ट देख सकते हैं।

*७--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या आडिट रिपोर्ट की कोई प्रति जो परिषद् के समक्ष १६ जनवरी, १९६३ को एजेन्डा नम्बर ६ पर स्वीकृति हेतु रखी गयी थी, परिषद् के सदस्यों के बीच वितरित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय--

१९५९-६० लेखेक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदस्यों को नहीं दी गई थी। क्योंकि निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदस्यों को देने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिस दिन आडिट रिपोर्ट के बारे में उस जिला परिषद् में बहस होने वाली थी उस दिन मैंने यह आब्जैक्शन किया था और वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने मुझे लिखित दिया कि आप जा कर उस सारी रिपोर्ट के बारे में जांच-पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कापी नहीं दी गई, चूंकि उसमें एक व्यक्ति विशेष के बारे में, जो ठेके का काम करते हैं, कुछ संकेत किया गया था ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह मीटिंग पहले १६ जनवरी को हुई। उसके पहले भी यह मीटिंग निश्चित थी दिसम्बर के महीने में और उस दिन एजेंडा के आइटम्स समाप्त न होने से १६ जनवरी के एजेंडे पर ६ नम्बर पर वह आइटम था। यह उसमें सूचना दे दी गई थी कि पूर्व सूचना सदस्यों को दे दी गई है कि वे परिषद् के कार्यालय में जाकर उस आडिट रिपोर्ट को देख सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

२७ दिसम्बर की मीटिंग, जिस दिन माननीय नवल किशोर जी जिला परिषद् के सदस्यों को एड्रेस किये हैं उस दिन की बात वह कह रहे हैं। उस दिन भी सचिव महोदय से मैंने खुद आबजेक्शन किया था कि यह एजेन्डे में दे दिया गया है लेकिन आडिट रिपोर्ट की कोई प्रतिलिपि नहीं दी गई। चाहे म्युनिसिपल बोर्ड हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो या असेम्बली हो, नियमों में यह है कि आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपियां मेम्बरों को दी जाती हैं और उसकी बहस के लिये एक दिन निश्चित किया जाता है। माननीय मंत्री जी किस नियम के मुताबिक कह रहे हैं कि आडिट रिपोर्ट की कापी सदस्यों को नहीं दी जा सकती ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिला परिषद् ऐक्ट में कहीं भी प्राविधान नहीं है कि आडिट रिपोर्ट की कापियां सदस्यों को पहले ही से वितरित की जावें, न ऐसा परिषद् का प्रस्ताव ही है। माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में आकर आडिट रिपोर्ट को देख सकते हैं।

देवरिया जिले में सहकारी बैंकों से ऋण लेने पर खाद लेने का प्रतिबन्ध

*८--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या देवरिया जिला के सभी विकास क्षेत्रों में सहकारी बैंक द्वारा जो कर्जे दिये जाते हैं उनमें कुछ प्रति शत रुपयों का खाद लेना अनिवार्य है ? यदि हां, तो किस प्रति शत से ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

जी नहीं।

*९--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या यह सच है कि जो सदस्य खाद न लेना चाहे तो उसे कर्ज नहीं मिल सकता है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो अनिवार्य खाद देने के क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी नहीं।

*१०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

१ जनवरी, १९६२ से १ जनवरी, १९६३ तक उपरोक्त बातों के सम्बन्ध में देवरिया जनपद में क्षेत्रवाइज कितनी शिकायतें मिली हैं तथा उन पर क्या कार्यवाहियां हुई ? क्या उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं--एक नौरंगिया ब्लाक से तथा दसरी रुद्रपुर ब्लाक से। दोनों शिकायतें अभी जिले के विभागीय अधिकारियों की जांच में हैं। शिकायतों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९७-९८ पर)

मुरादाबाद में जाली फार्मेसी, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में आपरेशन

*११--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि तारीख ११ जुलाई, १९६२ को डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ को कोई दरख्वास्त मिली जो पुलिस रामपुर ने तारीख १० सितम्बर, १९६२ को श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त के पास जाली फार्मेसी और कम्पाउन्डरी का लाइसेंस रखने के बारे में की थी ? यदि हां, तो उस जांच पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

नोट---तारांकित प्रश्न ६-७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१२---श्री रियासत हुसैन---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल मुरादाबाद में पहली जनवरी, १९६२ के बाद कुल कितने मरीजों का आपरेशन हुआ और उनमें से कितने स्पेशल वार्ड के थे और कितने जनरल वार्ड के थे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

इस अस्पताल में पहली जनवरी, १९६२ के बाद, यानी २ जनवरी, १९६२ से १ फरवरी, सन् १९६३ तक, कुल २,२७८ रोगियों के आपरेशन हुये , जिनमें ३१ प्राइवेट वार्ड के थे और २,२४७ जनरल वार्ड के ।

कानपुर जिले में सहायक विकास अधिकारी का दौरा

*१३---श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत १ जुलाई, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक प्रत्येक सहायक विकास खंड अधिकारी ने प्रति मास किन-किन ग्रामों का दौरा किया और किन-किन ग्रामों में रात्रि का विश्राम किया तथा प्रति मास कितना भत्ता प्राप्त हुआ ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

वांछित सूचना† माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

खन्दवा हरिजन आश्रम में अपव्यय की शिकायत

*१४---श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---

क्या यह सही है कि जिला बलिया के अन्तर्गत खन्दवा हरिजन आश्रम के लिये अन्यान्य मदों में सरकार से एक बड़ी रकम ली गयी है और आश्रम द्वारा ली गयी रकमों के अपव्यय के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने प्रार्थना-पत्र भी दिया, जिसकी जांच हो रही है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य कौन-कौन से आरोप हैं और जांच में क्यों बिलम्ब हो रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव सभा कठिरांव को भट्ठे के लिए ऋण

*१५---श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कठिराव गांव सभा, तहसील व जिला वाराणसी, में एक इंटे का भट्ठा गांव समाज की तरफ से सन् १९६१ से चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो गांव समाज को इस कार्य के लिये ब्लाक से या नियोजन विभाग या किसी विभाग से कितने रुपये का कर्जा या अनुदान दिया गया है और उस रुपये में से अब तक कितना वसूल हुआ ? कर्जे के एवज में क्या कोई जमानत भी ली गयी है ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी--

गांव समाज कठिरांव को नहीं बल्कि गांव सभा कठिरांव को ईंट का भट्ठा चलाने के लिये निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश द्वारा दिसम्बर १९६१ में ८,००० रु० का ऋण स्वीकृत किया गया था। यह धनराशि गांव सभा को २५ जनवरी, १९६२ को दी गई और ऋण की वसूली वार्षिक किस्तों में देय होने से पहली किस्त २५ जनवरी, १९६३ को वसूल होनी चाहिये। अभी इस ऋण में से कुछ भी वसूल नहीं हुआ है क्योंकि किस्त की नियत तिथि से आगे ९० दिन का रियायती समय (grace pericd) भी दिया जाता है कि जिसके अन्तर्गत रकम जमा हो जानी चाहिये। ऐसे ऋण के एवज में कोई जमानत नहीं ली जाती; केवल एक आश्वासन पत्र भरा लिया जाता है।

गांव पंचायत बरईगढ़ में अनियमितता

*१६--श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५९ और ६० में गांव पंचायत बरईगढ़, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर, के सदस्यों एवं निवासियों ने गांव पंचायत बरईगढ़ के सभापति द्वारा अनियमित कार्य कर के गांव पंचायत को क्षति पहुंचाने के बारे में कई प्रार्थना-पत्र सम्बंधित जिला अधिकारियों को जांच कराने हेतु दिये थे जिनकी जांच तहसील तथा एस० डी० एम, घाटमपुर द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या थी और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां।

शिकायती प्रार्थना पत्रों की प्रारम्भिक जांच तहसीलदार घाटमपुर ने की इनके सही पाये जाने के फलस्वरुप परगनाधीश द्वारा गांव पंचायत के प्रधान, श्री राम नारायण गुप्त के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। जब यह कार्यवाही निर्णय के निकट पहुंची तब श्री गुप्त ने अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत कर दिया जो स्वीकार कर लिया गया।

*१७--श्री ज्वालाप्रसाद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गांव पंचायत, बरईगढ़, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर, के हिसाब का पिछले ६ वर्षों से कोई आडिट हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार आडिट कराने की व्यवस्था करने पर शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

गांव पंचायत बरईगढ़ के हिसाब का वित्तीय वर्ष १९५८-५९ का आडिट जून १९६० में हुआ था।

अतरौलिया विकास खण्ड के हिसाब में गड़बड़ी

*१८--श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विकास खंड के हिसाब में से अभी हाल ही में ३० हजार रुपये की कमी पायी गयी है और फलस्वरुप कुछ व्यक्ति गिरफ्तार गिये गये हैं ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखा जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

बलिया जिले के विकास खण्डों में हरिजनों के प्रार्थना-पत्र

*१९--श्री गंगाप्रसाद सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले के विकास खण्डों के कार्यालयों में हरिजनों द्वारा कुओं एवं गृह निर्माण के विशेष संख्या में प्रार्थना पत्र काफी अर्से से दिये गये हैं और उन पर अभी तक उचित कार्यवाही नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो बिलम्ब का कारण क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२०--श्री गंगाप्रसाद सिंह--

क्या यह सही है कि कुछ हरिजनों के प्रार्थना-पत्र स्वीकृत भी हो चुके हैं परन्तु हरिजनों को स्वीकृत धन का भुगतान नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो पृथक-पृथक बलिया के विकास खण्डों में इस प्रकार के कितने मामले हैं और कितने अर्से से पड़े हैं ?

श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी जिला अन्तरिम परिषद् के अन्तर्गत सुरक्षा कोष

*२१--श्री गयाप्रसाद--

क्या सरकार को इस बात का पता है कि वाराणसी जिला अन्तरिम परिषद् के अध्यक्ष द्वारा जिला परिषद् के अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों से कई लाख रुपये सुरक्षा कोष में लिये गये हैं किन्तु दाताओं को कोई सरकारी रसीदें नहीं प्राप्त हुयी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों से १,४४,९२० रू० १५ नये पैसे तथा सोना और सोने के आभूषण जिनका कि वजन ६० ग्राम २०० मिलोग्राम था एकत्रित किया गया । इसमें से १,४३,००१ रु० की धनराशि को चेक द्वारा दिनांक १६ जनवरी, १९६३ को मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में दे दिया गया है जिसकी सरकारी रसीद दी जा चुकी है ।

दाताओं को परिषद् द्वारा छपाई गई रसीदें दी गई हैं ।

*२२--श्री गयाप्रसाद--

यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार इस बात की जांच कराकर उचित कार्यवाही कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न नहीं उठता ।

*२३--श्री गयाप्रसाद--

क्या सरकार दाताओं को जिलाधीश की दस्तखत की रसीद दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

दाताओं को परिषद् द्वारा जारी की गई रसीदें दी जा चुकी हैं और जो धनराशि परिषद् द्वारा ट्रेजरी में जमा की गई उसकी इकमुश्त सरकारी रसीद दे दी गई, अतः दाताओं को सरकारी रसीद देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की अदालत में देवसिंह का मुकदमा

*२४–श्री हिम्मतसिंह––

क्या नवम्बर, दिसम्बर, १९६२ से जनवरी, १९६३ में जुडिशियल आफिसर, अल्मोड़ा की अदालत में दूध में पानी की मिलावट का एक केस सरकार बनाम देवसिंह चला ? क्या यह सही है कि उक्त केस के निर्णय से पहले अभियुक्त से उसके बाप के नाम ५०१ रुपया चन्दे (एन०डी०एफ०) का जमा कराया गया और अभियुक्त मामले में बरी किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला अस्पताल, फतेहपुर के विरुद्ध शिकायत

*२५–श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)––

प्रथम सत्र (१९६२) के गुरुवार, दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १८ व १९ के उत्तरों के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मेरे ९ मई, १९६२ के पत्र में जिला अस्पताल फतेहपुर के सिविल सर्जन व उनके शुभचिंतकों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को संगीन जानकर उप-मंत्री महोदय, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, ने प्रान्तीय उच्च अधिकारी द्वारा मेरी उपस्थिति में जांच करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो फिर पहले ही डाइरेक्टर से जांच न करा कर सिविल सर्जन फतेहपुर से जांच कराने का क्या कारण था ?

*२६––क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नागरिकों, विधायकों, एम०पी०, अन्तरिम जिला परिषद् तथा नगरपालिका, फतेहपुर के अध्यक्षों द्वारा व्याप्त पक्षपात व भ्रष्टाचार की खुली जांच करने और हर दिल अजीज डा०ओ०पी० भान्ती, मेडिकल अफसर प्रथम, का तबादला रोकने की मांग जुलाई, १९६२ में करने पर भी अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

*२७––क्या स्वास्थ्य मंत्री मेरी इस सूचना को सही मान कर कि जिला अस्पताल, फतेहपुर के वर्तमान सिविल सर्जन के इल्म में उनके स्वार्थ साधक हेडक्लर्क और कुछ पुराने कम्पाउन्डरों द्वारा गरीब तथा हरिजन रोगियों के प्रति दूषित व्यवहार एवं भ्रष्टाचार जारी है और आदेश के बावजूद डाइरेक्टर ने अब तक मौके की जांच नहीं की, तात्कालिक खुली जांच करा कर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुगरा बादशाहपुर ब्लाक के सहकारी बीज भण्डार

*२८–श्री केशरीप्रसाद पांडेय––

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगरा बादशाहपुर ब्लाक, जिला जौनपुर, में कितने सहकारी बीज भंडार हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें चोरी से गल्ला या खाद बेची जाती है ? क्या ऐसी कोई घटना १८ से २२ दिसम्बर, १९६२ के बीच हुई है कि इस कार्य में रत को ई ट्रक पकड़ी गयी ? यदि हां, तो उसका मालिक कौन है ? उस पर कितना माल लदा था ? और उस माल को खरीद कर कौन और कहां ले जा रहा था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

तीन सहकारी बीज भण्डार हैं, और किसी में भी गल्ला या खाद चोरी से नहीं बेची जाती। १८ से २२ दिसम्बर, १९६२ के बीच चोरी से गल्ला या खाद बेचने की कोई घटना नहीं घटी है और न इसकी कोई सूचना इस कार्यालय में प्राप्त हुई है ।

*२९—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उक्त घटना से सुपरवाइजर के अतिरिक्त ब्लाक के कौन-कौन से अधिकारी सम्बन्धित हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता है ।

कानपुर जिले में नियोजन कार्यों के लिए कोयला

*३०—श्री शिवनार्थासिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक नियोजन कार्यों हेतु नियोजन अधिकारी को कितना कोयला दिया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त अवधि के भीतर नियोजन कार्यों हेतु जिला नियोजन अधिकारी कानपुर को ५१३ वैगन कोयला दिया गया ।

*३१—श्री शिवनार्थासिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त प्राप्त कोयला किन-किन व्यक्तियों को और कितना-कितना दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्राप्त कोयले का वितरण निम्न प्रकार है :

	वैगन
१—जिला सहकारी संघ	१६८
२—सहकारी निर्माण परिषद्	२७७
३—क्षेत्र विकास अधिकारी, अमरोधा	८
४—क्षेत्र विकास अधिकारी, देरापुर	४
५—क्षेत्र विकास अधिकारी, राजपुर	६
६—प्राइवेट	५०
योग ..	५१३

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें

*३२—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या वित्त मंत्री को जनवरी, १९६३ के प्रथम सप्ताह में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश, के मंत्री का कोई पत्रक मिला है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी —

जी हां । पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९९—१०० पर)

*३३–श्री उग्रसेन––

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त पत्र की मांगों के बारे में उन्होंने अभी तक कौन सी कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

संकटकालीन परिस्थिति में मितव्ययिता के लिये विभिन्न विभागों की कुछ कार्यवाहियां समाप्त या स्थगित कर दी गईं अथवा उनके कार्य क्षेत्र सीमित कर दिये गये, जिसके फलस्वरूप कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ साथ कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी सेवा मुक्त कर दिये गये। शासन की यह नीति रही है कि भविष्य में जो पद रिक्त होंगे उन पर नियुक्ति किये जाते समय इन सेवा मुक्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायगी। इस नीति के अनुसार अधिकांश लोगों को कही न कहीं नौकरी मिल चुकी है और आशा है कि अवशिष्ट लोग भी खप जायेंगे।

[६ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२–श्री रामसुन्दर पांडेय––

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

गरीब रोगियों को सहायता

*३–श्री रामसुन्दर पांडेय––

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल विभाग द्वारा गरीब रोगियों को एकमुश्त सहायता की योजना समाप्त कर दी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––

जी नहीं ।

ग्रामीण श्रम शक्ति उपयोग योजना

*४–श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)––

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण श्रम शक्ति उपयोग (मेन पावर युटिलाइजेशन स्कीम) के अनुसार अब तक कहां–कहां कार्य हो रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

इस समय इस योजना के अन्तर्गत मथुरा, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, देवरिया, आजमगढ़ और वाराणसी जिलों में कार्य हो रहा है ।

*५–श्री गेंदासिंह––

इस कार्य के लिये भारत सरकार कितना धन व्यय करने के लिये इस वर्ष में देना चाहती थी और कितने की योजना राज्य द्वारा भेजी गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

यह योजना केन्द्रीय सरकार की योजना है। इस योजना पर जो भी व्यय होगा उसमें भारत सरकार राज्य को आधा धन अनुदान के रूप में तथा आधा कर्ज के रूप में देगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल २० लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। भारत सरकार से १० लाख रुपया प्राप्त हो चुका है। राज्य स्तर से ७ लाख रुपये की योजना प्रथम चरण में, ५५,९७,२०० रुपये की योजना द्वितीय चरण में, तथा २,९३,४१,००० रुपये की योजना तृतीय चरण में भारत सरकार को भेजी गई हैं ।

*६–श्री गेंदासिंह––

चालू वित्तीय वर्ष में इतना कम खर्च करने का क्या कारण है और अगले वित्तीय वर्ष के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

चालू वित्तीय वर्ष में कम खर्च होने का मूल कारण यह है कि स्वीकृत योजनाओं के चालू करने के पूर्व उनके प्लान तथा एस्टीमेट बनाकर उनकी आर्थिक प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत निर्धारित अधिकारियों से लेना अनिवार्य था। अब यह कार्य अधिकांशतः समाप्त हो गया है। आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष में लगभग १,२५,००,००० रुपये का काम पूरा हो सकेगा।

*७–८–श्री चन्द्रबलीसिंह––

[५ मार्च, १९६३ को प्रश्न ३१–३२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*९–११–श्री केशरीप्रसाद पांडेय––

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

ज्ञानपुर तथा चकिया ब्लाक के जन–स्वास्थ्य अधिकारियों का वेतन

*१२–श्री गयाप्रसाद––

क्या यह सही है कि वाराणसी जिलान्तर्गत ज्ञानपुर तथा चकिया ब्लाक के जन-स्वास्थ्य अधिकारियों का वेतन पिछले चार महीनों से नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव––

जी हां । ज्ञानपुर तथा चकिया ब्लाकों के स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन ३०-९-६२ तक नियोजन विभाग से मिलता रहा । इस के पश्चात् इन कर्मचारियों को जन स्वास्थ्य विभाग के बजट से वेतन मिलना चाहिये था । इसकी स्वीकृति स्वास्थ्य सेवा निदेशक को भेज दी है तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक सम्बन्धित कर्मचारियों को वेतन के भुगतान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । कर्मचारियों के एक विभाग से दूसरे विभाग को स्थानान्तरण के कारण वेतन मिलने में देर हुई ।

*१३–श्री चन्द्रबलीसिंह––

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४–श्री कल्याणचन्द मोहिले––

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५–१६–श्री नरसिंहनारायण पांडेय––

[५ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५२–५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१७–श्री नरसिंहनारायण पांडेय––

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

हरिजन ट्रेनिंग सेण्टर, बख्शी का तालाब

*१८–श्री भीखालाल––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन ट्रेनिंग सेंटर, बख्शी का तालाब, कब से चल रहा है और उसमें किन-किन विषयों में ट्रेनिंग दी जाती है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव––

यह ट्रेनिंग सेंटर १९५० से चल रहा है और इसमें निम्नलिखित विषयों में ट्रेनिंग दी जाती है:––

(१) विद्युत् (२) काष्ठकला (३) खरादगीरी (४) ढलाई (५) वेल्डिंग (गैस एवं विद्युत्) (६) मोटर मैकेनिक (७) फिटर (८) आर्मेचर वाइंडिंग ।

*१९–श्री भीखालाल––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस ट्रेनिंग सेंटर को मान्यता प्राप्त है या नहीं; और नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव––

अभी नहीं । पहले मान्यता देने वाली कोई संस्था स्थापित नहीं हुई थी । स्टेट बोर्ड आफ वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना होने के बाद संस्था की ओर से मान्यता प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र दिया जा चुका है ।

*२०–श्री भीखालाल––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितने परीक्षार्थी भिन्न-भिन्न विषयों में ट्रेनिंग लेकर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके हैं और उनमें से कितनों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव––

१,२५७ विद्यार्थी। अभी तक नौकरी पाने की सूचना नहीं रक्खी गई थी। गत वर्ष से यह सूचना उपलब्ध है। गत वर्ष ८७ विद्यार्थियों ने प्रमाण-पत्र प्राप्त किये। इनमें से ५६ सरकारी नौकरी तथा ५ गैरसरकारी संस्थाओं में काम कर रहे हैं। २६ विद्यार्थियों के विषय में अभी सूचना नहीं मिल सकी है।

लमुआं ब्लाक में चोरी

*२१–श्री हिम्मतसिंह तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६३ में सुल्तानपुर जिले के लमुआं ब्लाक की तिजोरी से लगभग १० हजार रुपये गायब हो गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

जी हां, ९–१० जनवरी १९६३ की रात को, पूर्व प्रसार क्षेत्र लम्मुआ, जिला सुल्तानपुर, की तिजोरी से १०,९५३ रु० २० न० पैसे की चोरी की सूचना प्राप्त हुई है।

*२२–श्री हिम्मतसिंह तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी––

यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सायंकाल उक्त ब्लाक के विकास अधिकारी ने स्वयं उस तिजोरी में रकम रखकर ताला लगाया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

मामला पुलिस की जांच में है। तथ्यों का प्रकाशन उनके निश्चित रूप से निर्णित हो जाने पर ही सम्भव होगा।

*२३––श्री हिम्मतसिंह तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मामले की जांच कराकर सरकार द्वारा क्या कार्यबाही की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

वैभागिक जांच हो रही है। उपर्युक्त कार्यवाही जांच के उपरान्त होगी।

कानपुर जिले में सहकारी समितियां

*२४––श्री शिवनाथसिंह––

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में कौन-कौन रजिस्टर्ड सहकारी समितियां है, उनमें कितनी नियमित रूप से कार्य कर रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

कानपुर जिले की सहकारी समितियों की विकास खण्डवार सूची† संलग्न है।

कानपुर जिले के २० विकास खण्डों में सभी प्रकार की कुल १,१२० सहकारी समितियां हैं जिनमें से १,०१९ समितियां नियमित रूप से कार्य कर रही हैं।

---

† छापी नहीं गई।

*२५—श्री शिवनाथसिंह—

क्या यह सही है कि विकास खंड घाटमपुर के अन्तर्गत कुछ समितियों का कार्य वर्षों से रुका पड़ा है और अधिकारी उन समितियों को चलाने में असहयोग एवं लापरवाही कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

विकास खण्ड घाटमपुर के अन्तर्गत ७ समितियां वर्षों से कार्य नहीं कर रही हैं और निष्क्रिय हैं परन्तु इसका कारण विभागीय अधिकारियों का असहयोग और लापरवाही नहीं है बल्कि समितियों के सदस्यों व संचालक मंडल की उदासीनता, समितियों के कागजात का गायब होना, समितियों पर बैंक का बकाया होना तथा समितियों में गबन होना है ।

सहकारी संघ, जगतपुर का भवन

*२६—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में जगतपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सहकारी संघ जगतपुर के बीज एवं खाद रखने के लिये किसी इमारत आदि की व्यवस्था पूर्ण-रूपेण सरकार ने की है ? यदि कोई व्यवस्था स्थायी रूप से अब तक नहीं है, तो सरकार इसे कब तक करने का विचार करती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सहकारी संघ जगतपुर का एक पक्का निजी भवन है जिसमें बीज एवं खाद रखने का समुचित प्रबन्ध है ।

*२७—श्री रतीपाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में जगतपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कितने सहकारी संघ हैं और उनसे सम्बन्धित कितनी सहकारी समितियां हैं ? क्या सरकार जलालपुर धई, गदागंज आदि समितियों की ओर से कोई सहकारी संघ खुलवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

रायबरेली जिले के विकास खंड जगतपुर के अन्तर्गत जगतपुर तथा गौरा दो सहकारी संघ हैं । दोनों संघों से सम्बन्धित ८७ प्रारम्भिक सहकारी समितियां हैं ।

जलालपुर धई व गदागंज समितियां गौरा संघ की सदस्य हैं । यह दोनों समितियां गौरा संघ के क्रमशः तीन व ढाई मील की दूरी पर स्थित है । अतः इन समितियों का अलग संघ बनना उपयुक्त नहीं है ।

डाक्टरों की कमी पूरी करने के लिए समिति

*२८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) तथा श्री रामायणराय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में जो विचारार्थ हाई पावर कमेटी बैठायी थी, उसने इस कमी को पूरा करने के लिये क्या सुझाव दिये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवातव—

प्रदेश में डाक्टरों की कमी के सम्बन्ध में नियुक्त की गई उच्च स्तरीय समिति (High Powered Committee) के सुझाव अभी प्राप्त नहीं हुये हैं । आशा की जाती है कि शीघ्र ही उसके सुझाव आ जावेंगे ।

*२९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री रामायणराय—

क्या सरकार आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में इस समय आयुर्वेदाचार्य का कोर्स कर रहे व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों की डिस्पेन्सरियों में निर्धारित १०० रु० मासिक ग्रामीण एलाउन्स देकर नियुक्त कर उक्त कमी को पूरा करने पर भी विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी नहीं। ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है और न अभी इस पर विचार ही किया जा रहा है।

*३०-३१--श्री चन्द्रजीत यादव--

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

विकास क्षेत्र, मोहम्मदी के पशु-चिकित्सालय की इमारत

*३२--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

क्या सरकार को पता है कि जिला खीरी के विकास क्षेत्र मोहम्मदी में मवेशी अस्पताल बन रहा है? यदि हां, तो क्या इमारत बनाने के स्थान के बारे में हाइडिल वालों ने लिख कर दिया है कि इमारत के ऊपर हाई पावर की बिजली के तार निकले हैं जिससे कि हर समय खतरा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, मोहम्मदी में मवेशी अस्पताल बन रहा है, और हाइडिल वालों ने इमारत के ऊपर हाई पावर की बिजली के तार निकलने से जो खतरा है, उसके बारे में लिखकर दिया है।

*३३--श्री मन्नालाल--

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि खतरे की चेतावनी देने के बाद भी इसी स्थान पर इमारत क्यों बनायी जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हाइडिल वालों के उक्त खतरे की बात लिख कर देने के बाद, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने इमारत बनाने की अनुमति इस शर्त पर दे दी है कि इमारत से बिजली के सबसे नीचे वाले तार का अन्तर कम से कम १३ फीट अवश्य हो; तथा वह तार निरन्तर सतर्क संरक्षण में रहे। इन शर्तों का पालन हो रहा है।

सहकारी बैंक, महोबा के पदाधिकारियों के चुनाव

*३४--श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी बैंक महोबा, जिला हमीरपुर, में मैनेजिंग डाइरेक्टर और अन्य पदाधिकारियों के चुनाव तथा अनियमितताओं के विरुद्ध कुछ शिकायती-पत्र आये हैं? यदि हां, तो उस पर कोई जांच हुई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां, दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनको आवश्यक जांच के लिए सहायक निबन्धक इन्चार्ज झांसी डिवीजन के पास भेज दिया गया है। अभी उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

*३५--श्री डूंगरसिंह--

यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है और क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इसका प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद् के मंत्रियों का स्थानान्तरण

*३६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि अन्तरिम जिला परिषदों के मन्त्रियों की एक ही स्थान पर आजीवन नियुक्ति से व्यापक रूप से भ्रष्टाचार पद के दुरुपयोग के शिकार हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मंत्रियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति ३ वर्ष से अधिक एक स्थान पर न रखने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ४४ के अन्तर्गत एक केन्द्रीय संक्रमणीय संवर्ग (Central transferable cadre) राजकीय सरकार द्वारा बनाये जाने का प्राविधान कर दिया गया है। इस विषय पर नियम बन जाने पर शासन द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायगी।

जिला नियोजन अधिकारी, बिजनौर के विरुद्ध शिकायत

*३७--श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन अधिकारी, बिजनौर ने जिला अन्तरिम परिषद् की कुछ फाइलों पर यह लिख दिया है कि उन फाइलों को देखने के लिये उनके पास समय नहीं है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जिलाधीश बिजनौर ने यह सूचित किया है कि ऐसा नहीं हुआ है।

*३८--श्री बसन्त सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसी दशा में जिला अन्तरिम परिषद, बिजनौर के मुख्याधिकारी का कार्य कराने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--

जिला नियोजन अधिकारी, बिजनौर, मुख्य अधिकारी का कार्य कर रहे हैं; अतः किसं प्रकार के प्रबन्ध करने का प्रश्न नहीं उठता।

*३९-४१--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

[२० मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

*४२--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

[हटा दिया गया।]

*४३--श्री मन्नालाल--

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४--श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--

[२० मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

*४५--श्री बृजमोहनलाल गुप्त--

[हटा दिया गया।]

सिधौली ब्लाक अधिकारी, कुमारी सुनहरी चांद का स्थानान्तरण

*४६--श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)--

क्या विकास मन्त्री जी को ज्ञात है कि अन्तरिम जिला परिषद् सीतापुर की मीटिंग दिनांक १७ दिसम्बर, १९६२ में किसी ब्लाक अधिकारी द्वारा प्रमुख क्षेत्रीय समिति के प्रति अभद्र अपमान-जनक व्यवहार किये जाने से सम्बन्धित सर्वसम्मति से ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें शासन से कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो उपरोक्त विषय में क्या कार्यवाही हुई ?

RA 4015

13662

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। इस संबंध में जांच की गई तथा संबंधित क्षत्र विकास अधिकारी, सिधौली (सीतापुर), कुमारी सुनहरी चांद, का वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया।

*४७--श्री काशीनाथ मिश्र--

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*४८--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

[हटा दिया गया।]

लेप्रोसी (Leprosy) अस्पताल

*४९--श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि हमारे राज्य में कोई लेप्रोसी हास्पिटल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कहां, कब और कितने रुपये की लागत से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी हां।

जापानीज लेपरोसी मिशन की सहायता से एक ऐसा हास्पिटल खोलने पर सरकार विचार कर रही है। इसका ब्योरा अभी निश्चित नहीं है।

*५०-५१--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) तथा श्री राम सुन्दर पांडेय--

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*५२--श्री काशीनाथ मिश्र--

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३-५४--श्री रामकिशोर वर्मा--

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

रानीखेत डेवलपमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी सम्बन्धित मुकदमा

*५५--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रानीखेत डेवलपमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, श्री मदन मोहन उपाध्याय, तथा सम्बन्धित लोगों के ऊपर सन् १९५९-६० की आडिट रिपोर्ट की बुनियाद पर जो अदालत में मुकदमा चल रहा है क्या उसके सम्बन्ध में न्याय विभाग द्वारा ३ अक्तूबर, १९६२ को एक जी० ओ० मुकदमा वापस करने के लिए निकाला गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

न्याय विभाग का दिनांक ३-१०-६२ का जी० ओ० श्री मदन मोहन उपाध्याय आदि के विरुद्ध चल रहे मुकदमे की वापसी के लिये नहीं है वरन् उसमें यह कहा गया था कि यदि दो मास के भीतर श्री उपाध्याय अनियमितताएं ठीक कर दें और मंत्रिपद से त्यागपत्र दे दें तो उन दोनों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे की वापसी के आदेश निकाले जायंगे।

*५६--श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६०-६१ व १९६१-६२ व १९६२-६३ में जो घपला हुआ है तथा जो १९६०-६१ की आडिट रिपोर्ट है उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और क्या सरकार १९६०-६१ की आडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वर्ष ६०–६१ से ६२–६३ तक समिति में किसी घपला होने की सूचना विभाग को नहीं है। वर्ष ६०–६१ का आडिट अभी नहीं हुआ, अतः उस पर कोई कार्यवाही करने अथवा उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक प्रशिक्षण शिविर, मिर्जापुर

*५७—श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर के औद्योगिक प्रशिक्षण शिविर से अभी हाल में २२ प्रशिक्षार्थी अचानक निकाल दिये गये जो ५ महीने से प्रशिक्षण ले रहे थे ? निकाले गये प्रशिक्षार्थियों के भविष्य के बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मिर्जापुर में नवम्बर सन् १९६२ में १९२ अभ्यर्थी सर्व प्रथम भर्ती किये गये थे। नियमानुसार भर्ती के लिये निश्चित अन्तिम तिथि के एक माह पश्चात् अभ्यर्थियों की योग्यता की परीक्षा ली गई, जिसके आधार पर १६६ अभ्यर्थियों को लेने के बाद शेष २६ अभ्यर्थियों की छटनी की जाने वाली थी। इनमें से ६ अभ्यर्थी प्रशिक्षण छोड़ कर चले गये। इसी बीच प्रतिरक्षा संस्थाओं के लिये कम समय की प्रशिक्षण योजना (Short Term Training Scheme) १ फरवरी, १९५३ से लागू होने वाली थी। बचे हुये १९६३ अभ्यर्थियों को वह राय दी गई कि वे इस योजना में १ फरवरी, १९६३ से भर्ती हो जायं। इनमें से १५ अभ्यर्थी तो भर्ती हो गये और बाकी ८ प्रशिक्षण छोड़कर चले गये।

लखनऊ में सहकारिता मंत्री सम्मेलन

*५८—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में फरवरी, १९६३ के दूसरे सप्ताह मै देश के सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था ? यदि हां, तो उस सम्मेलन ने क्या निर्णय किये हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। यद्यपि यह सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, इसे भारत सरकार द्वारा समाधान (convene) किया गया था। भारत सरकार ऐसे सम्मेलनों की सिफारिशों को अपने निर्णयों सहित राज्य सरकारों को भेजा करती है। भारत सरकार से सम्मेलन की सिफारिशों और उनके निर्णय प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायगी। भारत सरकार से अभी निर्णय प्राप्त नहीं हुए है।

बनकटा ब्लाक में चकिया अस्पताल का भवन

*५९—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के बनकटा ब्लाक के चकिया अस्पताल के भवन निर्माण के लिए रुपया मंजूर हो गया है ? यदि हां, तो उसमें कब से कार्य प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

चकिया जिला देवरिया में अस्पताल के भवन निर्माण के लिये शासन से १९,१०० रु० स्वीकृत किया जा चुका है। परन्तु भवन निर्माण के लिये जो भूमि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट द्वारा प्राप्त की गई थी उसके मालिक ने रिट (writ) फाइल कर दी है। मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है। फैसला होने पर ही इस प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

*६०–६२––श्री रियासत हुसैन––

[२० मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

*६३––श्री नरसिंहनारायण पांडेय––

[२० मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया]

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद ट्रेनिंग सेंटर पर प्रशिक्षित सहकारी निरीक्षकों की नियुक्तियां

१––श्री रामसुन्दर पांडेय––

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५९–६० में फैजाबाद ट्रेनिंग सेन्टर से कुल कितने सहकारी निरीक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा उनकी नियुक्तियां किन-किन जिलों में कितनी-कितनी तादाद में की गयीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

वित्तीय वर्ष १९५९–६० में फैजाबाद ट्रेनिंग सेन्टर से कुल ८६ सहकारी निरीक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । जिलों में उनकी नियुक्तियों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०१–१०२ पर)

२––श्री रामसुन्दर पांडेय––

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्कुलर नम्बर सी० १७६, दिनांक २५ अप्रैल, १९६०, के अनुसार किन-किन जिलों के कितने-कितने सहकारी निरीक्षक से सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के पद पर नियुक्त किये गये और उनका वेतनक्रम कितना निर्धारित किया गया ?

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०३ पर)

३––श्री रामसुन्दर पांडेय––

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त सहायक विकास अधिकारी सहकारिता में कौन-कौन व्यक्ति हैं जिनका अभी सहकारी निरीक्षक पद का वेतन बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

यह सूचना सम्बन्धित जिलों से एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले में विकास क्षेत्रों पर व्यय

४––श्री चन्द्रबलीसिंह––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष में देवरिया जिले के सभी विकास क्षेत्रों में अलग-अलग कितना रुपया अधिकारियों के वेतन तथा टी० ए० व डी० ए० पर और कितना रुपया जनता के हित में व्यय हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

वांछित सूचना† माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

५––श्री चन्द्रबलीसिंह––

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

---

† छापी नहीं गयी ।

६–८––श्री केशरीप्रसाद पांडेय––

[२० मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

९––श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)––

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

सहायक विकास अधिकारी, पशु-पालन

१०––श्री चन्द्रबलीसिंह––

क्या विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन विकास क्षेत्रों में ७५––५––१२० रु० के स्केल के और किन-किन विकास क्षेत्रों में १२०––५––२५० रु० स्केल के सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) काम कर रहे हैं? एक ही काम के दो स्केल देने के क्या कारण हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

सूची† संलग्न है।

सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) के पद पर नियुक्ति हेतु वेटेनरी विज्ञान स्नातक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी दशा में जिन कर्मचारियों से इस समय सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) का काम लिया जाता है उनमें निर्धारित शैक्षिक योग्यता न होने के कारण वेतन-क्रम १२०––२५० रु० न दे कर निम्न वेतन-क्रम ७५––५––१२० रु० दिया जाता है। नियोजन विभाग में कम से कम ३ वर्ष तक संतोषजनक कार्य के आधार पर इस तरह सभी सहायक विकास अधिकारी (पशु पालन) को विभागीय चुनाव समिति द्वारा चुने जाने पर १३०––२५० रु० का वेतन-क्रम दिया जाता है।

११––श्री चन्द्रबलीसिंह––

क्या यह सच है कि ७५––५––१२० रु० के सहायक विकास अधिकारियों (पशु पालन) को यह आश्वासन दिये गये थे कि दो साल काम करने पर उनके स्केल १२०–५–२५० रु० कर दिये जावेंगे? यदि हां, तो तीन वर्ष बीत जाने के बाद आश्वासन के अनुसार वेतन न देने के क्या कारण हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

जी नहीं।

केवल यह आश्वासन दिया गया था कि सहायक विकास अधिकारी (पशु-पालन) पद पर वेतन-क्रम ७५––५––१२० रु० में कम से कम ३ वर्ष काम करने के बाद इन कर्मचारियों को वेतन क्रम १२०–२५० रु० देने हेतु विचार किया जायगा। समय-समय पर इसी सिद्धान्त के अनुसार पदोन्नति होती रहती है।

१२––श्री चन्द्रबलीसिंह––

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ७५–५–१२० रु० के स्केल वाले पशुपालन सहायक विकास अधिकारियों के मातहत काम करने वाले कम्पाउन्डरों को भी उपरोक्त स्केल दिया जा रहा है? यदि हां, तो पशुपालन विकास अधिकारियों को १२०–५–२५० रु० का स्केल देने में देरी क्यों हो रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

जी नहीं।

---

† छापी नहीं गई।

देवरिया जिले में सहकारी समितियां

१३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में विभिन्न विकास खण्डों में बहुधन्धी सहकारी समितियों की संख्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्या थी और तीसरी योजना में लक्ष्य क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

देवरिया जिले में विभिन्न विकास खंडों में बहुधंधी सहकारी समितियों की संख्या २२०३ थी। तीसरी योजना में बहुधंधी समितियों के बनाने का कोई लक्ष्य नहीं है।

१४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

देवरिया जिले में कुल कितनी सहकारी समितियों का निर्माण हो चुका है और उनकी कुल सदस्य संख्या क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

देवरिया जिले में ३०-६-६२ को सभी प्रकार की कुल सहकारी समितियों की संख्या व उनकी सदस्यता क्रमशः २८४६ व १,४३,६७२ थी।

१५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन समितियों के कुल हिस्से की पूंजी सदस्यों द्वारा और सरकार द्वारा अलग-अलग क्या थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में ३०-६-१९६१ को जिले की कुल सहकारी समितियों के हिस्से की पूंजी में सदस्यों का ५९,५०,४९० रु० तथा राज्य सरकार का ३,५०,००० रु० लगा था।

१६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कारोबार की कुल कितनी पूंजी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में इन समितियों की कारोबारी पूंजी २,९२,३८,५४५ रु० थी।

देवरिया जिले में हरिजन कल्याण सम्बन्धी कार्य

१७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों को घर और कुओं के लिये देवरिया जिला हरिजन व समाज कल्याण विभाग को १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के लिए कितना रुपया सरकार ने दिया था ? उसमें कितना खर्च हुआ और कितना बाकी रहा ? यदि थोड़ा रुपया खर्च हुआ और करीब-करीब सारा बाकी रहा, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

१८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार देवरिया जिले में सन् १९६१-६२ वित्तीय वर्ष में बने हरिजनों के मकानों व कुओं की लिस्ट विकास क्षेत्रवाइज, गांववाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? उनकी लागत क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् में सुरक्षा कोष

१९—श्री गयाप्रसाद—

वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् में सुरक्षा कोष के धन संग्रह हेतु एक कमेटी २५ अक्तूबर १९६२ में बनी जिसने तत्काल धन संग्रह कार्य प्रारम्भ कर दिया है। करीब १२ नवम्बर तक उक्त कमेटी ने २० हजार रुपया वसूल किया। १६ जनवरी, १९६३ को १ लाख, ४३ हजार, ५ सौ रु० की उक्त कमेटी या अन्तरिम जिला परिषद् की ओर से सुरक्षा कोष में पहली किस्त भेजी गयी? क्या सरकार को पता है कि लाखों रुपया १६ अक्तूबर से १६ जनवरी तक किस के पास जमा रहा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

२०—श्री गयाप्रसाद—

क्या यह सही है कि यह रुपये किसी सरकारी खजाने में या बैंक में नहीं रक्खे गये थे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

२१—श्री गयाप्रसाद—

सुरक्षा कोष के वसूल किये गये रुपयों का गोलमाल या गलत ढंग से व्यक्ति विशेष के पास ३–४ माह तक पड़े रहने से देश का अहित नहीं हुआ? क्या सरकार उपरोक्त मामले की पूर्णरूपेण जांच करा कर अपराधियों पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आपके सामने १९ या २० फरवरी को माननीय उमाशंकर जी ने दफ़ा ५२ का नोटिस दिया था। आपने कहा था कि उसे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में स्वीकार कर लिया है, इसलिए दफ़ा ५२ में स्वीकार नहीं करेंगे, शायद १५ तारीख़ को। उसके बाद आपने कहा कि जल्दी ही अल्पसूचित में उसका उत्तर आ जावेगा। वह अल्पसूचित स्वीकार हुआ या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आज के एजेन्डे पर ११ नम्बर पर है और उसे भी सरकार ने २०–३–६३ के लिये टाल दिया। तो १ महीना ५ दिन हो गया। आप को सरकार से किसी न किसी तरह से उत्तर दिलाना चाहिये। इस प्रकार सदस्यों के अधिकारों का, जो आप में निहित हैं, हनन हो रहा है और उसका उत्तर आप कल जरूर दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है कि प्रश्न ११ व १२ पहले अल्पसूचित के लिये ही भेजे गये। उनका जवाब उस दिन नहीं हुआ। फिर यह पोस्पोनमेंट जरा अच्छा नहीं लगता है। मैं समझता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर माननीय चिकित्सा मंत्री कल दे देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नियमावली यह कहती है कि आप जब मंत्रियों को समय देंगे तो आपके सामने वह नोटिस जायगा और जब आप सन्तुष्ट हो जावेंगे तो उन्हें समय देंगे। तो आपके सामने नोटिस आया या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष---

ये सारी बातें जो आपने यहां कहीं मेरे सामने उस वक्त नहीं थीं। इसलिये वह हो गया और मैंने कह दिया है कि कल उनका जवाब हो जायगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं प्रश्न संख्या २१ से २३ तक। ये प्रश्न माननीय गया प्रसाद जी ने उठाये थे। सुरक्षा कोष से संबंधित ये प्रश्न हैं और....

श्री उपाध्यक्ष---

आप मेरे कमरे में आ कर बात करें।

श्री मैनेजरसिंह---

अच्छा, कमरे में आऊंगा।

श्री कल्पना सिंह (जिला गोरखपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या ?

श्री कल्पनार्थसिंह---

एक सदस्य को ३ सवाल करने का अधिकार आज मिला हुआ है। आपने कहा था कि आप उसकी जानकारी करके निर्णय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

यह निश्चय हुआ था कि हम लोग मिलकर माननीय अध्यक्ष से बात करके तय कर लेंगे। वह अस्वस्थ हैं, इसलिये इसका मौक़ा नहीं आया। अब जल्दी ही यह बात तय हो जायगी। इस समय जो प्रथा चल रही है वही अभी रहेगी। जितने सवाल आते हैं उनके ९० फीसदी तो स्वीकृत होते हैं।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, अगर अध्यक्ष महोदय साल भर तक न आयें तो क्या साल भर तक कोई कार्यवाही न चलेगी ?

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन†

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६२, में पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५३५०-ए-३३-८ आर-६१, दिनांक ३१ जनवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (सामान्य लाभ के कार्यों तथा उपक्रमों में सहयोग) नियमावली, १९६३*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

मैं, पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३६६-ए-३३-१६-आर-६२ दिनांक २३ जनवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (सामान्य

---

†छापे नहीं गये।

*छापी नहीं गयी।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

लाभ के कार्यों तथा उपक्रमों में सहयोग) नियमावली, १९६३ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों के चुनने की) नियमावली, १९६३*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४७६–ए–३३–आर–६१, दिनांक १४ फरवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों के चुनने की) नियमावली, १९६३ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६३*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६७०–ए–३३–७९–आर–६२, दिनांक १४ फरवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६३ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज भूमि प्रबन्धक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, १९६३*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८७३–पी० –३३–२८– (२)–६२, दिनांक १४ फरवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज भूमि प्रबन्धक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, १९६३ को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, यह विज्ञप्तियां वितरित नहीं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ये तो पार्टीज की तरफ से अब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वहां भेज दी गयी हैं।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

इसमें लिखा है सदन की मेज पर रखता हूं, लेकिन हमारी मेज पर तो है नहीं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, हमारे सामने तो मेज भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

तय यह हुआ था कि पार्टीज के आफिस में भेज दी जायं, इसलिये वहां भेज दी गयीं हैं। सदन की मेज से मतलब सदस्यों की मेज से नहीं है, सचिव की मेज से है।

---

* छापी नहीं गयी।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, जो पहला तरीका था वह अच्छा था। आज का जो तरीका है वह घटिया है। इससे सब लोगों को जरूर कागजात समय पर नहीं मिलते हैं, इसलिये पहला तरीका ही जारी किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

जो बात पहले तय हुई थी, उसके अनुसार किया गया है। आगे परामर्श के बाद जो तय होगा, वैसा किया जायगा।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२*

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)--

मैं, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२ में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४८१४-ए-१-३०-ए-१६३-ए-६२, दिनांक १९ जनवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

लखनऊ औद्योगिक प्रदर्शनी के विषय में मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में कथित गलत बयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया है.....

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, माननीय बनारसी दास जी खड़े थे और कुछ कहना चाहते थे, तो उनको आप सुन लें। पहले जो इस तरह के कागजों के वितरण का सिस्टम था वह ठीक था .....।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बाद में हो जायगा।

श्री बलवानसिंह--

पहले आप माननीय बनारसी दास जी को सुन तो लें।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध मुझे भी निवेदन करना था कि सदस्यों को काफी कठिनाई है क्योंकि पार्टी आफिस में उनका ठीक से वितरण नहीं हो पाता। इसलिये मेरा अनुरोध है कि पहले जो तरीका था वही ठीक था और इस सचिवालय को ही इन कागज पत्रों के वितरण की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है।

मेरे पास श्री नेकराम शर्मा जी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भेजा है। उसे मैं पढ़ कर सुना देता हूं। वह इस प्रकार है--

"श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

---

*छापी नहीं गयी।

[श्री उपाध्यक्ष]

कल ४-३-६३ को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने वक्तव्य में यह गलत बयानी की है कि औद्योगिक प्रदर्शनी लखनऊ की संरक्षता में उनके किसी मंत्री जी का हाथ नहीं है, उनके शब्द यह हैं--

'यह नितान्त गलत बात है कि किसी साथी ने अपनी अनुमति उसके संरक्षक बनने की दी है ।'

प्रमाण में लेटर हेड का एक पन्ना तथा पोस्टरों की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत कर रहा हूं । इसकी मूल प्रति मेरे पास है । प्रार्थना है कि उक्त प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जावे ।"

इस प्रश्न को उठाने की अनुमति देने से पहले मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को कुछ कहना हो तो कहें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

आप अगर आज्ञा दें तो पहले मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहूं क्योंकि यही सदन की प्रथा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा कोई नियम नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा--

जिस सदस्य ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया हो, पहले उसे अवसर दिया जाता है । चूंकि मैंने इस प्रश्न को उठाया है, इसलिए पहले आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद ही माननीय चन्द्रभानु गुप्त को बुलावें ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले मैं मुख्य मंत्री को सुन रहा हूं । जिनके खिलाफ शिकायत है उनकी बात पहले सुनी जायगी ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

परम्परा के अनुसार पहले तो माननीय नेकराम शर्मा को अपनी बात कहनी चाहिये उसके बाद ही मुख्य मंत्री को मौका दिया जाना चाहिये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला बलिया)--

जब विशेषाधिकार का प्रश्न हम लोगों के सामने आया ही नहीं तो उसका जवाब हम सुन कर क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल तो मैंने पढ़ कर सुना दिया ।

नियम ६४ का दूसरा परन्तुक इस प्रकार से है--

"किन्तु शिकायत यदि किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति देने के पूर्व सदस्य की सफाई को सुनेंगे ।"

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा स्पष्टीरण देने के पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जिस समय माननीय नरसिंह नारायण पांडेय आपके कमरे में थे उस समय माननीय चन्द्रभानु गुप्त के भाषण में कई जगह आप मार्किंग कर रहे थे और उस अंश को निकालने की बात कर रहे थे उससे सम्बन्धित स्पष्टीकरण है ?

तो श्रीमन् का वह कार्य उसी भाषण से सम्बन्धित था ?

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, यह तो मैं अपनी जानकारी के लिये करता ही रहता हूं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय–
यह सवाल जो है उसी भाषण से सम्बन्ध रखता है न ?

श्री उपाध्यक्ष––
भाषण तो मेरे पास आते हैं और मैं उनको देखता ही रहता हूं ।

श्री रामन्सुदर पांडेय (जिला आजमगढ़)––
आप नियम ६७ तो पढ़ने की कृपा करें जिसमें साफ लिखा हुआ है:––"प्रश्नों के अनन्तर तथा कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व वे शिकायत करने वाले सदस्य से अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिये कह सकेंगे ।"

श्री उपाध्यक्ष––
यह तो आप कंसेंट के बाद की बात कह रहे हैं ।

मुख्य मंत्री (चन्द्रभानु गुप्त)––
उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने कुछ शब्द मेरे भाषण के जो मैंने उस दिन दिया था सदन के समक्ष, पढ़कर सुनाये हैं । उस सम्बन्ध में मैंने जिस तरह से उसका अध्ययन किया है वह अपनी बात मैं आपके समक्ष रखता हूं ।

मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में ही यह कहा था, "इसके बाद जिन्होंने यह प्रदर्शनी रची थी उन्होंने दो तीन दिन के बाद उसमें एक और प्रदर्शनी उद्घाटन करा दी और उसके अन्तर्गत बहुत सी ऐसी तस्वीरें और कैरीकेचर्स रख दिये जो एक दूसरे के विषय में ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं जो दूसरों के हृदयों को चोट पहुंचा सकता है । बहुतों के हृदय पर आघात पहुंचा सकता है ।" भाषण के दौरान में, बाद में मैंने यह भी कहा 'इस प्रदर्शनी में एक हमारा विभाग भी शामिल है। लेकिन सरकार ने इस प्रदर्शनी के चलाने में कोई पैसा दिया हो या किसी साथी ने अपनी अनुमति उसके संरक्षक बनने की दी हो यह नितांत गलत बात है । गलतफहमी इस बात की है कि एक औद्योगिक प्रदर्शनी हो रही है जिसका उद्घाटन हमारी एक बहन, जो मंत्री हैं, ने कर दिया ।" जहां मैंने संरक्षक बनने की अनुमति को नितांत गलत बताया है उससे मेरा तात्पर्य उस प्रदर्शनी से है जिसमें तस्वीरें और कैरिकेचर्स हैं और जिसका उद्घाटन श्रम मंत्रिणी ने नहीं किया है । मेरे वक्तव्य में किसी बात के गलत कहे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । सदन में भी आपत्ति औद्योगिक प्रदर्शनी पर नहीं, चित्रों की प्रदर्शनी पर थी ।

श्री उपाध्यक्ष––
(श्री नेकराम शर्मा के खड़े होने पर) नेकराम जी, आप बैठ जाइये ।
माननीय मुख्य मंत्री ने अभी चूंकि अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि उनका तात्पर्य, इन शब्दों से उस दूसरी प्रदर्शनी से था और वे उस प्रदर्शनी के सम्बन्ध में नहीं थे जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं। वह जो कह रहे हैं, अपने भाषण को वही अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं इसको सही मान कर उस प्रश्न को रूल आउट करता हूं और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देता।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)––
मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनना होगा, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष––
आप बैठ जाइये।

श्री झारखंडेराय––
आपको व्यवस्था का प्रश्न तो सुनना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है, कहिये ?

श्री झारखंडेराय--

आपने अभी जो रूलिंग दी है वह नियम विरुद्ध है नम्बर एक, और दूसरे आपका फर्ज यह था कि जिस माननीय सदस्य ने उसको पेस किया था उनकी भी बात सुनने के बाद आप अपना निर्णय देते। वैसे आप को अधिकार है, लेकिन आपने उनकी बात सुनी नहीं है यह बिलकुल अन्याय है और आप को यह नहीं करना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा--

प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष--

एक प्वाइंट आफ आर्डर उठा। मैंने सुन लिया। नियम ६४ में जैसा है, मैंने जिस माननीय सदस्य के विरुद्ध सूचना थी उनकी बात सुनी और उसके बाद मैंने यह तय किया कि उसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं संतुष्ट हूं इस बात से जो उन्होंने कहा कि उनका क्या मतलब था। अपने भाषण के सम्बन्ध में वही अच्छी तरह से मतलब लगा सकते हैं। उनके सुनने के बाद मैंने निर्णय दे दिया। अब कोई प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया जाय पहले....

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि सदन और कुर्सी की महानता के लिये...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराज जाइये, अब मेरी रूलिंग के बाद कोई प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल नहीं उठता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अब शांत रहें। पहले आप यह बता दें कि वह इसी रूलिंग के मुताल्लिक है या और किसी चीज के मुताल्लिक है ? अगर रूलिंग के मुताल्लिक है तो मैं नहीं सुनूंगा, रूलिंग तो हो चुकी।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें, आप को अधिकार है कि आप उसे स्वीकार करें या न करें

श्री उपाध्यक्ष--

आप रूलिंग के बारे में न कहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

वह तो माननीय झारखंडेराय जी ने पहले ही कह दिया है कि रूलिंग आपकी अन्यायपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इस.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप रूलिंग के बाद उस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री नेकराम शर्मा--
मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुन लिया जाय। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन.....

श्री उपाध्यक्ष--
आप वही विषय ले रहे हैं, अब मैं खड़ा हूं आप कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा--
चुप रहो, चुप रहो, जो कहने जा रहा हूं वह सुनिये। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि....

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--
उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री उपाध्यक्ष--
आप बैठिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल--
मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--
आप नहीं उठा सकते।

श्री मुकुटबिहारीलाल--
मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--
कहिये, क्या दूसरी बात है?

श्री मुकुटबिहारीलाल--
माननीय नेकराम जी शर्मा ने शब्द 'गुंडा' कहा है, उसको वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष--
नेकराम जी, आप को मान लेना चाहिये आप यह शब्द वापस लें।

श्री नेकराम शर्मा--
मैं आप की हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप सुन तो लें। मैं हर बात के लिये तैयार हूं, आप की आज्ञा मानने को तैयार हूं और आप के सारे आदेशों को मानता हूं, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। कल चौधरी चरण सिंह जी ने....

श्री उपाध्यक्ष--
आप को इस विषय के अलावा अगर कोई और व्यवस्था का प्रश्न उठाना है तो कहिये।

(व्यवधान)

श्री मुकुटबिहारीलाल--
मेरी व्यवस्था पर तो कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्या कोई सदस्य किसी को 'गुंडा' कह सकता है ?

श्री नेकराम शर्मा--
श्रीमन्, मैं आप को नोटिस देता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने आज एक और दूसरी गलत-बयानी की है और मैं इस पर भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने इसके बारे में कह दिया कि अब उस विषय पर कोई बात नहीं होगी। आप फिर उसी बात को उठाना चाहते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

आप पहले उस शब्द को वापस तो करायें।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा कि "आप की आज्ञा मानने को तैयार हूं," इसके माने ही यह हैं कि वापस हो गया।

(कुछ ठहर कर)

तो नेकराम जी, आप उस शब्द को वापस ले लें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, मैं निवेदन कर चुका हूं, मैं आपकी हर आज्ञा को मानने को तैयार हूं और मानता रहूंगा। आप हमको मजबूर कर देते हैं, आप हमारी बात सुनते नहीं। इतने अहम प्रश्न पर संसदीय प्रथाओं....

श्री उपाध्यक्ष---

पहले जो शब्द आप ने कहे हैं, उनको वापस लें।

श्री नेकराम शर्मा---

मैंने क्या शब्द कहे, जरा दोहरा दें। मुझे याद हो जायं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

श्री नेकराम शर्मा ने जो शब्द कहे हैं उन्हें वापस लें। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)---

मैं प्रार्थना करूंगा अगर कोई सदस्य इस सदन के अन्दर व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो आप उसको सुनें और उसके बाद मेरिट पर अगर आप समझें कि गलत है तो आप अस्वीकार कर दें, लेकिन सुनें तो पहले।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कभी इनकार नहीं किया। मैंने यह कहा कि जो मैंने रूलिंग दी है उसके सम्बन्ध में कुछ न कहें। उसके अलावा, जो कहेंगे, मैं सुनूंगा। लेकिन वह उसी बात को कहना चाहते हैं। एक प्रश्न और है, उन्होंने कुछ माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में एक शब्द कहा.....

कुंवर श्रीपालसिंह---

उसको पहले वापस कराइये, तब दूसरा काम होगा, नहीं तो हम काम होने नहीं देंगे।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, वह भी गलतफहमी है कि प्वाइंट आफ आर्डर कह कर अपनी बात कहने लगें। आप ने एक निर्णय दे दिया एक विषय पर। तो जब तक दूसरा विषय न आये व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठता है?

श्री उपाध्यक्ष---

कहा जाता है कि उन्होंने 'गुंडा' शब्द का इस्तेमाल किया। उसको वह वापस लें।

श्री नेकराम शर्मा---

उसे पढ़ कर सुना दीजिये कि मैंने क्या कहा। प्रोसीडिंग मंगा कर देख लें।

श्री उपाध्यक्ष--
आपने 'गुंडा' शब्द का इस्तेमाल किया उसको वापस लें।

श्री मैनेजरसिंह--
'गुंडा' शब्द किसके लिये इस्तेमाल हुआ है ?

श्री नेकराम शर्मा--
श्रीमन् मैं आप की आज्ञा मानने को तैयार हूं, प्रोसीडिंग में क्या शब्द हैं उसे बता दें तो मैं मान लूंगा।

श्री महावीरप्रसाद (जिला रायबरेली)--
मेरे सम्बन्ध में कहा गया। कृपया उसका स्पष्टीकरण कीजिये और यह कहिये कि वह वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष--
क्या कहा है ?

श्री महावीरप्रसाद--
इन्होंने डांट बतायी थी कि चुप रहिये। मैंने कहा कि आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री उपाध्यक्ष--
यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री महावीरप्रसाद--
बहुत ही अभद्र शब्द का प्रयोग किया था 'गुंडापन' इसको वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष--
मैंने प्रोसीडिंग को दिखवाया, उसमें यह शब्द नहीं है, इसलिये वापस लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भगवानसहाय--
मेरे एक बुजुर्ग साथी ने जो कहा उससे इस बात का दोषी ठहराने की कोशिश की माननीय नेकराम जी को। मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती अगर यह कहा कि चुप रहिये।

श्री उपाध्यक्ष--
वह तो रूल आउट हो चुका है।

श्री मैनेजरसिंह--
एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बृजभूषणशरण--
मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--
बृजभूषणशरण जी, आपको क्या कहना है ?

श्री बृजभूषणशरण--
मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें हर वक्त अधिकार है कि हम रूल्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। रूल ३०० पर आप ध्यान दें। उसमें है कि व्यवस्था का प्रश्न हम किन-किन बातों पर उठा सकते हैं। ३०० के सब रूल २ में साफ है कि कोई भी प्वाइंट आफ आर्डर उसी वक्त उठाया जा सकता है उस कार्य के मुताल्लिक जो कि हाउस के सामने हो। अब इस वक्त जब हाउस के सामने कोई कार्य नहीं है तो कोई व्यवस्था का प्रश्न भी

[श्री बृजभूषण शरण]

नहीं उठाया जा सकता। अब आप जब एक निर्णय दे चुके हैं और दूसरा कोई कार्य सदन के सामने आया नहीं, तो न तो दूसरा व्यवस्था का प्रश्न ही उठ सकता है और न ही आप के निर्णय पर कोई व्यवस्था हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह ठीक है। अब कोई दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री मैनेजरसिंह---

व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रबली सिंह---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इस वक्त व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री रामसिंह---

आप जिस शब्द पर अभी व्यवस्था दे चुके हैं उससे अलग एक और शब्द माननीय नेकराम शर्मा जी ने दो बार रिपीट किया था उसको मैं हाउस के सामने कहना चाहता हूं, उस पर आप व्यवस्था दें। पहले उनसे कहा गया कि तुम चुप रहो तो नेकराम शर्मा जी ने कहा "यु बुल डाग" इस पर आपको व्यवस्था देना चाहिये। पहले वाले शब्द तो आपको प्रोसिडिंग में नहीं मिले हैं, लेकिन ये दूसरे शब्द जो मैं बतला रहा हूं जिनको कि नेकराम शर्मा जी ने इस्तेमाल किया इन पर आप व्यवस्था दें कि ये अनुचित हैं अथवा नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

नेकराम शर्मा जो आप बतलायें कि आपने ऐसा कहा था या नहीं ?

श्री नेकराम शर्मा---

मुझे अफसोस है कि आप अपनी रूलिंग को खुद रिवाइज कर चुके हैं। आप रूलिंग दे चुके हैं कि प्रोसीडिंग में वे शब्द नहीं हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---

इतनी बमचक में प्रोसीडिंग कैसे लिखी जा सकती है, जो प्रोसीडिंग की बात है वह मानी जायगी। प्रोसीडिंग वाला बेचारा कैसे सुन सकता है ? माननीय सदस्य जो बगल में बैठे हैं उनकी ही बात मानी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसलिये पूछ रहा हूं कि शर्मा जी ने ये शब्द कहे या नहीं, क्योंकि मैं सुन नहीं सका इतने शोरगुल में। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह---

जब आप इतने शोरगुल में माइक आपके पास लगा हुआ है नहीं सुन सके तो प्रोसीडिंग लिखने वाला कैसे इतने हुल्लड़ में सुन सकता था ? उनकी बगल में जो बैठे हुये हैं उनकी बात आपको मानना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने यही तो कहा कि मैंने दिखलवाया और अब माननीय नेकराम जी सदन से चले गये हैं, अब आगे कार्यवाही चलेगी।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

कार्यवाही लिखने के सम्बन्ध में हमको व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। लगातार साल भर से कार्यवाही लिखने के सिलसिले में अविश्वास प्रकट होता आ रहा है। इसलिये कृपा कर

के आप यह व्यवस्था करें कि हाथ से लिखने की प्रथा हटा दी जाय और टेप-रेकार्डिंग की जाय ताकि किसी को अपनी बातों से मुकरने का मौका न रहे ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसका इस वक्त फौरी कोई इन्तजाम नहीं हो सकता ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

यह इन्तजाम आप करिये ताकि इस तरह से अविश्वास सदन में सदस्यों के बारे में न उठा करे ।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री दीपनारायण सिंह के खड़े हो कर बोलने पर) आप कहां खड़े हो कर बोलने लगे, मैंने आपको आज्ञा नहीं दी ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

मेरा प्रस्ताव आयेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं दूसरा काम ले रहा हूं । आपका बाद में देखा जायगा ।

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मेरे पास और आया है । वह माननीय नरसिंहनारायण जी ने दिया है । वह मैं अभी देख नहीं पाया हूं । कल उसके बारे में कहूंगा ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने भी आपकी सेवा में भेज दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय नरसिंहनारायण जी ने जो दिया है उसी में वह भी सम्बद्ध है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

अब एक कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आया है । उसमें व्यक्तिगत बात है और यह कहा जाता है कि गिरफ्तारी हुई । तो व्यक्तिगत गिरफ्तारी हुई हो या कोई कार्यवाही उनके खिलाफ हुई हो उसके लिये वे अदालत में अपनी चाराजोई कर सकते हैं । यहां प्रश्न नहीं उठ सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, वह व्यक्तिगत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो मैंने रूलिंग दे दी उसके बारे में अब कुछ नहीं सुन सकता । आप विराज जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आप अपनी रूलिंग को फिर से रिवाइज कर सकते हैं और ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने काफी विचार के बाद यह तय किया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आप कामरोको नहीं तो दफा ५२ में स्वीकार करते और मुख्य मंत्री को जानकारी के लिये लिये भेजते कि उनके कलेक्टर, खीरी ने जो काम किया है वह अवैधानिक बात की है ।

श्री उपाध्यक्ष—
अब आप शांत रहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—
शांत तो रहूं, लेकिन गिरफ्तारी हो....

श्री उपाध्यक्ष—
आप विराज जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—
हम तो विराज जायेंगे, लेकिन इस प्रदेश में ऐसी बात हो रही है उसको आपको सरकार को बताना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—
उन सब बातों पर मैंने विचार कर लिया, अब आप विराज जाइये ।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—
मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत कई सूचनायें आयी हैं । मैंने एक सूचना को स्वीकार कर लिया है और वह यह है....

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—
माननीय नेकराम जो यहां उपस्थित हैं, आप उनसे वह शब्द वापस करा लें ।

श्री उपाध्यक्ष—
आप बैठ जाइये ।

मैंने दफा ५२ की जो सूचना स्वीकार की है वह इस प्रकार हैं :—

"चालू सप्ताह में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढते जा रहे हैं । तेल साबुन, चाय, तम्बाकू आदि के मूल्यों में काफी वृद्धि हो रही है । दाम और भी बढ़ने की सम्भावना है । मध्यम तथा निम्न वर्ग की जनता के सामने बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गयी है । सरकार मूल्यों का नियंत्रण करने में बिलकुल असफल रही है । अस्तु, जनता में सरकार के प्रति उत्तेजना तथा अविश्वास का वातावरण व्याप्त हो रहा है ।

इसको मैंने स्वीकार कर लिया है और इसी के साथ माननीय काशीनाथ मिश्र का चीनी के भाव के बारे में है, उसकी मैंने सरकार को भेज दिया है । बाकी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या ३९—परिवहन

श्री उपाध्यक्ष—
अब १९६३–६४ के आय-व्ययक पर विचार जारी होगा ।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—
उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय, की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या३९— परिवहन के अन्तर्गत २०,०१,७०,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान अभी मैंने सदन में पेश किया है उसके मातहत और अनुदान संख्या ५२ के मातहत १९६३–६४ के लिये कुल तखमीना २७,५४,२९,८०० रुपये होता है । लेकिन जहां तक परिवहन विभाग का ताल्लुक है, मौजूदा साल का खर्चा २१,६६,१८,३०० रुपये होगा । मुख्तलिफ मदों में जो कमीबेशी हुई है, उसकी तफसील बजट के कागजात में माननीय सदस्यों ने

देखो होगी। इस वक्त उनको दुहराने की जरूरत नहीं है। मामूली तौर से कुछ इजाफा तरक्की वगैरह में हो जाता है। लेकिन इजाफे की खास मदों की तफसील इस प्रकार है...

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—
दो-दो माननीय सदस्य आपके ऊपर हैं।

श्री मुजफ्फर हसन—
३८० नई मोटरें खरीदी जायंगी। जिनमें से ८० नये रूट्स पर चलेंगी, १०० मौजूदा रूट्स पर बढ़ाई जायेंगी और २०० पुरानी गाड़ियों की बदली होगी। इन पर, १,५४,५५,००० पये खर्च होंगे। २०० मील के नये रूट्स का खर्चा २६,२८,००० रुपये होगा। बस स्टेशनों वगैरह के लिये जमीन और इमारत का खर्चा २७,४१,००० रुपये रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—
सदन में शोर बहुत हो रहा है, जरा शांति रहिये।

श्री मुजफ्फर हसन—
वर्कशाप क लिये टूल्स और मशीन वगैरह के लिये ६ लाख रुपया रखा गया है। मथुरा और राबर्ट्सगंज के दो नये इन्फोर्समेंट स्क्वाड पर ९७,००० रुपये खर्च होंगे। रोडवेज आफिसेज और स्टेशनों के लिये बिजली के पंखों की खरीद पर ५०,१०० रुपये खर्च होंगे। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के मातहत बस स्टेशनों पर रखने के लिये फर्स्टेड बक्सों की कीमत १४,१०० रुपये होगी। इसके अलावा मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स रूल्स के मातहत ए० टी० आईज के वार्निंग एलाउन्स पर ७,२०० रुपये खर्च किये जायेंगे।

जहां तक रोडवेज की माली हालत का ताल्लुक है, वह मार्च तक १३ करोड़ रुपये की पूंजी की लागत की थी। इस समय तक रोडवेज ११ करोड़ ४२ लाख रुपया मुनाफे में दे चुका है। इसके अलावा करीब ८ करोड़ ८० लाख रुपये की मालियत का सामान गाड़िया वगैरह रोडवेज के पास मौजूद हैं। इस तरह से सूद निकाल कर मुनाफे और मालियत की कुल रकम २० करोड़ २२ लाख रुपया हो जाती है। आंकड़ों के देखने से बजाहिर यह मालूम होता है कि कैपिटल की रकम लगातार बढ़ रही है। १९५९-६० में यह रकम ९.५ करोड़ थी। उसके बाद हर साल तकरीबन दो करोड़ की बढ़ोत्तरी होती रही और अब १९६२-६३के आखिर तक कैपिटल में करीब १५ करोड़ रुपया हो जायगा। लेकिन इसके साथ डेप्रिसियेशन रिजर्व फंड में भी १.५ करोड़ रुपया हर साल जमा हो रहा है। १९६२-६३ के आखिर में डेप्रिसियेशन रिजर्व फंड में ६.४ करोड़ रुपया जमा हो जायगा। अगर यह रकम कैपिटल से घटा दी जाय तो कैपिटल में खास इजाफा नहीं निकलेगा। आम तौर से किसी भी कामर्शल कंसर्न में डेप्रिसियेशन रिजर्व फंड में उतनी रकम रखी जाती है जितनी सामान को बदलने के लिये जरूरत हो। रोडवेज में यह रकम बढ़ाने की खास वजह यह है कि पुरानी गाड़ियों के बदले में खरीदी गयी नयी गाड़ियों की कुल कीमत इस फंड से अदा नहीं होती बल्कि केवल ४० फीसदी इस फंड से होती है और बाकी कैपिटल से। इस वजह से कैपिटल में रकम बढ़ी हुई मालूम होती है।

जहां तक आमदनी का सवाल, है पिछले तीन सालों में सारा खर्चा और कैपिटल पर सूद देने के बाद जो मुनाफा हुआ वह इस प्रकार है—१९६०-६१ में २ करोड़ १४ लाख रुपया, १९६१-६२ में २ करोड़ १३ लाख रुपया और १९६२-६३ में तकरीबन २ करोड़ १० लाख रुपया। इन आंकड़ों से ऐसा मालूम होता है कि मुनाफा साल व साल कुछ कम हो रहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले तीन सालों से गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, और इमारती सामान वगैरह की कीमतों में, एक्साइज ड्यूटी वगैरह की वजह से काफी इजाफा हुआ है और मौजूदा साल में पिछले साल के मुकाबिले में रोडवेज का खर्चा करीब २० लाख रुपया इस तरह से बढ़ गया है। तनख्वाहों में ऐडहाक इजाफा ७.५ लाख रुपया, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के मातहत एक्स्ट्रा स्टाफ तैनात करने में

[श्री मुजफ्फर हसन]

६ लाख रुपया, डीजल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफे की वजह से लगभग ६ लाख रुपया। खर्चे में साल ब साल जहां इतना इजाफा हुआ वहीं दूसरी तरफ रोडवेज के किराये में कोई इजाफा अब तक नहीं किया गया। पैसेंजर टैक्स के रूप में रोडवेज ने पिछले तीन महीनों में लगभग १९ लाख रुपये की रकम दी है जो उसके मुनाफे में नहीं जोड़ी गयी। अगर इन सब खर्चों को तथा पैसेंजर टैक्स की रकम मिला कर मुनाफा देखा जाय तो यह रकम पिछले सालों के मुकाबले में काफी ज्यादा निकलेगी। इससे जाहिर है कि रोडवेज का काम संतोषजनक और बेहतर हो रहा है।

परिवहन विभाग का खास काम रोडवेज सर्विस को चलाना है। यह मुहकमा इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, रोड टैक्स की वसूली, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की पाबन्दी का भी काम देखता है। माननीय सदस्यों को बखूबी मालूम है कि यातायात की अच्छी और ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने की मंशा से रोडवेज सर्विस को चलाना १९४७ में तय हुआ था। शुरुआत सिर्फ २०० गाड़ियों से हुई थी। लेकिन इस वक्त तक विभाग का और खास तौर से रोडवेज का जो विकास हुआ है उसका अन्दाजा माननीय सदस्यों को उस किताब से हो सकेगा जो विभाग की तरफ से सदन की मेज पर रखी गई है। इस सिलसिले में सिर्फ चन्द बातें अर्ज करूंगा। दिसम्बर सन् १९६२ तक रोडवेज के पास ३,३०७ बसें थीं जिनमें ३,१७८ डीजल और बाकी पेट्रोल से चलने वाली हैं। ये बसें ९,३२४ मील लम्बी सड़क पर चल रही हैं। बसों के अलावा रोडवेज के पास १३८ ट्रक और ८१ टैक्सियां हैं। जनता और कारपोरेशन की मांग पर पहली फरवरी सन् १९६३ से कानपुर की सिटी बस सर्विस को भी रोडवेज ने चलाना शुरू किया है। इसकी वजह से बसों की तादाद और रोड मील में मजीद इजाफा हो गया है। सेंट्रल वर्कशाप कानपुर में दो नये सेक्शन खोले गये हैं जिनमें पुराने पुर्जों को फिर से काम में लाये जाने के काबिल बनाया जायगा जिससे न सिर्फ संचालन के खर्च में कमी होगी बल्कि फारेन एक्सचेंज भी बचेगा। इसके अलावा इमर्जेन्सी के कारण रोडवेज ने मिलिटरी के लिये ५ हजार ड्राइवरों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा लिया है। यह काम तीन सेंटरों में—लखनऊ, इलाहाबाद और अलीगढ़ में शुरू हो गया है और जल्दी ही मेरठ में भी शुरू होगा। रोडवेज की ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कीम में भी ट्रेनिंग पाने वालों की तादाद ५० से बढ़ाकर १०० कर दी गई है। इन दोनों स्कीमों के जरिये ड्राइवरों की कमी दूर करने की कोशिश की जा रही है। पहली अक्तूबर, १९६२ से मोटर गाड़ी यात्री कर प्राइवेट बसों और रोडवेज दोनों पर लगा दिया गया है जिससे इस साल साठ लाख रुपये की और सन् १९६३–६४ में १ करोड़ ७५लाख रुपये की आमदनी होने का अन्दाजा है। दिसम्बर, सन् ६२ तक रोडवेज में लगभग २२ हजार कर्मचारी काम कर रहे थे।इ नमें से करीब-करीब ८० फीसदी ऐसे लोग हैं जो लेबर लाज के मातहत एम्प्लायीज प्राविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस और ओवरटाइम वेजेज के मुश्तहक हैं। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के मातहत भी बहुत सी सहूलियतें कर्मचारियों को दी जाती हैं। अच्छा काम तथा गाड़ियों की ठीक देखरेख रखने के इनामात और आनरैरियम भी दिये जाते हैं। बड़े-बड़े स्टेशन पर स्टाफ के ठहरने के लिये रनिंग रूम का भी इन्तजाम हो रहा है और कुछ जगह हो चुका है। इस तरह बराबर यह कोशिश जारी है कि जनता और कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जायं।

सदन का ज्यादा वक्त न लेकर मैं आखिर में सिर्फ इतना और अर्ज करूंगा कि परिवहन विभाग का मकसद आम जनता की सेवा करना है। विभाग की बराबर यह कोशिश रही है और आइन्दा भी रहेगी कि इसके जरिये जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सके। फिर भी मैं यह दावा नहीं करता कि विभाग के संचालन में कहीं पर कोई खामी नहीं है। विभाग की बेहतरी के लिये अपनी निजी जानकारी के आधार पर माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उनका मैं स्वागत करूंगा और उन्हें भरसक अमल लाने में की कोशिश करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदन इन मांगों को मंजूर करेगा।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करा हूं कि अनुदान संख्या ३९— परिवहन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी हमारे मंत्री जी ने कुछ विवरण रखा और बताया कि हमारे इस विभाग में लाभ है । मैं मानता हूं, इसमें लाभ है । लाभ और भी अधिक हो सकता था, लेकिन हमारे इस विभ ाग के आफीसर्स विभाग का निरीक्षण और देखरेख ठीक से नहीं करते । उनका नियंत्रण बहुत ढीला है और उसकी बहुत उपेक्षा वह करते हैं । मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां के कुछ अफसर और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बिजनौर चले गये और वहां पर जीप का प्रयोग किया । वह एक हाथी ढूंढते रहे ताकि उसका प्रयोग शिकार के लिये किया जा सके, लेकिन वह नहीं मिला । गाड़ी पर भैंस का कटरा ले जाकर प्रयोग किया गया । तो यह विभाग बड़ी उपेक्षा करता है । इतना ही नहीं, इस विभाग के पास जो पैट्रोल की गाड़ियां थीं उनको खत्म कर दिया गया, लेकिन स्टाक में इतने पुर्जे लेकर रख दिये गये कि जो बहुत बड़ी संख्या में थे । लगभग २९ लाख २७ हजार के पुर्जे थे । अगर वह चाहते तो इस विभाग के पास जो पुर्जे थे उनको दूसरे विभागों को दिया जा सकता था और उनकी खपत हो सकती थी, लेकिन उनको कोई चिन्ता नहीं रही कि इन पुर्जों को कैसे बेचा जाय और इस २९ लाख के स्टाक को कैसे खत्म किया जाय।

इतना ही नहीं यदि आडिट रिपोर्ट को देखा जाय तो बहुत बड़ी संख्या में गड़बड़ मिलेगी । जो चीजें इस विभाग में आज तक खरीदी गई हैं उनकी आज तक कोई अकाउंटिंग नहीं है । वह विभाग वैसे ही पड़ा हुआ है । उनका हिसाब टैली नहीं करता है । ओरिजिनल रजिस्टर में कुछ हिसाब आयेगा और दूसरे रजिस्टर में कुछ हिसाब आयेगा । उनको कोई पता नहीं है कि हमारा कितना सामान कहां पड़ा है, कैसा है और कहां जा रहा है । इस वजह से लास और ज्यादा हो जाता है । अगर इसके ऊपर सही रूप में नियंत्रण किया जाता तो इस विभाग में काफी तरक्की होती और काफी लाभ होता, लेकिन इस लूज एडमिनिस्ट्रेशन की ही वजह से, इतना घाटा दिखाई पड़ता है । आज माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम कुछ रूट्स ले रहे हैं । कुछ तो रूट्स आप ले लेते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं । जिस रूट को मंत्री जी चाहते हैं ले लेते हैं और जिसको चाहते हैं छोड़ देते हैं । यह किसी मंत्री के कहने से भी हो सकता है और किसी मंत्री की मेहरबानी हुई तो उसको छोड़ दिया जाता है । यह बहुत ही गड़बड़ी की बात हो जाती है कि कुछ को ले लिया जाता है और कुछ को छोड़ दिया जाता है । ऐसी बात नहीं होनी चाहिये क्योंकि प्राइवेट चालक उसमें बहुत अव्यवस्था पैदा कर देते हैं । उनकी मोटरों में सीटिंग का प्रबंध खराब होता है जिससे जनता को बहुत कष्ट होता है । उनके लिये फिटनेस का प्रमाण देने में भी बहुत घपला होता है । उनकी हालत खराब होते हुये भी उनको फिट कर दिया जाता है । फिटनेस का सर्टिफिकेट उनके पास ६ महीने के बाद आता है । अगर उसको साल भर का कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा । इसको फिट करने का अधिकार आर० टी० ओ० के पास नहीं रहना चाहिये, बल्कि आर० टी० ए० के पास रहना चाहिये, क्योंकि उनके आफिस में बहुत ज्यादा घपला होता है । आपरेटर्स से जब डिफेन्स फंड का रुपया मांगा गया तो उन लोगों ने रुपया नहीं दिया और कह दिया कि हमारे पास नहीं है । तो फिर उसके बाद उनको तंग किया गया । बाद में उनके ऊपर जुरमाना किया गया । जिन लोगों ने दिया उनको रसीद नहीं दी गई और किसी को रसीद दी भी गई । जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे २५ रुपये हैं उसमें से १० रुपया ले लो और १५ रहने दो । इस तरह से १० रुपया लेकर १५ रुपया उनके पास छोड़ दिया गया । इस तरह की गड़बड़ी फिटनेस के ऊपर हुई है । इसको देखना चाहिये और इसको रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । इसलिये मैंने शुरू में कहा कि इस विभाग पर सरकार का नियंत्रण नहीं है । इस विभाग के अन्दर जो हमारी दौलत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हिम्मतसिंह]

लगी हुई है उसको सरकार को देखना चाहिये और सरकारी अधिकारियों को देखना चाहिये । लेकिन सरकार के अधिकारी उसको नहीं देखते हैं । मैं चाहता हूं कि जो इस तरह की गड़बड़ी चल रही है उसको सरकार रोके । इस मुहकमे के अन्दर नियंत्रित ढंग से काम किया जाय तो हम समझते हैं कि काफी लाभ हो सकता है । किन्तु मुझे यह मालूम पड़ता है कि इसमें चोरी भी हो सकती है, पार्ट्स भी बाहर जा सकते हैं । और टूल्स भी बाहर जा सकते हैं । तो इस तरह का जो घपला हो सकता है उस पर नियंत्रण होना चाहिये । इस तरह की बातों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है ।

अभी मैं आपको बतलाऊं कि बिजनौर में शादीपुर स्थान पर एक स्टेशन बनाया गया । वहां पर थर्ड क्लास ईंटें भर दी गई । जब इस तरह की शिकायत आती है तो यह मालूम पड़ता है कि हमारे प्रशासन का नियंत्रण ढीला है । इसी कारण ये सारी बातें चलती हैं । छुट्टी का नियम नहीं है । अफसर जिस तरह से चाहें करते हैं । पिछली बार २०० गाड़ियों के लिये रुपया लिया गया था, उसको खर्च नहीं किया गया । पता नहीं कि वह रुपया कहां गया और कैसे खर्च किया गया । उसका पता नहीं चला । मान्यवर, इस बात को देखें कि पैसेन्जर को ले जाने के लिये दो तरह की एजेन्सी काम करती हैं । एक प्राइवेट आपरेटर हैं और दूसरे गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं । यह सारा काम एक ही विभाग के अन्तर्गत है । एक ही अफसर इस सब को कट्रोल करता है, लेकिन जहां पर प्राइवेट बसों का सवाल आकर पड़ता है वहां पर उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है और रोडवेज के कर्मचारी इस बात के लिये उनको दबाते हैं और कोशिश करते हैं । लिहाजा इन प्राइवेट आपरेटर्स और गवर्नमेन्ट इन्टरप्राइज दोनों के अलग-अलग विभाग होने चाहिए जिससे कि वे अपनी तरक्की कर सकें । मैं तो इस विचारधारा का हूं कि सरकार अपनी मोनोपोली लाती जा रही है और उसके कारण किराया बढ़ता चला जा रहा है । आप देखें कि जहां पर रेल कम्पिटीशन में आ गई है, वहां पर तो किराया कम हो गया है, परन्तु जहां पर रेल कम्पिटीशन नहीं है वहां पर किराया ज्यादा है । जहां पर इनकी होल सोल मोनोपोली है वहां के किराये से आप तुलना करें तो आप को अन्तर मालूम होगा । मेरा तो यह निश्चित मत है कि जहां प्राइवेट आपरेटर्स चलें और आप की रोडवेज भी चलें, जिससे कि कम्पटीशन हो और फिर उसके बाद किराया ढंग से लिया जाय जिससे कि जनता को सुविधा पड़े । मैं तो यही स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो चीज जनता वास्तव में कर सकती है, उसे जनता को ही करने दिया जाय न कि उसे अपने हाथ में ले लिया जाय । आप को जनता को भी प्रोत्साहन देना चाहिये । आप देखें कि ऐसा न करने से बराबर भ्रष्टाचार दढ़ता चला जा रहा है और असंतोष बढ़ता जा रहा है । इन सारी बातों को देखने के लिये और उन्हें सुचारुरूप से चलाने के लिये आप उन पर नियंत्रण रख सकते हैं । न कि यह कि आप उस पर अपनी मोनोपोली करते चले जायें ।

आप को मैं यह बता देना चाहता हूं आर० टी० ओ० जो कि प्राइवेट आपरेटर्स को लाइसेन्स देता है, उसमें बड़ा ही घपला होता है । मेरा सुझाव यह है कि जो उनका रिप्रेजेनटेशन है, उसको माननीय मन्त्री जी समाप्त कर दें । मोटर यूनियन प्रतिनिधि उसमें रख दें । आज यह प्रत्यक्ष हो गया है कि हर एक आर० टी० ओ० कमेटी में कांग्रेस दल के एम० एल० एज० जाते हैं और उसके टिकट को धड़ाधड़ अपनी ३ पार्टियों के लोगों को बेचते हैं और अपने निजी आदमियों को बेचते हैं । आप देखें कि लोगों ने हजार रुपया नकद तक लेकर बेचा है । लिहाजा यह रिप्रेजेनटेशन समाप्त किया जाना चाहिए ।वरना उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्यों कि वहां पर यह सौदेबाजी होती है । इतना ही नहीं है, आप देखें कि मंत्रिगणों के लेटर्स तक जाते हैं कि हमारे आदमी को परमिट दे दो । आपको बताऊं कि इत्तफ़ाक़ से वह लेटर फाइल में चला गया । जब वह एपिलेट कोर्ट में जाता है और ट्रिबुनल में जाता है तो मालूम पड़ता है कि वह मंत्री जी का लेटर था । इस तरह से आप देखें कि मंत्रियों के लेटर तक

पकड़े जाते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह यह निवेदन करूंगा कि इस विभाग की ओर से जो परमिट दिये जाते हैं उनको अछूता छोड़ दें, वह गरीब जनता के लिये छोड़ दें।

मैं आप को यहीं लखनऊ शहर की बात बताता हूं कि यहां पर मीना ट्रांसपोर्ट और यूनीवर्सल ट्रांसपोर्ट को ही २०-२० परमिट मिले हुए हैं। मालूम नहीं वह माननीय मंत्री जी के घर के हैं।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

क्या वह भी कांग्रेस के वर्कर हैं जिन को कि परमिट दिये गए हैं?

श्री हिम्मतसिंह—

आप कौन-सा पूछ रहे हैं? खैर, यह तो माननीय हरीसिंह जी की आदत है, आप मेरे कमरे में आ जाइयेगा, मैं आप को बाद में बता दूंगा।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

जब सही बात बताई जाती है, तो उसको सुना भी नहीं जाता है।

श्री हिम्मतसिंह—

मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि उनको २०-२०लाइसेन्स दिए गए हैं। आप को इस परिपाटी को खत्म करना है। आप प्रजातंत्र में समानता लाना चाहते हैं, लेकिन समानता एक ही ही घर में १५-१५ और २०-२० लाइसेंस देकर नहीं लाई जा सकती है। कुछ और भी ऐसे उदाहरण हैं जिनमें लाइसेंस दिये गए हैं, परन्तु यदि मैं नाम ले लूं तो चिड़चिड़ाहट पैदा हो जायगी। फिर भी जिनको शंका हो, वह मेरे कमरे में आ कर मुझ से पूछ सकते हैं। यदि कहेंगे तो मौके पर चल कर मैं तसदीक भी करा सकता हूं। वह कागजात मौजूद हैं। वह कागज अभी तक सुरक्षित हैं जिनमें जजमेन्ट दिया गया है। हां, यह हो सकता है कि वह रिकार्ड गलत हो या मंत्री जी के किसी ने फर्जी सिगनेचर बना कर रख दिये हों। इसलिये मैं कह रहा हूं कि आर० टी० ए० में रिप्रेजेंटेशन पोलिटिकल आधार पर समाप्त होना चाहिये। मोटर यूनियन की सदस्यता उस रीजन में चलाने वाले लोगों को मिलना चाहिये जिससे जनता में परमिट पाने वालों को सन्तोष हो। ऐसी सड़कें हैं जहां हजारों की तादाद में ऐप्लीकेशन्स आती हैं, उन पर टिकट लगता है और ३-३ साल तक नाम नहीं लिया जाता कि परमिट मिलेगी या नहीं। यह जो अव्यवस्था हो रही है उसको खत्म करना चाहिये।

टूरिस्ट डिपार्टमेंट सन् १९६२ में मन्त्री जी की कृपा से खत्म हो गया और खर्चे में कमी हुई, लेकिन अब फिर तैयारी हो गई कि खुलेगा। यह विभाग भी अपने पास ले लिया गया जोकि पहले सेपरेट था। तो क्या जरूरत है कि यह २,४२,००० रुपया सेपरेट खर्च करने जा रहे हैं? लेकिन जो उस विभाग में थे उनको नहीं लिया जा रहा है। कम से कम उन लोगों को तो लिया जाय। मेरा विचार तो था कि इसको बन्द कर दिया जाय। जब केन्द्र से चल रहा है तो इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर रखना ही है तो लखनऊ में भी रखा जाना चाहिये जिससें लखनऊ वाले भी उसका लाभ उठा सकें।

आज आपके सामने जितने भी केसेज हैं उनके बारे में प्रासीक्यूटर्स पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं कि तुम्हारे केस में यह किये देते हैं। इस प्रकार से वह जज का भी काम करते हैं और निर्णय भी देते हैं। तो ऐसें प्रासीक्यूटर्स जो १०-५ साल से एक जगह हैं उनका तबादला हो जाना चाहिये। क्योंकि अधिक दिनों तक रहने पर उनकी जजेज के साथ साठ-गांठ हो जाती है और वही जजमेंट हो जाता है।लिहाजा इन प्रासीक्यूटर्स का २-३ साल के बाद ट्रांसफर हो जाना चाहिये। क्योंकि अधिक समय तक जहां पानी गड्ढ़े में भरा और निकाला नहीं गया तो उसमें सड़न पैदा हो ही जाती है।

[श्री हिम्मतसिंह]

इसके अतिरिक्त कुछ टैक्सियां हैं रोडवेज में। श्रीराम जी ने बतलाया कि हमने गाड़ी २५ दिसम्बर को श्रोरे-धोरे मांगी। झगड़ा यह पड़ गया कि हाथी मंगाने गयी है, रीजनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गये हैं। इसलिये ४ दिन के बाद डेढ़ सौ रुपया दाखिल करने पर मिली। उसमें इतनी कठिनाई पड़ी और हर अवसर पर कठिनाई पड़ती है। तो जब टैक्सियां हैं तो जनता का रुपया दाखिल होने में विलम्ब क्यों होता है? उनको अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिये। बैंक में दाखिल करना और जिनका दाखिल हो गया है उसें विद्ड्रा करने में काफी दिक्कत होती है। इसलिये ऐसे नियम बनने चाहिये जिससे अधिक उपयोग उन टैक्सियों का हो सके। जनरल एलेक्शन में 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व' का सिद्धान्त माना जाता है, लेकिन एक ही पार्टी को सारी की सारी जीप कारें दे दी जाती हैं और सब सुविधा दी जाती है। इसलिये जो सुविधा आम जनता को मिलनी चाहिये वह सभी को मिलनी चाहिये, यह नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को ही मिले।

यह विभाग सेकेंड वर्ल्ड वार के आखिर तक चला और सन् १९४७ में जनता को ढोने का काम भी होने लगा, लाखों आदमी इसमें काम करते हैं और सन् १९५४ तक ५-५ साल का पीरियड देकर उसें जीवन दान दिया जाता रहा और लोगों की बेकारी दूर हुई। लेकिन उन कर्मचारियों की गर्दन एक कच्चे धागे से बन्धी हुई है, न जाने वह कब टूट जाय, क्योंकि सन् १९५४ से अभी तक उन लोगों को परमानेंट नहीं किया गया है। अगर उनको स्थायी कर दिया जाता है तो वे कार्य भी ठीक करेंगे और अपने कार्य में दिलचस्पी भी लेंगे। उनको छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। डेली वेजेज पर उनको रखना ठीक नहीं है। पी० डब्लू० डी० में तो ठीक है, कहीं आपको गड्ढे आदि खुदवाना हुये, तो आप उनको रख लेते हैं। यहां इसकी क्या जरूरत है?

सेंट्रल वर्कशाप कानपुर में कुछ वर्क्स हैं ऐसे, लेकिन आप उनको इंडस्ट्रियल लेबर मानते हैं या गवर्नमेंट लेबर? अगर आप उनको इंडस्ट्रियल लेबर मानते हैं, तो आपको उनको बोनस देना चाहिये। अगर सरकारी मानते हैं तो उनको वही सुविधायें मिलनी चाहिये जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। उनके लिये २७ जनवरी को होने वाला आर्डर क्यों नहीं लागू किया जाता? उसको वहां भी लागू किया जाना चाहिये और ५ रुपये उनको भी मिलना चाहिये।

आज हमारे प्रदेश में इतनी तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं कि उसके कारण आये दिन ऐक्सीडेंट हुआ करते हैं। उनको रोकने के लिये सरकार ने कोई चीज नहीं की। उनकी स्पीड को कन्ट्रोल करना चाहिये।

ऐक्सीडेंट में जो लोग मरते हैं उनके परिवार वालों को कम्पेन्सेशन मुश्किल से मिल पाता है उसमें कई-कई साल लग जाते हैं। इसलिये सरकार को कोई एक कम्पेन्सेशन बोर्ड की स्थापना करनी चाहिये जो मामले की जांच करके दो-ढाई माह में कम्पेन्सेशन आदि दे सके।

जो यात्री सफर करते हैं बसों में, उनमें ९० फीसदी अनपढ़ होते हैं। मोटरों के नम्बर आदि न जानने के कारण कभी-कभी वे रह जाते हैं और बस छूट जाती है। उनके टिकट वापस होने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को १५-२० मिनट का एक टाइम तय कर लेना चाहिये कि अगर उतने समय में कोई टिकट वापस हो, कोई यात्री रह जाय, तो वह वापस हो सके। इन सब कठिनाइयों को दूर करने से जनता को और अधिक सुविधायें पहुंचाई जा सकती हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे सुझावों पर बिचार करने की कृपा करें।

*श्री हरीसिंह—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय परिवहन मन्त्री जी को इस अनुदान के पेश करने के लिये बधाई देता हूं और इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं जो केवल चन्द बातें कहने के लिये ही रखा गया है। जब प्राइवेट बसों में बहुत गड़बड़ियां होती थीं और यात्रियों को असुविधा होती थी, तो सरकार का ध्यान उस ओर गया और इस विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग में जो कर्मचारी काम करने वाले हैं वे सब हमारे ही देश के रहने वाले हैं। हमारे भाई हैं, और वे जितनी सुविधा जनता को पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं। कोई विभाग भी हो, कुछ न कुछ त्रुटियां तो रह ही जाती हैं, मगर जितनी सुविधा इस विभाग द्वारा जनता को पहुंची है, सरकार को भी जितना लाभ इससे हुआ है उतना अन्य किसी विभाग से नहीं हुआ। जो कुली थे, उन्होंने भी इस विभाग में प्रवेश करने के बाद कुछ सीखा है और जो उसके अधिकारी हैं वे वाकई में सोचते हैं कि देश का निर्माण हो। उन्होंने मन लगाकर रात दिन काम करके इस विभाग को बढ़ाया है, मुनाफा करके दिखाया है, जब कि लोग समझते हैं कि यह विभाग चलने वाला नहीं है। मन्त्रिगण जिनके पास यह विभाग रहा है उन्होंने मेहनत करके इस विभाग का मार्ग प्रदर्शन किया है। मैं उन सब लोगों की सराहना करता हूं।

इसमें एक विभाग है टूरिंग विभाग। इससे जो आमदनी होती है वह रिक्श वालों और कुलियों आदि गरीबों को जाती है, लेकिन उस विभाग को कम किया जा रहा है। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसमें वे ज्यादा से ज्यादा रुपया रखें और इस टूरिंग विभाग को बढ़ायें ताकि विदेशों से लोग आयें और हमारे यहां गरीबों, दूकानदारों, कुलियों और रिक्शेवालों को अधिक आमदनी हो सके। बजट में इस विभाग में कमी करना उचित नहीं है।

परमिट के बारे में बहुत शिकायत की गयी कि कांग्रेसी लोगों को अधिक मिल जाते हैं। प्रत्येक जिले के प्राइवेट परमिट वालों के आंकड़े ले लीजिये और उसमें देख लीजिये कि कितने परमिट कांग्रेस वालों को मिले हैं और कितने पी० एस० पी० या दूसरी पार्टी वालों को। राजनीतिक सिपाहियों को तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। एक तो वैसे ही राजनीतिक पीड़ितों को परमिट नहीं मिलता है अगर वे जाते हैं तो अफसर लोग उनसे बात तक नहीं करते, तिस पर कहते हैं कि कांग्रेस वालों को परमिट दे दिये जाते हैं। यह चीज ठीक नहीं है। राजनीतिक पीड़ितों को तो और अधिक परमिट दिये जाने चाहिये। गन्दी सड़कों पर रोडवेज की बसें चलें और अच्छी सड़कों पर प्राइवेट बसेज चलें जिससे रोडवेज वालों को मालूम हो कि खराब सड़कों पर क्या तक्लीफ होती है ताकि वे शीघ्र बना दी जायं। पंजाब में पूरी सड़क नहीं ली जाती है उस पर प्राइवेट बसेज भी चलती हैं। ऐसा यहां भी किया जाय जिससें लोगों को यह मालूम हो कि प्राइवेट बसेज वाले कितनी सहूलियत देते हैं और सरकार कितनी सहूलियत देती है। मैं तो गढ़मुक्तेश्वर के मेले में देखता हूं कि रोडवेज के अधिकारी जितनी सुविधा लोगों को प्रदान करते हैं उतनी सुविधा प्राइवेट बस वालों ने आज तक नहीं प्रदान की। इसलिये मेरा निवेदन है कि गरीब लोगों को परमिट दिये जायं, राजनीतिक पीड़ितों को दिये जायं। आज जो स्वयं चलाते हैं उनके पास परमिट नहीं, लेकिन जो सरमायेदार हैं उनके पास परमिट हैं। इस पर भी आप कहते हैं कि मिनिस्टरों की चिट्ठी चली जाती है। कौन से मिनिस्टर की चिट्ठी गयी है? वे तो मिनिस्टर हैं, उनको तो कुछ अधिकार भी हैं। यह हमारी सरकार है, बहुमत दल की सरकार है। फिर भी सरकार हमारी पार्टी के एम० एल० ए० की बात न सुन कर विरोधी दल के लोगों की बात सुनती है और उनकी सलाह के अनुसार काम करती है। फिर भी आप सरकार पर दोषारोपण करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

आप लोगों के कहने के अनुसार ही मन्त्री जी काम करते हैं, इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। विशेषतौर पर कानपुर के अन्दर आप लोग गलत तौर पर काम कराये हैं और फिर हमारी पार्टी पर और हमारी सरकार पर लांछन लगाते हैं। इसके लिये सबसे ज्यादा दोषी आप ही लोग हैं। मिनिस्टर से आप लोग कहते हैं कि ऐसा कीजिये और वे भी वैसा ही करते हैं। इसलिये मुझे इस बात का दुख है कि हमारी सरकार अपने ही अंग के लोगों की बात पर ध्यान नहीं देती है, आपकी बात पर ही सरकार ध्यान देती है, फिर भी इस जन-कल्याणकारी सरकार की आप लोग बुराई करते हैं जिसकी बदौलत ही आज जनता का ज्यादा कार्य होता है। जानबूझ कर आप लोगों की सिफारिशों पर ही सरकार ध्यान देती है और गरीब जनता का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होता। वर्कशाप्स के अन्दर भी आप के लोग भरे हुये हैं जो वहां जाकर गड़बड़ी करते हैं। अक्सर पुर्जों की चोरी होती रहती है और उसके लिये आप लोग सरकार को बदनाम करते हैं। अगर एक चोरी करने वाले को ही सख्त सजा दे दी जाय तो आगे किसी की हिम्मत चोरी करने की नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा न करके छानबीन किये बिना ही सम्बन्धित फाइलों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इससे सरकार को भी नुकसान है तथा जनता का भी नुकसान है। इसलिये इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि जहां से मोटरें व बसेज खरीदी जाती हैं उस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि जनता के पैसे का दुरुपयोग न हो। जहां तक हरिजनों को सर्विस में १८ प्रतिशत तक रखने की बात है, इन दो तीन वर्षों के बीच में औरों को रखना तो दूर रहा, बल्कि जो पहले से रखे गये थे उनमें से भी बहुत से निकाल दिये गये। इसलिये सरकार को इस तरफ भी देना चाहिये जिससे हरिजनों का हित सुरक्षित रहे।

दिल्ली के स्टेशन पर जनता को टिकट आदि मिलने में बड़ी परेशानी होती है तथा जगह की भी बहुत कमी रहती है। अगर जरूरत हो तो सरकार और जगह ले ताकि यात्रियों को विशेष सुविधा मिले।

जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, विरोधी पक्ष के लोग ही अपने आदमियों को इस विभाग में अधिक भेज देते हैं और माननीय मन्त्री जी भी उनकी बात ही अधिक सुनते हैं। ऐसे कर्मचारी ही वहां जाकर गड़बड़ी करते हैं और बदनामी सरकार की होती है। जनता को उनके द्वारा सहयोग व सुविधा नहीं मिल पाती जिससे सरकार की बदनामी होती है। और फिर आप लोग यहां क्वेश्चन करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार विरोधी पक्ष वालों से इतना डरती क्यों है? दिल्ली बस स्टेशन पर यात्रियों को टिकट लेने के लिये घंटों खड़े रहना पड़ता है। कोई भी आफिसर मेरे साथ चले तो मैं उसे दिखला सकता हूं कि दिल्ली बस स्टेशन की दशा क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका दिल्ली से क्या ताल्लुक है?

श्री हरीसिंह—

दिल्ली में यू० पी० रोडवेज का आफिस है। जो ठेका ठेकेदारों को रोजवेड की इमारतें बनाने के लिये दिया जाता है उनको सूचित कर देना चाहिये कि यह जनता का विभाग है जिसके लिये जनता से ही पैसा आता है और इसलिये उनको जनता के कामों में काफी दिलचस्पी लेनी चाहिये। अक्सर देखा गया है कि इस विभाग के कामों में ठेकेदार कोई दिलचस्पी नहीं लेते कि इमारतें पुख्ता बनें, जिससे दीवाल की दीवाल ढह जाती है। इसी तरह का एक उदाहरण मेरठ में मौजूद है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार विरोधी दल से अपने को बचावे। जो बात वे कहते हैं उसी को सरकार सुनती है। विरोधी दल वाले तो सरकार का विरोध करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं और दूसरे की सुनने के बजाय स्वयं शोर मचाने लगते हैं।

लोगों की सुनिये अपनी कहिये, लेकिन यहां क्या है दूसरे की सुनना तो बहुत दूर रहा, कई-कई आदमी उधर से एक साथ खड़े हो जाते हैं और शोर मचा कर अपनी बात कहने लगते हैं। क्या यही हाउस की मान मर्यादा को रखने वाली बात है ? मैं इसीलिये नम्र निवेदन करता हूं कि जब इधर के माननीय सदस्यों ने सोच लिया है कि सरकार को छोड़ कर आपको भी गाली ही देनी है तो फिर इस कल्याणकारी राज्य की सरकार को, जिस पर इस प्रदेश की जनता हित-संपादन का बोझ है और जो प्रदेश को समृद्धिशाली बनाना चाहती है, जिस प्रकार से बना रही है वैसी कभी कोई भविष्य में बना नहीं सकता, उस सरकार के लिये एक शब्द भी प्रशंसा का कहीं निकलता है ? क्या एक भी भला काम यह सरकार नहीं करती है ? लेकिन वे तो बुराई करेंगे ही, ये ठाकुर साहब हैं। वह बुराई करते हैं कि जो हमेशा जनता का शोषण करते रहे। हमारे सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट भाइयों का तो कर्त्तव्य ही हो गया है सरकार की कटु आलोचना करने का और शोर मचाने का। इससे भला होने वाला नहीं है। इसीलिये मैं नम्र निवेदन करता हूं कि यह कटौती का प्रस्ताव वापस हो और मन्त्रिगण कृपया मेरी शिकायतों पर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटमोशन रखा गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह कहने में मुझे किसी प्रकार की हिचक नहीं है कि यह विभाग और विभागों से बहुत अच्छा है। जनता का सम्पर्क जिन विभागों से ज्यादा होता है और उनके सम्बन्ध में जनता की शिकायतें कम होती हैं वह विभाग सराहनीय कहा जा सकता है। इस विभाग में जितना अच्छा काम होता है उसको देखते हुये हमें तकलीफ इस चीज की है कि जिन कार्य-कर्ताओं के परिश्रम, तत्परता और लगन से काम करने के फलस्वरूप करोड़ों रुपयों का फायदा हो रहा है उनकी ओर इस सरकार का ध्यान रंचमात्र भी नहीं जाता है। श्रीमन्, आप देखेंगे, आपका सम्बन्ध भी होगा कि हजारों की तादाद में बस कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स ऐसे हैं जो एक दिन में १०, १२ घंटे तक सरकार का काम करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय रामसुन्दर जी, आप बाद में बोलियेगा। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---

अधिष्ठाता जी, मैं निवेदन कर रहा था कि इस विभाग के जो कार्यकर्त्ता हजारों की तादाद में हैं जितना वह इस सूबे को लाभ पहुंचाते हैं और सरकार का खजाना भरते हैं उतना ही उन्हें आराम नहीं मिलता और साथ ही उनके वेतन, नौकरी और सुरक्षा आदि की व्यवस्था सरकार की नजरों में नहीं है। हमें बड़ा दुख होता है कि अभी तक इस विभाग की सेवा नियमावली भी नहीं छपी है और न वह सदस्यों के सामने वितरित ही हुई है। जिस विभाग का संगठन सन् १९४७ में हुआ हो और जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हों उनकी सेवा नियमावली यदि सरकार आज तक प्रस्तुत न कर सके तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है। इस तरह से इस विभाग का सारा काम प्रायः समाप्त हो जाता है। सरकार की नजरों में १० घंटे काम करने के बाद भी उनकी हालत नहीं दिखाई देती। हमने इस कार्यकलाप को पढ़ा है और सदन जब स्थगित हुआ था तो कबूतरखाने में हमें एक चिट्ठी श्री देवकीनन्दन मित्थल, सचिव की मिली जिसमें यह लिखा है कि परिवहन विभाग की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है इसलिये थोड़ी देर हो गई है, वह पूरे सदन के सदस्यों को नहीं मिल सकी हैं,

[श्री रामसुन्दर पाँडेय]

और माननीय सदस्य चाहें तो विधान पुस्तकालय में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लें। मैं आपकी नालेज में यह चीज लाना चाहता हूं और सरकार की ओर से जो नियमों का पालन होता है उसकी जानकारी मैं आपको कराना चाहता हूं। सरकार की और से पूरा रिपोर्ट सदस्यों को न दी जाय इससे सबको बड़ा खेद है और सरकार को इस तरह का व्यवहार न करना चाहिये। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्राइवर और कन्डक्टरों के आराम के लिये सभी बड़े-बड़े स्थानों पर रनिंग रूम नहीं हैं और वह केवल मुख्य १-२ स्थानों पर हैं। आप जिस जिले से आते हैं, आपने स्वयं बलिया आजमगढ़ में देखा होगा और उन दो तीन जिलों की जहां तक मैंने जानकारी हासिल की है, ५-६ ऐसे रनिंग रूम होंगे जहां पर दस पांच ड्राइवर बैठ कर रात को आराम कर सकते हों। ऐसे भी स्थान हैं जहां से पचासों वाहन पास करते हैं और रुकते भी हैं, लेकिन वहां कोई रनिंग रूम नहीं है। जिन कर्मचारियों के बलबूते पर सरकार के खजाने में हजारों रुपया आता है उनको सरकार जरा भी सहूलियत न दे सके यह बहुत ही दुख की बात है। दूसरे जब सेवा नियमावली ही नहीं बनी है तो उनकी नौकरी कैसे सुरक्षित रह सकती है? यह बड़े ताज्जुब की बात है। यह ड्राइवर, कन्डक्टर और बुकिंग क्लर्क.....

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं, कोरम नहीं है, केवल ३८ सदस्य ही हैं।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं निवेदन कर रहा था कि सेवा नियमावली न होने के कारण उन को जो लाभ होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। आप देखें कि सरकार के इस विभाग में एक काम के लिये ही दो प्रकार के वेतन दिये जाते हैं। कंडक्टर जो एक छोटा कर्मचारी होता है उनको २ प्रकार का वेतन मिलता है। एक तो हाई स्कूल पास हैं और कुछ पुराने हैं कि जो फेल हैं। उनका काम सबका एक है और वेतन अलग-अलग है।

मैं जानता हूं इस प्रदेश में सरकार के विभाग में या गैरसरकारी विभागों में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर एक ही काम की योग्यतायें अलग-अलग भले ही हों, लेकिन पुरस्कार, और वेतन एक सा दिया जाता है। यह जो परिपाटी कंडक्टर के साथ बरती जा रही है, इसको खत्म करना चाहिये और उन्हें एक तरह का वेतन भोगी बनाना चाहिये। आप देखेंगे कि कंडक्टरों से सरकार बुकिंग क्लर्क का काम लेती है और तनख्वाह उनकी कंडक्टर की होती है। इस तरह की जो परिपाटी है उसको बन्द करना चाहिये।

इस विभाग की सबसे बड़ी कर्मशाला कानपुर में है। उसको मैंने देखा नहीं, लेकिन कागजों को देखकर बड़ी तकलीफ हुई कि आज के जमाने में जब सरकार चाहती है कि एक एक पैसा बचाया जाय, करीब २५, २६ लाख रुपये का सामान वहां पड़ा हुआ है और सड़ गल रहा है। सरकार की ओर से उसके संबंध में, यानी उसके उपयोग के लिये, अब तक कोई इन्तजाम नहीं हो पाया है। मैं सरकार पर दोबारोपण करना चाहता हूं कि सरकार इसका जल्द इन्तजाम करे कि इस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। हर रीजन और जिले में छोटी-छोटी कर्मशालायें हैं, मैं क्षेत्रीय कर्मशाला, लखनऊ की ओर से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ऐस्टीमेट्स कमेटी के मेम्बर होने के नाते मुझे एक बार वहां जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि एक गाड़ी थी जिसमें ४५, ४६ यात्री चल सकते हैं। हमने स्टेशन इंचार्ज से पूछा कि इससे रोजाना की क्या आमदनी है तो उसने बताया कि २५०, ३०० रु० रोज की आमदनी है और वह १ हफ्ते से पड़ी हुई थी। कारण बताया गया कि शीशा नहीं है इसलिये पड़ी हुई है। मैंने कहा क्या आप बाजार से नहीं खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक केन्द्रीय कर्मशाला से इजाजत नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे बाद में पता लगा कि उसके बाद भी ५, १० रोज वह गाड़ी उसी तरह पड़ी रही। इस प्रकार की व्यवस्था कर्मशालाओं में है।

ड्राइवरों को अच्छा काम करने के लिये इनाम भी दिया गया है । लेकिन जरा वर्कशाप को देखिये, वहां पर जो कारीगर हैं, आये दिन वहां गाड़ियां जाती हैं, वहां से ड्राइवर गाड़ी लाता है, लेकिन रास्ते में बिगड़ जाती है जिसकी जिम्मेदारी वर्कशाप के कार्यकर्त्ताओं पर है, लेकिन ड्राइवर मारा जाता है और पचासों यात्री जो विभिन्न स्थानों को जाने वाले होते हैं उनके सारे प्रोग्राम ठप्प हो जाते है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कर्मशालाओं के प्रबन्ध पर सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये ।

जहां तक भवनों का संबंध है, मैं कहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम तो खराब है ही, लेकिन उससे ज्यादा खराब काम इस विभाग द्वारा बनाये गये भवनों का है । १९४७ में जब यह विभाग बना तो पी० डब्ल्यू० डी० इस विभाग के भवनों को बनाता था लेकिन कुछ दिनों के बाद इस विभाग ने अपना इंजीनियरिंग विभाग खोल लिया और एक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (बिल्डिंग) करके पी० डब्लू० डी० के एक इंजीनियर को रख लिया । मैं चाहता हूं मंत्री जी ध्यान रखें कि जब आप पैसे को बचाना चाहते हैं सुरक्षा के नाम पर तो हजारों रुपया मासिक खर्च करने के बाद आयोजना बनाई है, इसकी क्या जरूरत है ? विल्थरा रोड पर मेरे गांव के पास स्टेशन है । इन स्टेशनों के अन्दर बरसात के दिनों में पानी अन्दर चला जाता है। सवाल उठाने पर उनका धरातल ऊंचा किया जा रहा है लेकिन बिल्डिंग्स का धरातल नीचा है तो उसको कैसे ऊंचा किया जायगा ? लिहाजा जिन बिल्डिंग्स का काम हो रहा है उसे बन्द किया जाय । जनता के कोष में पैसा जमा करना है तो जो प्राइवेट गाड़ियां जिन मार्गों पर चलती हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय तो लाखों रुपयों का फायदा सरकार को हो सकता है और खास तौर से पहाड़ों पर ।

यात्रियों के संबंध में बड़ी उपेक्षा होती है । यात्रियों के लिये गर्मी तथा लू में ठहरने का कोई बन्दोबस्त नहीं है । सरकार को इसका प्रबन्ध करना चाहिये । मैंने अपनी आंखों यह देखा है कि रास्ते में गाड़ी लड़ गयी , लेकिन घायल लोगों की मरहम पट्टी करने का इन्तजाम नहीं होता। इसका इन्तजाम होना चाहिये कि ठीक समय से भी बसें चलें और लड़ाई के नाम पर जो किराया बढ़ाया गया है उसे जनता का खयाल करते हुए कम करना चाहिये जिससे यह विभाग जनता को फायदा पहुंचाने वाला हो सके ।

*श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जब से इस परिवहन विभाग की स्थापना हुई है तब से आज तक इस के काम को देखा जाय तो निस्संदेह हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि इस विभाग ने जिस दिशा में काम किया है वह प्रशंसनीय है । माननीय मंत्री जी ने यह बात भी सदन के संमुख स्वीकार की है कि जितनी पूंजी इस विभाग में लगाई गयी है उससे काफी रुपये का लाभ भी हुआ है ।

अधिक न कह कर मैं सबसे पहले यात्रियों की सुविधा की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । गत कई वर्षों से मैं अपने विचार इस अनुदान पर व्यक्त करता चला आ रहा हूं । यात्रियों की सुविधा के संबंध में मैंने कुछ सुझाव इस सदन में रखे थे जिनमें से पहला यह है कि जब कोई यात्री टिकट लेने के लिये जाता है तो आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यह पता अक्सर नहीं होता कि कितने नम्बर की गाड़ी जा रही है क्योंकि बहुत सी गाड़ियां बस स्टेशन पर खड़ी रहती हैं और न मालूम होने के कारण उस यात्री की बस जब छूट जाती है तो उसका टिकट बेकार हो जाता है ।

मैंने यह निवेदन किया था कि उसके टिकट के पैसे वापस कर दिये जायं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया । मैंने यह भी निवेदन किया था कि अगर परिवहन विभाग को कोई बहुत बड़ी कठिनाई न हो और वह कम से कम पैसा वापस नहीं कर सकता है तो उस यात्री को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रणबहादुर सिंह]

अगली बस से जाने की परमीशन दे दें जिससे वह अपने काम से जा सके । मुझे यह जानकारी हुई है कि लखनऊ रीजन में तथा एक दो रीजन्स में इस तरह का प्रबन्ध कर देते हैं, लेकिन इस तरह का कोई नियम विभाग की तरफ से नहीं है । लिहाजा जनता की सुविधा के लिये ऐसा नियम बना दिया जाय तो उचित होगा । माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देकर इस दिक्कत को जरूर दूर करने की कृपा करेंगे ।

दूसरी दिक्कत यह होती है कि यात्री अपना सामान ऊपर रख देते हैं लेकिन उस सामान के गायब हो जाने पर कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है । मैं जानता हूं कि दस-दस हजार रुपये के बक्स ऊपर से गायब हो गये और कोई सुनने वाला नहीं होता ।

तीसरे जहां पर शेड नहीं है वहां टिकट लेते वक्त यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है । बड़े-बड़े स्टेशनों पर यह कठिनाइयां नहीं है, लेकिन छोटे-छोटे स्थानों पर जहां से काफी गाड़ियां चलती है वहां इस प्रकार की दिक्कत जनता को उठानी पड़ती है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर शेड्स का इन्तजाम होना चाहिये ताकि यात्रियों को सुविधा हो ।

अब मैं सरकार का ध्यान इस विभाग के कर्मचारियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनके अथक परिश्रम से यह विभाग आज अपने पैरों पर खड़े होने लायक हुआ है । इसमें संदेह नहीं कि समय-समय पर सरकार ने इस विभाग के कर्मचारियों की सुधार की तरफ कदम बढ़ाया है लेकिन इसमें कई ऐसे पद हैं, कंडक्टर, ए० टी० आई० आदि इनको कन्फर्मेशन के बाद भी पेन्शन नहीं मिलती है । जरा सोचने की बात है कि जिसने भरी जवानी के आलम में तो राष्ट्र की सेवा की और जब काम करने लायक न रहा तो उसको पेन्शन भी न मिले यह कितने दुख की बात है । कई वर्षों तक आवाज उठाने की बदौलत इस प्रदेश में पुलिस कमीशन बना और उसने सब-इंस्पेक्टर के स्केल को रिवाइज कर दिया । सप्लाई विभाग में सप्लाई अफसरों के तीन ग्रेड कर दिये गये और उनका वेतन बढ़ा दिया गया । लेकिन यह विभाग जिसके कर्मचारियों की ईमानदारी और परिश्रम की प्रशंसा की जा सकती है, जहां और सरकारी विभागों में ८ घंटे की ड्यूटी होती है वहां इस डिपार्टमेन्ट में ११-११-१२-१२ घंटे तक ड्यूटी ली जाती है और जो ऊंचे अधिकारी लोग हैं उनको १२-१२-१४-१४ घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ती है, इसके कर्मचारियों की दशा बड़ा दयनीय है और सरकारी विभागों के कर्मचारियों को चाहे वे कन्फर्म्ड हों या न हों कैजुवल लीव मिलती है, लेकिन इस विभाग में ६ दिन की गजटेड हालिडेज हैं और इसके अतिरिक्त कोई छुट्टी कर्मचारियों को नहीं मिलती । हमारे रेलवे के कर्मचारियों को तमाम सुविधायें, मिलती है । वह सही है कि उस स्तर पर हमारे प्रदेश का परिवाहन विभाग नहीं है फिर भी कम से कम इस विभाग के कर्मचारियों के परिवार वालों को कुछ सुविधा अवश्य मिलनी चाहिये । साल में कम से कम एक पास उनको जरूर मिलना चाहिये । इस विभाग का जब कोई कर्मचारी छुट्टी पर जाता है तो उसे खुद भी टिकट लेना पड़ता है जिससे उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

दूसरे इसमें एक टी० सी० सेक्सन होता है । २८ फरवरी को इस विभाग के कर्मचारियों को नोटिस मिल जाता है और उनकी एक दिन की सर्विस ब्रेक कर दी जाती है । मैं चाहता हूं कि जैसे और विभागों में कर्मचारी पूरा काम किया करते हैं वैसे इस विभाग में भी करते रहें ।

इसके अलावा जहां तक सड़कों के लेने का संबंध है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमेशा यह प्रयोजन आता है कि लखनऊ फैजाबाद रोड ले ली जाये, लेकिन आज तक उस पर सरकारी बस नहीं चल पाई है । ८८ मील लम्बी यह सड़क बहुत अच्छी है । सरकार को चाहिये कि इसे ले ले ।

इसके अलावा जहां तक भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रश्न है, इस विभाग ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है । इसमें एक ड्यूटी हेड होता है और एक लाकर होता है जो आगे लगा दिया जाता

है । अगर कंडक्टर या कोई भी गड़बड़ी करे तो जब तक ड्यूटी हेड पर अपने टिकट को नहीं चढ़ायेगा तब तक कोई काम नहीं कर सकता । इसलिये मैं इस डिपार्टमेन्ट के तमाम लोगों की प्रशंसा करता हूं ।

जहां तक शिकायतों का संबंध है, और विभागों में अगर लेखपाल की शिकायत की जाती है तो वह उस लेखपाल को ही जांच के लिये मिल जाती है, लेकिन इस विभाग में अगर कंडक्टर या ड्राइवर के खिलाफ शिकायत होती है तो वह उनको न मिल कर किसी सुपीरियर आफिसर को मिलती है। इसलिये मैं इस विभाग की अच्छाइयों की प्रशंसा करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय हिम्मत सिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इस विभाग की ही आलोचना करना चाहता हूं । इस नये विभाग की कोई बड़ी आलोचना की संभावना भी नहीं है और न ऐसी कोई बात भी है जिसकी मैं आलोचना करूं या अन्य माननीय विरोधी सदस्य करें, पर इतना अवश्य बताना है कि सरकार द्वारा इस विभाग को तैयार करने से सरकार की नीतियों पर क्या असर पड़ा है । और सरकार का झुकाव किधर को हो रहा है । सन् १९६०-६१ में १४ करोड़ से बढ़कर अब १९६३-६४ में इस विभाग का बजट २० करोड़ से ज्यादा का हो गया है। सरकार की इस बिजनेस टाइप टेन्डेन्सी, जनता के फ्री—इन्टरप्राइज में हस्तक्षेप और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजनेस को नेशनलाइज कर देने व परमिट और लाइसेन्स की नीति के अपनाने को मैं उचित नहीं समझता हूं। यह ट्रांस्पोर्ट कोई कैपिटलिस्ट्स का बिजनेस नहीं है बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों की रोजी का जरिया है । अगर सरकार इसे नेशनलाइज न करती तो मध्यम वर्ग के १०-१५ हजार परिवार तक के आदमी इससे रोजी प्राप्त करते होते। मैं इससे सहमत हूं कि राज्य सरकार पूंजीपतियों के व्यापार पर चेक करने की नीति अपनाये ताकि profit accumulate न हो सके इसी बिना पर बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स की फैक्टरीज व बिजिनेस को चेक करती वह ज्यादा अच्छा होता । सरकार को Public scctor में वही काम करना चहिये जो Private sector में न हो पाता हो। कोई ऐसी इंडस्ट्री सरकार चलाती जिसमें बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता होती । आज इस बिजनेस को मोनो पोलाइज और नेशनलाइज करके सरकार ने जिस नीति का प्रदर्शन किया है वह जनहित में नहीं है । सरकार का काम एक चौराहे पर खड़े सिपाही की भांति कन्ट्रोल का होना चाहिये न कि चौराहे पर खड़े हुए उस पुलिसमैन का यही तरीका हो कि वह हर मोटर में बैठ कर उसको पास करे। सरकार ने अब यह नया ढंग अपनाया है । अगर हम दूसरा ही पहलू देखे तो सरकार के जो यह कमीशन और बिजनेस टाइप काम किया है उसमें भी वह असफल रही है । मिसाल के लिये सरकार ने २० करोड़ २ लाख ५६ हजार की ग्रांट पेश की है। इसमें से डिडक्शन फार रिकवरीज आफ अदर डिपार्टमेन्ट्स है जो ६ करोड़ १८ लाख १९ हजार रुपये का है। इसप्रकार १३ करोड़ ८४ लाख ३६ हजार रुपये का खर्चा है और १९६३-६४ के बजट में प्लान्ड और नान प्लान्ड रिसीट्स का एस्टीमेट है वह १४ करोड़ १५ लाख ३३ हजार का है। इस प्रकार नेट इन्कम केवल १ करोड़ ७० लाख ९८ हजार ३ सौ रुपया आती है जो नहीं के बराबर है। अगर आप ६१-६२ के बजट को देखें तो कैपिटल इन्वेस्प्मेन्ट २० करोड़ २१ लाख था और नेट प्राफिट २ करोड़ १४ लाख, यानी १० परसेंट आता है और रेवेन्यू एकाउन्ट को देखा जाय तो जो १० करोड़ २५ लाख ३६ हजार है यानी उस पर प्राफिट २० परसेंट आता है जो सन्तोषजनक नहीं है। अगर सरकार इस रुपये को किसी और बिजनेस पर लगाती जैसे कोआपरेटिव सोसाइटी को दे देती और ९ प्रतिशत इन्टरेस्ट सरकार को मिलता जो २० करोड़ रुपये पर सरकार को १.८ करोड़ रुपया मिलता और दस करोड़ पर ९ करोड़ रुपया मिलता । कुल

[श्री विजयसिंह]

ब्याज २.७ करोड़ रुपया आता। इतनी रकम पर सरकार प्राइवेट सेक्टर से इनकम टैक्स लेती तो वह भी करीब ५ करोड़ के आता लेकिन सरकार ने कुल १ करोड़ ७० लाख रुपये का मुनाफा प्राप्त किया है। इस हिसाब से भी देखा जाय तो आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई।

सरकार ने पैसेंजर टैक्स की वसूली में १.६४ लाख रुपया वसूल किया है और इसमें खर्चा ३.०३ लाख रुपया हुआ। इस तरह से देखा जाय तो सरकार को कोई लाभ नहीं हुआ है। घाटा ही हुआ है। अगर ये मोटरें प्राइवेट सैक्टर में चलाई जातीं तो न जाने कितने आदमी रोजी पाते और उनमें जो कम्पेटीटिव स्प्रिट पैदा होती तो जनता को किराया भी कम देना पड़ता और सरकार को भी लाभ हो सकता था। अगर सरकार चाहती तो एक तरीका आमदनी का और हो सकता था। एक्साइज में दुकानें नीलाम होती हैं उसी तरह से सरकार रुट्स को नीलाम करती और उस पर अपना चेक लगाती जिससे और लोग ज्यादा मुनाफा न उठा पायें।

अभी तक गुड्स ट्रांसपोर्ट प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में है और वह सुचारु रुप से चलाया जा रहा है। इसी तरह से अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट भी अगर प्राइवेट सेक्टर द्वारा चलाया जाता तो जनता को भी राहत मिलती और सरकार को भी लाभ हो सकता था प्राइवेट सेक्टर की ट्रान्सपोर्ट पर लगी पूजी पर टैक्सेशन से सरकार को उतनी ही आय होती जितनी आपके ट्रांसपोर्ट विभाग से होती है। गवर्नमेन्ट की स्टेटिक पालिसी, लोगों को डिमोरेलाइज करने की पालिसी और करप्शन लाने वाली पालिसी, जनहित में उचित नहीं मालूम होती हैं।

मान्यवर, प्रदेश के कुछ ऐसे रुट्स हैं जिनको सरकार ने छोड़ रखा है और वह भी पोलिटीकल प्रैशर के कारण। R. T. A. से मोटर चलाने को जो लाइसेंस मिलते हैं इनमें पोलिटीकल पर्सन्स नहीं होने चाहिये, इससे करप्शन हो सकता है या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनको रखना जनहित में उत्तम नहीं है जनता को न्याय नहीं मिलता। जो बसेज चल रही है उनमें लेबर लाज का उपयोग नहीं किया जा रहा है ड्राइवर जब बस ले जाता है, और वह घंटे घंटे बाद या Bus stop पर जब बस खड़ी हो जाती है तो वह टाइम उसकी ड्यूटी में काउन्ट नहीं होता है। इस पर बिचार किया जाय और वह भी टाइम उसकी ड्यूटी में जोड़ा जाय। इलेक्शन के समय जीपें केवल रूलिंग पार्टीज को ही दी गईं। यह सरकार का पक्षपात ठीक नहीं हो सकता है कि कुछ और लोगों को भी मिली हों। आयन्दा ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे पक्षपात स्पष्ट हो जाये।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि झांसी रेंज में आर० टी० ओ० की जो बहुत शिकायतें है जो मोटर मालिकों को परेशान करने की हैं। इसकी विभागीय अधिकारी और मंत्री जी जांच करायें।

यूनियन गवर्नमेन्ट कृषि की मशीनों को बाहर से इम्पोर्ट करने पर कम एक्साइज ड्यूटी लगाती है और सब्सीडाइज करके किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर वापस भी करती है। लेकिन प्रदेशीय सरकार टैक्टर्स और गल्ला ढ़ोने वाली ट्रौलीज की रजिस्ट्रेशन फी लेती है, जो किसान और कृषि दोनों के हित में नहीं है। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार की तरह हमारी सरकार विचार करे और Registration fee ट्रैक्टर और ठेलियों पर लेना बन्द करे। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती रामरतीदेवी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज हमारी सरकार के कंधों पर जहां अनेक बातों का उत्तरदायित्व है वहीं पर हमारी सरकार के कंधों पर इस बात का भी उत्तरदायित्व है कि वह यातायात की व्यवस्था का संचार करे। अधिष्ठाता महोदय, अंग्रेजों की हुकूमत के बाद हमारी सरकार ने जहां रेल विभाग को अपने हाथों में किया वहीं पर उनका यह भी कर्त्तव्य हो जाता था कि वह इस यातायात की व्यवस्था का सुचारु रूप से प्रबन्ध करे। आज इस व्यवस्था के द्वारा यात्रियों को जो सुवि-

थाएं मिली हैं, उससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, जैसे मेल बस का चलाना, शादी विवाह बसों का विशेष प्रबन्ध करना, मेलों में विशेष प्रबन्ध करना आदि सुविधाए प्रदान की गयीं ।

मान्यवर, आज इस विभाग के द्वारा उन गरीब आदमियों को रोजगार की सुविधाएं प्रदान हुई, जो बेकार थे । आज उन गरीब आदमियों के बीच में एक उत्साह सा उमड़ा है। उसका एकमात्र कारण यह है कि आज गरीब जनता ने जो कार्य बिना पैसे के सीखा है, वह कार्य शायद वह पैसा दे कर भी न सीख सकती । आज इन सुविधाओं को देखते हुए एक विशेष गर्व इस विभाग पर होता है । इस विभाग के कर्मचारियों में आज समानता के चिह्न भी मौजूद हैं। जहां तक उच्चाधिकारी वर्ग का संबंध है वह भी आज अपने उत्तरदायित्व को बड़े परिश्रम के साथ निभा रहा है। आज मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है । लेकिन इस विभाग में जहां पर इतनी सुविधाएं प्रदान की गयी है वहीं पर इस विभाग में कुछ त्रुटियां भी मौजूद हैं ।

मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूं । बस स्टेशनों पर कुछ खाली जगहें पड़ी हुई हैं । ऐसे स्थानों पर मेरा सुझाव है कि खाली जमीनों पर यदि मंत्री जी इन कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर बनवाने की सुविधाए प्रदान करें तो वे कर्मचारीगण भी यह समझेंगे कि हमारी सरकार एक कल्याणकारी सरकार है । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जिस पर हमारे जिले के कई सदस्यों ने इस सदन में चर्चा भी की थी कि हमारे जिले फैजाबाद की टांडा तहसील में एक सड़क जो जहांगीरगंज से बसखारी तक आती है, यह सड़क पहले कुछ खराब थी, लेकिन इस समय बिल्कुल पक्की बन कर तैयार हो गयी है । इस स्थान पर मेरा निवेदन है मंत्री जी बस चलाने की व्यवस्था जल्द से जल्द कर दें । इस स्थान पर यदि बस चलने लगेगी तो जनता को सीधे तीन तहसीलों में जाने की सुविधा मिल जायगी टांडा, अकबरपुर और फैजाबाद । फैजाबाद सदर तहसील की मुंसफी भी अकबरपुर में स्थापित हुई है। इस तरह से सुल्तानपुर से जहांगीरगंज होते हुए बसखारी आयेंगे और वह सुविधा पूर्वक अकबरपुर तहसील में पहुंच कर अपना कार्य निकाल सकेंगे । इसके अलावा मैंने जैसा कि इसके पहले कहा इस विभाग में जहां सारे सुख और सुविधा की व्य स्था की गई है वहां कुछ त्रुटियां भी रह गई हैं और वह यह हैं कि इस विभाग के कर्मचारियों का व्यवहार जनता के प्रति कभी-कभी अशोभनीय हो जाता है। यही नहीं, मान्यवर, ऐसी समस्यायें कभी कभी हम माननीय सदस्यों के सामने भी आती हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिये माननीय मंत्री जी के सामने जब हम सूचनार्थ निवेदन करती हैं तो कभी कभी मंत्री जी भी उपेक्षा की दृष्टि से टाल जाया करते हैं । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन बातों की तरफ वह विशेष ध्यान दें । जब कि सदस्यों की मान प्रतिष्ठा का प्रश्न जन समुदाय के बीच में आता है तो वह इस दशा में परेशान हो जाता है । मैं मंत्री जी से कहूंगी कि मंत्री जी के सामने भी यह समस्यायें हैं क्योंकि मंत्री जी भी स्वयं एक जनप्रतिनिधि के रूप में हैं । ऐसी स्थिति में मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हुई और माननीय मंत्री को बधाई देती हुई पुनः यह उनसे निवेदन करूंगी कि मंत्री जी मेरे इन सुझावों को सहर्ष स्वीकार करके जनता को विशेष सुविधाएं प्रदान करने की कृपा करें।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि मुझे आपने परिवहन संबंधी अनुदान पर बोलने का समय दिया । माननीय मंत्री जी राममूर्ति जी और राम राज्य (व्यवधान) हां, राममूर्ति जी नहीं, मुजफ्फर हसन साहब मने समझा राम मूर्ति जी (व्यवधान) हरी सिंह जी ठहरो जरा....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

जरा अप लोग शांति बनाये रखें। माननीय लक्खी सिंह जी को बोलने दीजिए।

श्री लखीसिंह—

देखिए, उधर से शोर होता है। जरा ब्रेक लगाये रखिए। तो पहले तो मैं कटौती के प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो यह सवेरे भाषण दिया इसको मैं कथनी करार देता हूं, यह करनी नहीं है। कथनी बहुत बढ़िया है, एक एक पंडित की तरह एक-एक मंत्री जी बहुत बढ़िया बढ़िया भागवत बनाकर लाते हैं। तो यह मैं कथनी करार देता हूं और उस का घोर विरोध करता हूं।

अब मैं इस विभाग में जो धांधलेबाजी चलती है वह बताऊंगा धांधलेबाजी और आपबीती। उसे माननीय सदस्य भी मानेंगे और हरी सिंह जी भी मानेंगे। हरी सिंह जी ने एक बात बड़े मार्के की कही, लेकिन जरा दबते हैं क्योंकि फिर टिकट नहीं मिलेगा। बात बहुत मार्के की है। अगर थोड़ा सा उनमें दम हो तो वह कहें कि किन लोगों को परमिट यह सरकार देती है। यह उन लोगों को परमिट देती है कि जिन्होंने चुनाव में वोट देकर के इस सरकार को बनाया है। यह बिल्कुल खुली हुई बात है। माननीया सदस्या जो अभी बोली हैं रामरती जी, अगर इनको परमात्मा सद्बुद्धि दे और इनमें ताकत आवे, तो पिछड़ी हुई जाति के ४९ प्रतिशत वोट हैं, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह दिन आवे कि इनकी सरकार बने और तब इन मत्रियों और ऐसी सरकार का सुधार हो। (व्यवधान) मुख्य मंत्री नहीं, प्रधान मंत्री बनें दिल्ली में, जो हमारे बापू जी कहा करते थे वह चीज साकार हो। अब मैं माननीय मंत्री जी से निहायत अदब के साथ एक प्रार्थना करूंगा और वह मेरी सूझ पक्की लिख लें कि अगर आप समाजवादी हैं तो इस अपर और लोअर क्लास को खत्म करें जो आपने इन बसों में बना रखी हैं। एक बालिश्त जगह में आपने यह भेद कर रखा है। यह क्या तमाशा है? इसको खत्म कर दें।

एक बात मैंने करीब-करीब सभी जगह देखी है और उत्तर प्रदेश में जितने जिले देखे हैं सभी जगह हैं कि इस विभाग की बहुत लापरवाही है। आप कानपुर को देख लीजिये कि कितना बड़ा वह शहर है। वहां पर बस का जो अड्डा है कोई भली सरकार वहां नहीं रख सकती। अधिष्ठाता जी, आप भी किसी दिन जाकर देखें कि वहां पर जान बचाना मुश्किल है जन साधारण को। जहां पर इस सरकार के इस विभाग ने बस का स्टेशन बना रखा है वहां पर बुरी हालत है। यह मैंने कानपुर का उदाहरण दिया। अधिक समय नहीं है नहीं तो कई जिलों का हाल बताता। यह वह विभाग है जिस विभाग के पास गाड़ी ही गाड़ी हैं और गाड़ी का विभाग कहा जाता है। अब जिसकी गाड़ी टूट जाय, जिसकी लाइन खराब हो तो यह निश्चित बात है कि इन दोनों चीजों के खराब होने पर भगवान् मालिक है। जिसकी गाड़ी खराब हो और साथ में लाइन भी खराब हो और गाड़ी के साथ इंजिन भी खराब हो, फिर उसका ड्राइवर भी खराब हो तो सुधार तभी हो सकता है जब बहुत ज्यादा ध्यान उस पर दिया जाय। इस बजट के पैसे को पास करने वाले तो आ जायेंगे चाहे इधर के लोग कितना ही विरोध करते रहें, लेकिन हम अपनी बात जरूर कहेंगे। यह पैसा जनता के खून पसीने से निकल रहा है। मथुरा की हालत बतलाये देता हूं कि वहां पर एक भी गाड़ी आप को ऐसी नहीं है जिसमें यह ५० मिनिस्टरों की फौज बैठ सके। बाबा आदम के जमाने की गाड़ी सड़ी सड़ाई, पिटी पिटाई और गली गलाई मथुरा को भेजी गई हैं।

एक बात मैं और बतलाऊं जिसको जानकर सभी माननीय सदस्य अफसोस करेंगे कि एक यातायात समिति बनी। उसमें बदकिस्मती से मैं भी सदस्य बना। कभी एक बार उसकी नैनीताल में मीटिंग हुई थी कई साल पहले। उसकी एक सूचना हमारे पास आई और उसका इतना लम्बा पोथा हमारे पास आया। फिर वह ३, ४ दिन बाद स्थगित हो गई। अब उसमें धांधली और गोलमाल नहीं है तो क्या है? क्यों नहीं मीटिंग बुलाई जाती? क्या वजह है?

हर समिति की मीटिंग हुई, हर विभाग की मीटिंग हुई मगर इसकी नहीं। अगर इसमें धांधली और गोलमाल नहीं है, तो क्या है ?

यह तो नम्बर एक बात हुई । आप देखिये कि यह बस स्टाप बने हुये हैं। मेरे जिले में बना हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ी दिक्कत पड़ती है और टिकट नहीं मिलते हैं।

श्री हरीसिंह––

कहां से यह आप बता रहे हैं ?

श्री लखीसिंह––

यह श्रीमन्, हमारे बीच में क्यों बोलते हैं। खैर कहीं बस स्टाप की दिक्कत है और कहीं टिकट की दिक्कत है। इसी तरह से जो मथुरा में बस स्टेशन है, उसमें आप के अधिकारी जो बैठते हैं, उनके पास टेलीफोन तक नहीं है । वह इन्क्वायरी आफिस में है, जो कि बहुत दूर पर है। आप देखें कि उसके दूर होने से पेट्रोल फुंकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि वह बस स्टेशन वर्कशाप के पास नहीं बनाया जाता है ? इस तरह से पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जाता है ? केवल यहीं तक नहीं मैं आप को अभी और भी बहुत कुछ बताऊंगा।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे थोड़ा सा समय और दें आपने तो लाल बत्ती जला दी। हमारे यहां लारी के लाइसेन्स दिए गए। मैं आप से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सड़क कच्ची है। आप देखें कि कांग्रेसी एम० एल० एज० अपने-अपने आदमियों को ही परमिट देते हैं। परन्तु यह पता नहीं कि आकाश में उड़ गए या कि चीन चले गए। आप को बताऊं कि मथुरा में जीप गाड़ी दी गई ताकि वहां पर कुछ काम हो परन्तु आप देखें कि बीच में ही वह चीनी कम्युनिस्ट महाराज आ गए जिससे कि वह वापस बुला ली गई। दूसरी ओर यहां लखनऊ में––सैकड़ों टैक्सी दे रखी गई है। यह धाधलियां हो रही हैं। इनको आप को सुधारना चाहिए। आप को अन्य जिलों में भी इसी प्रकार से गाड़ियां देनी चाहिए। अब मैं अधिक क्या कहूं। यह विभाग ठीक काम नहीं करता है।

श्री अधिष्ठाता––

देखिये आपका समय समाप्त हो गया है। मैं आप को दस मिनट दे चुका हूं। अब आप समाप्त करें।

श्री लखीसिंह––

श्रीमन् आप मुझे केवल १ मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता––

अच्छा अब आप केवल एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री लखीसिंह––

अब मैं आप को इस विभाग के कर्मचारियों की हीन दशा का ज्ञान कराता हूं । जो छोटे मजदूर, ड्राइवर, कन्डक्टर इस विभाग में काम करते हैं, यदि देखा जाय, तो वास्तव में वही पिस रहे हैं। वह बेचारे घंटा आधा घंटा ही सोते होंगे। उनको छुट्टियां बहुत ही कम मिलती हैं। परन्तु आप देखें कि उनका वेतन बहुत ही कम है और वह नहीं बढ़ाया जाता है। आप से सोशलिस्ट पार्टी नम्रता पूर्वक निवेदन करती है कि आप १०० रुपये से १,००० रुपये के बीच में इस विभाग में काम करने वालों का वेतन रखिये। हम अपना फिर वही नारा दुहराते हैं जो कि पहले कहा करते थे। बेकारी के बारे में कि जो अब फिर दोहराये देता हूं। आराम हराम है, जिसे कहने वालों काम दो, या बेकारी का दान दो। परन्तु आज हालत यह है कि जो काम करने वाला है, जो २४ घंटे काम करता है, उनके बच्चों को रोटी नहीं मिलती है। उसमें परिवर्तन होना कितना आवश्यक है। उसके विपरीत यहां पर जो मंत्रियों की फौज है, वह केवल विलासिता में पड़ी है और गुलछर्रे उड़ा रही है और जनता के खून पसीने की कमाई को चूसती है। इसलिये इस विभाग में काम करने वालों की तनख्वाह बढ़ाइये। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता महोदय, हमारी प्रान्तीय सरकार ने जहां जनता की भलाई के लिए बहुत से काम किये हैं मैं समझता हूं यातायात के साधनों को अपने हाथ में लेकर और अधिक से अधिक सड़कों के यातायात को अपने हाथ में लेकर ऐसा काम किया है जिसके लिए कोई भी सरकार अपने आप को बधाई का पात्र समझ सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सन् ४७ से अब तक जब से हमारी प्रान्तीय सरकार ने यह काम अपने हाथ में लिया है यातायात में काफी शीघ्रता हुई है। मुझे याद है जहां पहले मेरठ से मुजफ्फरनगर तक आने जाने में ३-३ घंटे लगते थे अब डेढ़ और सवा घंटे के अन्दर वह यात्रा पूरी हो जाती है। पहले बस के खराब हो जाने पर बस को रिप्लेस करने के लिए प्राइवेट बस नहीं आया करती थी, लेकिन अब कहीं भी अगर बस खराब हो जाती है तो दूसरी बस आकर यात्रियों को यथास्थान पहुंचा देती है। इसी के साथ जहां सरकारी संचार साधन बढ़े हैं वहां अब निजी क्षेत्र में भी जो बस चलाते हैं वे भी काफी आरामदेह होती हैं, ज्यादा सवारी नहीं बैठाई जातीं और यात्रियों की सुख-सुविधा का ध्यान पूरा-पूरा रखा जाता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि बसों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की भांति सुख-सुविधा नहीं दी जाती। 'सुख-सुविधा' ऐसा शब्द है कि जितनी भी सुख-सुविधा मनुष्य को दी जायें वे थोड़ी हैं। जितनी सुविधा देंगे अधिक के लिए मांग होगी। हमेशा सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुख-सुविधा दे, लेकिन एक बात निःसन्देह मानने की है। अगर ये ही कर्मचारी निजी क्षेत्र की बसों में काम करते तो उन्हें इससे शतांश की सुख-सुविधा भी प्राप्त नहीं होती। हमारी सरकार ने रोडवेज का राष्ट्रीयकरण करके उनको बहुत अधिक सुख-सुविधाएं दी हैं। दवाइयों का इन्तजाम, छुट्टियों की व्यवस्था, काम करने के निश्चित घंटे नियत किये गये हैं और कोशिश है कि प्राविडेंट फंड की भी अधिक से अधिक लोगों को सुख-सुविधा दी जा सके। अभी एक मांग क्वार्टरों की रखी गयी। इसमें सन्देह नहीं कि सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी शिकायत है कि जब उनका तबादला होता है तो उन्हें रहने के लिए स्थान प्राप्त नहीं होता। अगर रोडवेज में इस स्कीम को चालू करके कुछ क्वार्टर्स कर्मचारियों को दिये जायें तो बहुत अच्छा है।

एक शिकायत यह भी है कि कर्मचारियों को स्थायी करने में काफी देर होती है, लेकिन अब जो रिपोर्ट निकली है उससे स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने काफी तादाद में इस मुहकमें के लोगों के स्थायीकरण का निश्चय कर लिया है और यह काम अपने ढंग से ठीक चल रहा है।

यदि हम आय-व्यय और शुद्ध लाभ की तालिका को देखें तो जब से यह विभाग कायम हुआ है तब से दिसम्बर, १९६२ तक हर साल जहां रुपये का इनवेस्टमेंट अधिक हुआ है, हमारा लाभ भी उसी अंश में अधिक हुआ है। पिछले एक वर्ष में लाभ कुछ कम हुआ है और जैसा मंत्री महोदय ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि कुछ चीजों पर खर्चा ज्यादा बढ़ा है।

उदाहरण के लिये कर्मचारियों के वेतनों तथा अन्य सुख सुविधाओं पर तो खर्चा अधिक हो गया, किन्तु उसी औसत से आमदनी नहीं बढ़ी। मेरा ऐसा खयाल है कि आगे आने वाले वर्षों में यह दिक्कत भी दूर हो जायेगी और हमारी आय भी बढ़ जायेगी।

सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। मैंने यह देखा है कि बड़े-बड़े मेलों पर तो बसों का इन्तजाम अच्छा हो जाता है, किन्तु छोटे छोटे मेले, जैसा अमावस्या का मेला होता है, उनमें बसों के इन्तजाम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और उस तरह से प्रबन्ध नहीं होता जिस तरह से बड़े मेलों के लिये होता है। काफी आदमियों को टिकट आदि मिलने में काफी असुविधा होती है। अधिकारीगण यह समझते हैं कि छोटे मेलों का इन्तजाम तो अपने आप ही हो जायेगा। यह दिक्कत मेरे अनुभव में आयी है और इसको शीघ्र तिशीघ्र दूर करना चाहिये।

एक दिक्कत यह भी है कि ड्राइवर और कान्ट्रैक्टर, बस में जगह होते हुये भी, रास्ते में यात्रियों को नहीं बिठाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि रास्ते में यात्रियों को बिठाने में उनको कागज

आदि निकालने में और उसमें टिकट के दाम दर्ज आदि करने में कठिनाई होगी और फिर रुपया तो सरकार को जायेगा। इसलिये वे नहीं बिठाते हैं। मगर इससे जहां यात्रियों को परेशानी होती है, वहां सरकार को भी पैसे का नुकसान उठाना पड़ता है।

एक बात और मैंने अनुभव की है। अब गाड़ियां काफी लेट चलने लगी हैं। नियम यह है कि जो गाड़ी पौने तीन बजे जाने वाली है वही ३ बजे आयेगी। नतीजा यह होता है कि १०-१५ मिनट तो वह गाड़ी लेट आती ही है, फिर १५-२० मिनट का समय टिकट आदि बांटने में तथा उसकी सफाई आदि में लग जाते हैं और इस तरह ३०-४० मिनट तक बस लेट हो जाती हैं। इस से यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है और इस दिक्कत को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

एक बात प्राइवेट बसों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। नयी सड़कें जब बनती हैं तो सरकार पहले उन पर प्राइवेट बसों को चलाने की इजाजत दे देती है, ताकि वे आय की दृष्टि से ठीक हो जायं, और बाद को सरकार अपनी बसें चला देती है। सरकार को शुरू से ही सरकारी बसें चलानी चाहिये, यह तरीका अच्छा है। और अगर उन पर प्राइवेट बसें चलाने की आज्ञा सरकार दे तो उसके लिये पहले से यह नोटिफिकेशन होना चाहिये कि इस लाइन पर इतने वर्षों के लिये प्राइवेट बसों को परमिट मिलेगा और अगर सरकार का अपनी बस चलाने का इरादा हो, तो उनको आप यह बता दें परमिट देते वक्त कि इतने साल तक प्राइवेट बसें चल सकेंगी, ताकि जो प्राइवेट आदमी अपना पैसा खर्च कर देता है, परमिट लेता है, उसे यह मालूम हो कि इतने समय तक ही वह बस चला सकेगा, और सोच समझ कर अपना पैसा उसमें लगाये और उसे नुकसान न उठाना पड़े। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विभाग द्वारा जिस तरह से लोगों की सुख सुविधा का खयाल किया जाता है, इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के आराम का जिस तरह से ख्याल रखा जाता है, इस विभाग से भ्रष्टाचार को जिस तरह से दूर करने का प्रयत्न किया जाता है तथा और दिक्कतों को दूर किया जा रहा है, उन सब सुख सुविधाओं को बढ़ाने की ओर तथा जो दिक्कतें मैंने बतायी हैं उनको दूर करने की ओर प्रयत्न किया जाना चाहिये जिस कि सरकार की जिम्मेदारी है। इस ढंग से काम किया जाय कि सरकार की मितव्ययिता भी बढ़े और यात्रियों को आराम भी पहुंचे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये सड़क और परिवहन की कितनी आवश्यकता होती है उसका वर्णन मैं इस थोड़े से समय में नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी मजबूती से प्रदेश की सड़कों का राष्ट्रीयकरण करते जिससे हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती। मेरी आलोचना इस समय यह है, मैं माननीय विजय सिंह को भी कहता हूं जो प्राइवेट सेक्टर के हामी हैं, आज भी ऐसे बहुत से प्राइवेट लोग हैं जो लाइसेंस हासिल करके बहुत सी मोटरें चला कर लाखों रुपया कमा रहे हैं। मैं चार्ज लगाता हूं कि सरकार फेल हो गई है अपनी परिवहन की नीति में। अगर उसकी नीति सफल भी है तो ५० परसेंट। मैं हमेशा इस विभाग की तारीफ करता था लेकिन आज उतनी तारीफ नहीं करता हूं। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं। आज से ४, ५ साल पहले उन्नाव होते हुए मैं हरदोई गया था। उस सड़क की कितनी महत्ता है जो उन्नाव से मल्लावां को जाती है? उसे आपने शायद ले लिया है। लेकिन जितनी जल्दी होनी चाहिये थी वह आपने नहीं की और उस पर ३५ प्राइवेट बसें चलती हैं। हमारे भाई साहब विजय सिंह बड़ी तारीफ कर रहे थे। उन बसों को मैंने भी देखा है। इतनी तकलीफ आम जनता को उन बसों से होती है कि उसका वर्णन करना ठीक नहीं है। दुनिया के और देशों में हमने देखा है कि परिवहन और सड़क पर कब्जा सरकार का होता है। जैसे शरीर में नसें हैं उसी तरह से ये राष्ट्रीय जीवन की नसें हैं। इसलिये और सड़कों का भी राष्ट्रीयकरण कीजिये, तभी आप की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और जनता को आप ज्यादा सुविधा दे सकते हैं।

[श्री ऊदल]

श्रीमान् जी, बहुत से माननीय सदस्यों ने आलोचना की है। मैं भी आलोचना आपसे करना चाहता हूं। प्राइवेट लोगों को जो लाइसेंस दिये जाते हैं, मैंने सवाल किया था और मंत्री जी ने ठीक करा दिया। मरे हुए लोगों को परमिट दिया जाता है। फर्जी दरख्वास्त देकर लोग परमिट हासिल कर लेते हैं। अगर आप जांच करेंगे तो २० परसेंट ऐसे परमिट मिलेंगे जो बेच दिये गये हैं। गाड़ी कोई चलाता है और परमिट दूसरे के नाम से है। बहुत बार हमने आपका ध्यान आकर्षित किया कि यह विभाग जैसे दूध देने वाली कामधेनु गाय होती है उस तरह का है। हो सकता है कि इसमें कुछ अव्यवस्थायें हों। लेकिन इसके बहुत से कर्मचारी जो बेचारे १३, १४ साल से काम कर रहे हैं उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है यद्यपि आपने कुछ प्रयास किया है। २०,००० में स्थायीकरण का परसेंटेज कुछ भी नहीं है। मोची जो सबसे छोटा कर्मचारी है वह भी स्थायी नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें इतमीनान दिलावें और उनकी नौकरी की गारन्टी करें। इस विभाग को भी कुछ दिनों में और ज्यादा आलोचना होगी, मैं समझता हूं कि अब इसमें भी कुछ पक्षपातपूर्ण रुख अपनाया जा रहा है। कैसे, यह मैं नहीं कह सकता। जनवरी ६१ या ६२ में जूनियर स्टेशन इंचार्ज के लिये आपने नाम मांगे और आप के दफ्तर में उसका चुनाव हुआ। ग्रेजुएट्स आप के विभाग में हैं, उनको न लेकर, जब कि उनकी दसियों साल की नौकरी है, बाहर के ५० परसेंट लोगों को रखा गया। इसी तरह से अगस्त ५९ और नवम्बर, ६१ में इलाहाबाद रीजन में ए० टी० आई० का सेलेक्शन हुआ। उसमें भी यही किया गया। हो सकता है कि मंत्री जी न जानते हों। इतना ही नहीं, इस विभाग में बहुत से ग्रेजुएट्स जूनियर क्लर्क और क्लर्क के पदों पर काम कर रहे हैं। दूसरे विभागों में ग्रेजुएट्स को कुछ वरीयता दी जाती है। आप उन्हें कुछ प्रोमोशन दीजिये। आपने ड्राइवरों और कन्डक्टरों के ग्रेड बना रखे हैं। मैंने सवालों के जरिये और आप को प्रार्थना-पत्र देकर भी कोशिश की कि कम से कम एक तरह के काम करने वालों का एक-सा ग्रेड होना चाहिये। आपने कह दिया कि जब आपने इस विभाग को खोला तो ८वें पास लोगों को कन्डक्टरों के पद पर रखते थे और अब आपने उसकी योग्यता हाई स्कूल कर दी। तो जो आपके १२ साल के पुराने कन्डक्टर हैं उनको आप ४५ का ग्रेड दें और हाई स्कूल पास को ९० का, और महंगाई मिला कर शायद १०३ रुपये देते हैं, यह न्यायसंगत बात नहीं है। इसलिये आप को सोचना चाहिये कि हालांकि कुछ लोगों को तो आपने दे दिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इकट्ठा इसे खत्म कीजिये क्योंकि एक ही तरह का काम करने वाले लोग हैं।

इसी तरह से शहर और देहात के ड्राइवरों के माइलेज में फर्क है। पुराने और नये ड्राइवरों के माइलेज में फर्क है। विभाग में एक प्रकार के काम करने वाले लोगों को एक तरह की सुविधायें मिलनी चाहियें चाहे वे तनख्वाह की हों, महंगाई की या क्वार्टर की या छुट्टी की हों, ताकि कर्मचारियों में किसी प्रकार का असन्तोष न हो। बहुत से आपके विभाग में ऐसे कन्डक्टर की नियुक्ति हुई है जिनसे कन्डक्टर का काम न लेकर आफिस में काम कराया और उन्हें गुड कान्डक्ट ७ रुपया अलाउंस दिया गया। आप नाम मांगेंगे तो मैं नाम दे दूंगा। कुछ को तो वह अलाउंस मिल गया और कुछ को नहीं। इलाहाबाद रीजन में इसी तरह से हुआ है। मैं नाम बतलाना चाहता हूं। ये हैं ब्रह्मदयाल डिमरी, ओ० बी० लाल, जी० पी० वाही, लाल सिंह कपूर। इन्हें गुड कान्डक्ट अलाउंस मिला। लेकिन दूसरों को नहीं दिया गया। वे हैं दयाशंकर तिवारी, महबूब आलम, अली मुहम्मद और प्रेमनाथ। जिन लोगों की पहुंच है, जो असर डाल सकते हैं, उन्हें सब सुविधायें मिल जाती हैं। हो सकता है यह गलत हो। अगर आपने उनसे क्लर्क का काम लिया तो उन्हें भी अलाउंस देना चाहिये क्योंकि वे भी वैसा ही काम करते हैं। काम भी मेहनत से किया है।

कई एक नान-स्टाप बस बनारस से जौनपुर और जौनपुर से बनारस चलती हैं जिसमें बहुत कम सवारियां चलती हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे बीच में एक स्थान पर पिन्डरा और बनारस के सिविल एरोड्रोम बाबतपुर पर रोक दें तो आपको पचासों रुपये रोजाना की अधिक इनकम हो सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर आप गौर करें और जो सुविधायें आप

लोगों को दे सकते हैं आप दें और नयी नयी सड़कों का राष्ट्रीयकरण जल्दी से जल्दी करें। मिर्जापुर से बनारस और गाजीपुर से जाने वाले मार्गों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये सरकार को प्रदेश की सारी सड़कों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विभाग के द्वारा सरकार की ओर से राष्ट्रीयकरण द्वारा जो समाजवाद का कदम उठाया गया है वह सराहनीय है। जिस प्रकार से केन्द्र का विभाग पोस्ट आफिस है उसी प्रकार से प्रदेश में ईमानदारी और सच्चाई के लिये यह विभाग है। जब से सरकार ने इस विभाग को अपने हाथ में लिया है जनता की मुसीबतें दूर हुई हैं और संतोष का वातावरण छाया है। पहले जो प्राइवेट गाड़ियां चलती थीं उनमें लोगों को बोरी की तरह से भर दिया जाता था लेकिन जब से सरकार ने इसका प्रबन्ध लिया है और उसके द्वारा जनता को जो आराम पहुंचाया है, इसके लिये यह विभाग सराहनीय है।

हमारे जिले में कुमायूं मोटर यूनियन नाम की एक इंडस्ट्री भी जनता की बड़ी सेवा कर रही है। इस आपद्कालीन स्थिति में डिफेंस की मदद में जो कार्य इस यूनियन ने किया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी अवश्य हैं जो इस पनपती हुई इंडस्ट्री को, जो पहाड़ों में अकेली बड़ी इंडस्ट्री है, ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान कई बार आकर्षित किया है। मुझे आशा है इस पर विभाग बहुत सख्ती से कदम उठायेगा।

इन सब बातों के साथ ही साथ इस विभाग के जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी हालत बहुत शोचनीय है। उनका केडर अन्य विभाग के कर्मचारियों से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त उनको यह भी पता नहीं है कि अन्तिम समय तक वे उस पद पर रह भी सकेंगे या नहीं। उनको अपने भविष्य और बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस ओर सरकार को अवश्य कोई कदम उठाना चाहिये।

इसी से जुड़ा हुआ एक पर्यटन विभाग है। मैं इसके बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूं। ऐसे समय में जब कि देश आपद्कालीन स्थिति से गुजर रहा है पर्यटन विभाग के जरिये हम अपने उस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और ऐसे समय में जब कि हमें वहां की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है, उसमें किसी प्रकार की कटौती करना दूरदर्शिता का काम नहीं होगा। हमारी सरकार बहुत ज्यादा धन पर्वतीय क्षेत्र व पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये खर्च कर रही है तो इस पर्यटन विभाग में किसी प्रकार की कटौती करना उचित नहीं होगा। इस पर्यटन विभाग को न तोड़े जाने के सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष और मैंने एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री जी को दिया और मुझे अत्यन्त खुशी है कि उन्होंने इस विभाग को फिर रिटेन कर दिया है। इसके लिये मैं पहाड़ी जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, इस विभाग के विस्तार को बढ़ाने के लिये आज जरूरत इस बात की है कि एक रीजनल टूरिस्ट कमेटी बनायी जाय जो समय समय पर विभाग को इस बात से परिचित कराती रहे कि इसमें कहां-कहां किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सकता है और क्या-क्या चीजें आवश्यक हैं ताकि बाहर के जो टूरिस्ट यहां आते हैं उनकी जरूरियात को विभाग पूरा कर सके। श्रीमन्, आप को तो मालूम ही है और सरकार को भी मालूम होना चाहिये कि बाहर से जो लोग आते हैं वे हमारे यहां काफी रुपया खर्च करते हैं जिससे छोटे-छोटे दूकानदारों, कुलियों व मजदूरों को बड़ी राहत मिलती है। बाहर के लोगों का आना ही उनकी रोजी का जरिया माश होता है।

[श्री देवेन्द्रसिंह]

मैं आप को बतलाऊं कि इस पर्यटन विभाग से हमारे प्रदेश को करीब ४–५ करोड़ रुपये की इनकम है। हो सकता है कि डाइरेक्टली सरकार को कोई फायदा न हो, लेकिन इससे सरकार को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं है। अगर इस विभाग के ऊपर सरकार को २–३ लाख रुपया खर्च भी करना पड़े तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान सरकार का होने वाला नहीं है।

इसी तरह से नैनीताल से लखनऊ को जब सरकारी दफ्तर हटाया गया तो माननीय मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रिगण ने हमें यह आश्वासन दिया था कि इससे वहां के लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उस नुकसान को हम पर्यटन विभाग को बढ़ कर पूरा कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि अगले वर्ष से सरकार फिर उसी प्रकार से नैनीताल जाय, जैसे पिछले वर्षों में जाती रही है। खासकर इस वक्त तो सरकार का नैनीताल जाना और भी लाजिमी है क्योंकि मुसीबत अब पहाड़ों पर ही आने वाली है।

मैं आप से निवेदन कर रहा था कि सरकार नैनीताल अवश्य जाय क्योंकि उसमें सरकार का कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। इस वक्त जो हमारे सरकारी दफ्तर हैं वे प्राइवेट बिल्डिंग्स में हैं और सेक्रेटेरियट की बिल्डिंग सब खाली पड़ी हैं, तो उससे भी हमारा नुकसान हो रहा है।

एक बात मैं आप से और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति आसाम गवर्नमेंट की है, उसी प्रकार की स्थिति आज हमारे प्रदेश की भी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आसाम गवर्नमेंट का एक सब-हेडक्वार्टर शिलांग से गौहाटी को हटा दिया गया है, उसी प्रकार से आप भी एक एडिशनल हेड क्वार्टर जो कि हमारे चीफ सेक्रेटरी का है, नैनीताल में रखें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस विभाग के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आप को धन्यवाद अदा करता हूं। माननीय हिम्मत सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। विभाग की आलोचना करने के लिये ही उन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। वैसे तो यह मुश्किमा बहुत ही सुन्दर है और इसकी आवश्यकता है क्योंकि इसने जनता को बहुत ही आराम दिया है। मैं प्रत्येक विषय पर जितने भी सरकारी मिनिस्टर हैं, उन सब से कहता हूं और खास कर परिवहन विभाग के मंत्री जी से कहता हूं कि आम तौर से जैसा कि और लोग भी कहते हैं कि ऊंची सर्विसेज के लोग मिनिस्टरों के ऊपर हावी हैं। और जब कभी भी किसी देश में ऊंची सर्विसेज मिनिस्ट्री पर हावी हो जाती हैं तब उस देश में फासिस्टवाद का उदय हो जाता है और जनता की तकलीफें बढ़ती हैं।

मैं अपने जिले के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिसम्बर, १९६२, २५ तारीख को मेरे जिले में रोडवेज के एक ऊंचे आफिसर दौरे पर गये थे। २२ तारीख से ही हाथी लाने के लिये डिपार्टमेंट की टैक्सी जिले के रईसों के यहां घूमती रही। अन्त में हाथी मिल गया। ए० जी० एम० साहब की कार की सीट निकाली गयी और उसमें भैंस का बच्चा कठरा जंगल में बैठाकर ले जाया गया। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने अपने लिये टैक्सी मांगी और मुझे उस पर यह बतलाया गया कि वह शिकार में गयी हुई है। मैंने ७, ८ पत्र परिवहन मन्त्री जी को भी और श्री गुप्ता जी को भी लिखे, लेकिन एक भी पत्र का उत्तर नहीं मिला। मुझे अत्यंत दुख अपने विधान सभा के सदस्य होने पर हुआ कि यह प्रजातंत्रीय सरकार है। मैं अपने मित्रों से जो रूलिंग पार्टी के हैं कहना चाहता हूं कि जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं वह जानते हैं कि विरोधी दल के लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। मैं अंग्रेजों के जमाने की बात कहता हूं हम लोग तो सिद्धान्तों पर बोलते हैं, लेकिन उस वक्त तो हम असिद्धान्तों पर भी सरकार की बुराइयां किया करते थे। मैं मिसाल देता हूं कि नई दिल्ली की सड़कों पर जब टेलागाड़ी चलाना मना थी तब कई कांग्रेसमैन वहां बैलगाड़ियां इसलिये चलाते थे कि गोबर वहां करवाया जाय। इस तरह के उस वक्त हम आन्दोलन

करते थे। अब तो हम सिर्फ आलोचना और वह भी सैद्धान्तिक आलोचना करते हैं जो विरोधी दल का कर्त्तव्य है। जिस टैक्सी के बारे में मैं कह रहा था उस टैक्सी के बारे में एम० एल० ए० को पता चल गया तो २६ तारीख को, मैंने सुना है, १५०-रुपये स्टेट बैंक में किराये के नाम पर दाखिल करा दिये गया।

इसके अतिरिक्त, वहां जो दोमंजिला इमारत बस स्टेशन, शादीपुर में बनी है उसमें सोयम ईंटें लगाई गई हैं। मैंने उसकी रिपोर्ट की और थोड़ा सा तहलका जब मचा तो जिले के हमारे कांग्रेसी विधायकों ने ए० जी० एम०, बिजनौर से कहा कि कोई घबड़ाने की बात नहीं है सब ठीक हो जायगा मुझे मुरादाबाद स्टेशन पर केदार सहब मिले थे, वह मेरे ही आदमी हैं। उन्होंने मुझ से कहा कि "इस घर को आग लग गई घर के चिराग से"। मैंने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि आपने शादीपुर स्टेशन की रिपोर्ट कर दी है। इसलिये अब लिख दो कि मजदूरों की मड़ैय्या बनाने के लिये ईंट आई थीं। तब मैंने कहा कि मैं नहीं लिख सकता। पता चला कि यहां से कोई डिप्टी ट्रांसपोर्ट आफिसर बिल्डिंग की तहकीकात के लिये गये थे पता नहीं क्या हुआ। हिरमंजी का रंग उस स्टेशन पर पोत करके टीप कर दी गई है। मन्त्री जी भी गये थे, वह नजीबाबाद ठहरे भी लेकिन कुछ नहीं किया। मैं अब भी कहता हूं कि उस बिल्डिंग की बुनियाद खुदवाकर देखी जाय और यदि सोयम ईंटें लगी हों तो उसे गिरा दिया जाय।

मैं मूलचन्द शास्त्रीजी की सराहना करता हूं कि उन्होंने कहा कि गाड़ियां विलम्ब से पहुंचती हैं। गाड़ियां लेट हो जाती हैं और लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं।

दूसरी बात जो रामसुन्दर जी ने कही वह भी सराहना के योग्य है कि जब तक बिल्डिंग पी० डब्यू डी० द्वारा बनती थी तब तक ठीक बनती रहीं, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग खराब बनी। मैं मन्त्री जी से और उनके विभाग के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि उनको ध्यानपर्वक और सख्ती से कार्य करने की आवश्यकता है। मैं एक मिसाल देता हूं। एक सांप राह चलते आदमियों को रोज काटता था। जब लोग अधिक मरने लगे तो एक साधु महात्मा उधर से निकले और उन्होंने उस सांप से कहा कि तुम लोगों को काटते हो और लोग मर रहे हैं। तब उसने कहा कि फिर क्या करूं? उन्होंने उससे कहा कि आज से न काटा करो और हमारे चेले बन जाओ। और जब वह चेला बन गया तो उसने काटना छोड़ दिया, लेकिन जब उसने काटना छोड़ दिया तो फिर लोगों ने उस सांप को ढेले मारना शुरु कर दिया जिससे वह जख्मी हो गया और उसके ऊपर तमाम चीटियां छा गईं। उसके बाद जब महात्मा जी ने देखा कि उसके ऊपर तमाम चीटियां छाई हुई हैं तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या दशा हो गई है। तो उसने कहा कि जब से आप का चेला हो गया हूं और मैंने कांटना छोड़ दिया है तब से मेरी यह दशा हो गई है। इसपर महात्मा जी ने कहा कि मैंने यही कहा था कि काटना मत, मैंने यह तो नहीं कहा था कि फुसकारना भी मत। मैं यही कहता हूं कि आप कम से कम इन बड़े अफसरों पर फुंकारते तो रहिये, इन पर कन्ट्रोल रखिये, उनसे आप डरिये नहीं, झुकिये नहीं। कितना ही बड़ा अफसर क्यों न हो यदि वह शरारत करता है तो आप उसको नौकरी से निकाल दीजिये। यही मेरा निवेदन था।

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस सूबे के अवाम की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुये एक अहम काम अंजाम दे रहा है। और जनता की सहूलियत व आसायश को मद्देनजर रखकर उसने अभी तक जो काम इस सूबे में अन्जाम किया है उससे जनता का एतमाद बराबर बढ़ता जा रहा है और लोग उसके काम से ज्यादा से ज्यादा मुतमईन होते जा रहे हैं और इस सब के लिये हमारे आनरेबिल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट तारीफ व मुबारकबाद के लायक हैं।

[बेगम किदवर आरा]

जब हम इस मुहकमे के बजट पर नजर डालते हैं तो इसमें कुछ खामियां नजर आती हैं। इस महकमे की सन् ६३–६४ की आमदनी १४ करोड़ १५ लाख ३५ हजार २ सौ रुपया होती है और जो पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स से १ करोड़ से कुछ ज्यादा है इस तरह से आमदनी की रकम में इजाफा होना महकमे के लिये एक बाइसे फख् चीज है। और इसकी जितनी भी तारीफ की जाय कम है। लेकिन इखराजात के सिलसिले में उस पर २० करोड़ २ लाख, ५५ हजार ९ सौ रुपया खर्च हो रहा है और यह भी पिछले साल के मुकाबले में करीब १ करोड़ के ज्यादा है। इस तरह से जो आमदनी में इजाफा हुआ है वह इखराजात की रेशियो में वह बराबर ही आता है।

दूसरे इस वक्त चूंकि एमर्जेंसी का जमाना है इस वास्ते में चन्द तजावीज पेश करना चाहती हूं जो मुमकिन है कि हालात के तहत हमारे मोअजिज मिनिस्टर साहब पूरी न कर सकें। अव्वलीन तो एक चीज ऐसी है कि जो अवाम की भलाई के लिये बहुत जरूरी है। यह कि मुलाजिमीन जिन को इनाम दिया जाता है और जिन में टेक्निकल स्टाफ और ड्राइवर्स को शामिल किया जाता है उनमें कंडक्टरों को भी शामिल किया जाय तो बहुत मौजूं होगा। मुसाफिरों के साथ बेहतर बर्ताव करने और सलूक करने के लिये उनको इनाम दिया जाय और मुसाफिरों को कंडक्टरों की डायरी में नोट लिखने की इजाजत होना चाहिये ताकि उसके रिकार्ड पर उनको इनाम दिया जा सके या तम्बीह की जा सके। ट्रांसपोर्ट विभाग के मुलाजमीन को welf ir activities के सम्बन्ध में सहलियतें मिलनी चाहिये जो रेलवे के मुलाजमीन को मिली हैं।

इसके अलावा जहां तक ट्रांसपोर्ट के मुलाजिमीन का ताल्लुक है उनके लिये वेलफेयर सेंटर्स होने चाहिये। जिस तरह से कि रेलवे में स्पोर्टस वगैरह का इन्तजाम उनके लिये होता है उस तरह का कोई इन्तजाम ट्रांसपोर्ट के लोगों के लिये नहीं है। यह मसला उनके हक में इस वक्त तक हल नहीं हुआ है। हर जिले में इन लोगों के लिये एक अलग कालोनी कायम की जाय जहां पर अस्पताल, स्कूल, क्वाटर्स, खेल के मैदान पार्क वगैरह कायम किये जायं ताकि उन लोगों के लिये भी मुनासिब सहूलियतें बरहम हो सकें। उनके प्राविडेंड फंड और स्टेट इंश्यूरेंस के सिलसिले में जो रकम रखी गई है वह चीज वाकई में काबिले तारीफ है।

टूरिस्ट ट्रैफिक के बजट को इस साल एमर्जेंसी के सबब के करीब निस्फ के कर दिया गया है और इमसाल इस मद में ३ लाख ४ हजार रुपया मंजूर हुआ है जब कि पिछले साल रिवाइज्ड एस्टीमेट्स ७ लाख ७३ हजार २ सौ रुपये का था जो रकम सर्फ हो रही है यह भी ज्यादातर तनख्वाहों पर हो रही है।

टूरिस्ट ट्रैफिक की जो पब्लिसिटी होनी चाहिये, जैसे कश्मीर सरकार करती है उस का अगर एक बटे सौ हिस्सा भी हमारी सरकार करे तो हमारे पहाड़ कश्मीर से कम दिलफरेब नहीं हैं और इसके लिये अकेले कुमायूं को चुन लिया जाय तो ज्यादा मौजूं नहीं होगा बल्कि मथुरा, हरद्वार, बनारस वगैरह ऐसे मुकामात हैं जहां पर टूरिस्ट्स पहुंचते हैं और वहां पर उनको मुनासिब सहूलियतें मिलनी चाहिये।

वाटर ट्रांसपोर्ट अभी तक सूबे में बहुत मामूली है। अगर इस पर तवज्जह दी जाय तो बहुत तरक्की हो सकती है और रामपुर जिले में इसकी बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि बरसात के दिनों में १ तहसील जिले से बिलकुल अलग हो जाती है और इस डिपार्टमेंट से जो फायदा अवाम को होना चाहिये वह नहीं होता है। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट का काम तेजी से होने लगे तो ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो बरसात के दिनों में कमी पैदा हो जाती है वह खत्म हो जाय।

सिटी बस सर्विस जो यहां शहरों में चल रही है यह अगर १ लाख से ऊपर आबादी वाले सभी शहरों में चालू की जाय तो ज्यादा कामयाबी हो सकती है और सरकार को भी मुनाफा हो सकता है और जो मकसद विभाग का है वह और भी ज्यादा पूरा होगा।

खिसारा ६ करोड़ रुपये का है। यह बात जरूर है कि अवाम को सहूलियत पर खर्च किया जा रहा है लेकिन इसके लिये एक छानबीन कमेटी बना दी जाय जो यह देखे कि आखिर क्या वजह है। इससे ज्यादा कामयाबी हो सकती है। इस विभाग ने जो तरक्की की है इसके लिये हम सबको अपने मिनिस्टर साहब का शुक्र गुजार होना चाहिये और जो बजट मंत्री जी ने पेश किया है उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देती हूं और बजट का तहेदिल से समर्थन करती हूं। अवाम इसके कामों से काफी मुतमइन होता जा रहा है।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं खुश हूं कि आपने मुझे भी समय दे दिया। इसके पहले कि मैं कुछ कहूं मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तारीफ करना चाहता हूं कि हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, नानपारा से नवाबगंज, तो बस में इतना आराम उठाते हैं जिसको कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि इतनी बसें चलती हैं जिससे सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि न मालूम वह कब बह जायेंगी। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इससे पहले कि और बसें उस पर चलें वह सड़कें पक्की हो जायं तो बेहतर है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र पर कृपा करेंगे।

अब मैं अपने हमरास्ते पर आ जाता हूं और एक कविता आपकी सेवा में रख देता हूं—

मुजफ्फर की गाड़ी धंसी जा रही है,
मोहब्बत की साड़ी फंसी जा रही है।
किराये बिना ही एम० एल० ए० पैसेंजर,
चलें कब सवारी कसी जा रही है।

सेंटर में तो यह सुविधा है कि वहां के सदस्य रेल से फ्री चलते हैं। यह बदकिस्मती एम० एल० एज० की है कि उनके लिये फ्री चलना नामुमकिन है। खुदा जाने किराये बिना कब एम० एल० ए० पैसेंजर चलेंगे।

एम० पी० चलें रेलगाड़ी में टिकट बिन,
एम० एल० एज० के मुंह से हंसी आ रही है।
सेंटर की गाड़ी फ्री चल रही है,
मुजफ्फर की गाड़ी धंसी जा रही है।

अब मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ चन्द बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि कम से कम एम० एल० एज० रेलगाड़ी से फ्री सफर न कर सकें तो फिर बसों से ही फ्री सफर करने की इजाजत मिल जाय। मेरे क्षेत्र की सड़कों का भी जरा खयाल रखा जाय तो शायद इसी बहाने मेरा नाम भी अखबारों में शाया हो सकेगा। हम तो यही चाहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार चाहेगी तो हमारे क्षेत्र को दूध की नदियों से तर कर देगी। लेकिन अगर आर० टी० ओ०, ए० टी० ओ०, के ही जिम्मे सारी चीजें रहीं तो पता नहीं फिर किस-किस की खुशामद करनी पड़ेगी तब जाकर स्टेट कैरिज की पर्मिट मिलेगी और हम असली मानी में एम० एल० ए० हो पायेंगे।

बहराइच क्षेत्र की अगर उन्नति हो जाय तो हम आपके बड़े मशकूर होंगे और एक ऐसी बस सर्विस कायम कर दी जाय कि आसानी से रामपुर पहुंच जायें।

श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस परिवहन विभाग के सम्बन्ध में जो अनुदान प्रस्तुत है उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विभाग ऐसा है जो जनता को बहुत बड़ा आराम पहुंचा रहा है। ग्रामीण जनता १९४७ से पहले जब लारियों से चलती थी और जो तकलीफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विष्णुप्रतापसिंह]
उसे तब उठानी पड़ती थी आज उसे वह तकलीफ नहीं है। आज वह आराम से बसों पर बैठ कर अपने गांव जाती है। पहले जब लारियां चलती थीं तो एक-एक जगह पर घंटे घंटे खड़ी रहती थीं और एक की जगह दो सवारी बैठाती थीं जिससे यात्रियों को बड़ी परशानी होती थी। लेकिन अब स्टेट बस सर्विस हो जाने पर यात्रियों को बड़ा आराम मिल रहा है।

मैं आपका ध्यान अयोध्या में होने वाले मेले की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है और उसके लिये लकड़मन्डी स्टेशन पर यात्री इकट्ठा होते हैं। गोरखपुर, बस्ती, बहराइच के यात्री लकड़मंडी हो कर जाते हैं। लकड़मन्डी स्टेशन पर यात्रियों के लिये कोई साधन नहीं हैं ठहरने के लिये। इस तरह के मेले में देहाती जनता ही काफी जाती है जिसको यह नहीं मालूम हो पाता कि किस नम्बर की बस कहां जायगी। इसलिये मेलों के समय में इस लकड़मन्डी बस स्टेशन पर एनाउसमेंट होना चाहिये। बस पहचानने में तथा टिकट लेने में सुविधा नहीं है इसलिये यहां पर यात्रियों को बड़ी तकलीफ होती है।

एक चीज मैं और कहूंगा। गोंडा गोरखपुर रोड पर नवाबगंज एक बड़ा कस्बा है। वहां पर बस स्टेशन नहीं है। वहां बस खड़ी होती है और कंडक्टर टिकट बनाता है। इस में यात्रियों को बड़ी तकलीफ होती है। अगर वहां पर यात्रियों के बैठने का स्थान और बुकिंग आफिस बना दिये जायं तो लोगों को बहुत आसानी हो। यहां पर शुगर फैक्टरी है और काफी यात्री भी बस स्टाप पर इकट्ठा रहते हैं। इसके अलावा बलरामपुर नरवान रोड पर जो प्राइवेट बस चलती है उसको अगर सरकार ले ले और गवनमेंट की रोडवेज इस पर चलें तो अच्छा हो, क्योंकि प्राइवेट लारी और ट्रक के जरिये सीमा के उस पार कोयलाबासा को चीनी, मिट्टी का तेल तम्बाकू वगैरह चोरी से काफी माल जाता है। सरकारी बस चलने से चोरी से माल इधर से उधर और उधर से इधर आने जाने नहीं पायेगा।

अब मैं एक सुझाव और रखूंगा जिसका मुझे जाती तजुरबा है। अक्सर बसों में जगह रहती है, लेकिन कंडक्टर और ड्राइवर बस नहीं रोकते हैं। यात्री बस स्टेशनों पर खड़े रहते हैं, हाथ देते हैं लेकिन ड्राइवर लोग गाड़ी नहीं रोकते। बस लेट हो जाती है और टाइम मेकअप करने के लिये वे लोग बस नहीं रोकते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दिक्कतों को दूर करने की जरूर कृपा करें।

गोंडा बस स्टेशन पर एक चीज और मैंने देखी। यात्री लोग टिकट ले लेते हैं, बस में बैठ जाते हैं, बस भरी रहती है परन्तु ड्राइवर और कंडक्टर का पता ही नहीं लगता। फिर मालूम होता है कि कहीं बैठे चाय पी रहे हैं। आध-आध घंटे बस लेट हो जाती है और जनता गरमी में काफी परेशान होती है। तो मन्त्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें। इसके अलावा गोंडा बस स्टेशन पर मुसाफिरखाना बहुत छोटा है, जिससे यात्रियों को बड़ी तकलीफ होती है। इस ओर भी मंत्री महोदय ध्यान देने की कृपा करें।

मैं इन चन्द शब्दों के साथ एक बार फिर इस अनुदान का समर्थन करते हुये बैठता हूं।

*श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्तुत बजट है और जो मौजूदा डिपार्टमेंट की पालिसीज हैं उनसे यह जाहिर होता है कि इस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के दो, तीन सबसिडियरी डिपार्टमेंट्स हैं, मस्लन, सिटी गवर्नमेंट रोडवेज है, पैसेंजर टैक्स क्लेक्शन सुपरिंटेंडेंट्स हैं, आर० टी० ओ० आफिस में आर्डिनरी मोटर वेहिकिल्स के टैक्सेज को कलेक्ट करने के लिये आर० टी० ओ० का डिपार्टमेंट भी है। यू० पी० सर्विसेज में हर डिपार्टमेंट के अन्दर इन्टरचेंजेबिल सर्विसेज हैं, बशर्ते कि वह एक मिनिस्ट्री के अन्तर्गत हों, एक डिपार्टमेंट हो। यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आर० टी० ओ० आफिस के जो क्लास थ्री के कर्मचारी हैं इन को तरक्की करने का मौका यह डिपार्टमेंट अभी तक नहीं देता है। आउट-साइडर की हैसियत से बैठ कर चाहे एक-आध कोई टैक्स क्लेक्शन सुपरिंटेंडेंट ले लिया गया हो, लेकिन आर० टी० ओ० आफिस से कोई भी तरक्की क्लास थ्री के लोगों को नहीं मिलती। उसका कारण यही है कि ८-१० साल नौकरी करने के बाद मैक्सिमम पर पहुच जाते हैं और उसके बाद उनका फ्यूचर ही ब्लाक हो जाता है। जब कि यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज के अन्दर ही कंडक्टर से लेकर ए० जी० एम० तक के लिये तरक्की के सब रास्ते खुले हैं, जो तरक्की करना चाहे और जिसमें तरक्की करने की क्षमता हो उसके लिये आर० टी० ओ० के दफ्तर में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे कहना तो कुछ मुनासिब नहीं, लेकिन एक उदाहरण दे सकता हूं कि एक सुरेंद्र सिंह हैं कानपुर आर० टी० ओ० आफिस में। उन्होंने यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज में अप्लाई किया। उनको कह दिया गया कि इंटरचेंजेबिल सर्विसेज नहीं हैं। आपको वहां सर्विस नहीं मिल सकती। तो कैसे प्रोत्साहन देंगे उन लोगों को? आखिर वह भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सर्विस है। उनके लिये थोड़ी बहुत गुंजायश तो करनी चाहिये।

इसके अलावा मुझे यह निवेदन करना है कि आज जब आप चाहते हैं कि हर एक आदमी की तरक्की हो तो मिडिल क्लासेज के लिये स्टेट कैरेज के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अच्छे रूट्स हैं उनको आपने नेशनेलाइज कर लिया तो बकिया रूट्स पर गुंजाइश नहीं रहती है। सबकी इच्छा है कि रोडवेज तरक्की करे। लेकिन जो प्राइवेट आपरेटर्स हैं जिनको परमिट मिलते हैं उनको भी कुछ छूट मिलनी चाहिये। मैं जानता हूं कि मंत्री जी जबाब देंगे कि उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं रह पाता, लेकिन आपके लाज बने हुये हैं। वे किराया ज्यादा नहीं ले सकते हैं न ज्यादा पेसेंजर्स बिठा सकते हैं। अगर कोई उनकी पाबंदी नहीं करता है तो आप सख्ती कर सकते हैं और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। छोटे आदमी ८—१० हजार रुपया लगाकर हायर परचेज सिस्टम पर मोटर खरीद कर अपने बच्चों की इस से गुजर बसर करते हैं। लेकिन उन पर भी सख्ती बरती जा रही है। मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

अलावा इसके रोडवेज के कंडक्टर्स, ड्राइवर्स बुकिंग क्लर्क्स को ८ घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। यह चीज हमारे मंत्री जी और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब की निगाह में भी है। जितनी देर तक बस चलती है वही समय उनकी ड्यूटी में लगाया जाता है। एक आदमी सुबह ६ बजे से घर से चलता है और ८ बजे घर पहुंचता है तो १४ घंटे वह बाहर रहता है। यह विभाग कामर्शियल डिपार्टमेंट की तरह से हो गया है। उनके वर्कर्स को आराम करने का समय मिलता है, बोनस मिलता है और बहुत सी फेसिलिटीज हैं। इसलिये जब आपका विभाग एक कमर्शियल विभाग है और आप अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनकी लिविंग कंडीशन्स को अच्छा करें। अगर आप उनको ५ रुपया महीने का भी ओवरटाइम दे देंगे तो उनके लिये एक बड़ी चीज होगी।

इसके अलावा मुझे यह भी निवेदन करना है कि आपकी जो रोडवेज ट्रांसपोर्ट आफिसर्स की अथारिटी की मीटिंग होती है, इनमें मैं चाहता हूं कि मिले-जले सब पार्टीज के मैम्बर्स होने चाहिये। यदि यह लोग इन मीटिंग्ज में जायेंगे तो जो धांधलेबाजी होती है वह भी कम हो जायगी। यह मैं नहीं कहता कि जो सदस्य इसके मेम्बर हैं वे गड़बड़ी करते हैं, लेकिन मिलीजुली कमेटी होगी तो ज्यादा सहूलियत होगी और सरकार को भी किसी गड़बड़ी के होने पर यह कहने का अवसर मिलेगा कि आप लोग भी तो इसमें हैं, इसलिये आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन चीजों पर ध्यान देंगे तो उनकी बड़ी कृपा होगी। इसमें तरक्की की बात है किसी गड़बड़ी की नहीं। इन सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)---

अधिष्ठाता महोदय,

श्री मैनेजर्सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारे स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य और बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये थे जिसमें माननीय कृष्णसिंह जी खड़े नहीं हुये थे, लेकिन आपने उनको पुकारा। तो आप व्यवस्था दें कि जो माननीय सदस्य खड़े न हों उनको भी आप बोलने के लिये पुकारेंगे ? (व्यवधान) यह आप भी कह दें जैसे हरिश्चन्द्र के अनुयायी सरकारी पक्ष के लोग बैठे हैं, आप भी यही व्यवस्था दे दें कि खड़े थे तो मैं वापस कर लूं।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं। वह खड़े हुए थे। इसलिये मैंने बुलाया।

श्री कृष्णसिंह---

अधिष्ठाता महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं खड़ा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि उनको दिखाई नहीं पड़ा। मैं बार-बार खड़ा हुआ।

जो अनुदान इस सदन के सामने माननीय मंत्री जी ने रखा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और वह समर्थन के काबिल है। मैं यह समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह सिर्फ त्रुटियों, खामियों को सामने रखने के लिये, रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह भी इसका समर्थन करेंगे। मैं यह समझता हूं कि विरोधी दल का आलोचना करना ठीक ही होता है। उससें जो सरकार की बहुत सी खामियां होती हैं वह सामने आ जाती हैं। लेकिन साथ ही में हम लोगों को यह भी महसूस करना चाहिये कि इस विभाग में तीन-चार हजार बसें चल रही हैं, नौ-दस हजार मील बसेज कवर करती हैं। २२-२३ हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था में कुछ त्रुटियां, कुछ खामियां, कुछ मिसमैनेजमेंट, कुछ चोरी भी हो सकती है। कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर ली जाय, उसमें जरूर थोड़ी बहुत खामियां होंगी। हम लोगों का कर्तव्य है कि उन त्रुटियों को सामने रखें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसके अनुदान का समर्थन न करें। मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य नैशनलाइजेशन आफ ट्रांसपोर्ट का समर्थन करेंगे। इससे भविष्य में बड़ा लाभ होगा। यह सब को मान्य होगा।

मैं सिर्फ दो एक बातों की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने आर० टी० ए० के विषय में कहा। मुझे जहां तक तजुरबा हुआ है, मैं भी बड़े गरीब क्षेत्र सें आया हूं---उत्तर काशी, जो शायद प्रदेश में सबसें गरीब क्षेत्र है। वहां की बातें भी आर० टी० ए० के सामने आती हैं, मैं भी मौजूद रहता हूं। मेरा तजुरबा है कि वह कोई पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से जिनकी आर्थिक हालत अच्छी है उन्हीं को परमिट मिल जाते हैं। उसकी वजह पक्षपात नहीं है, बल्कि यह है कि गरीब लोग यह नहीं जानते कि दरख्वास्त किस तरह से देनी है, क्या-क्या लिखना है, अनभिज्ञता के कारण। इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि गरीब तबके के लोग जैसे हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको परमिट मिलने चाहिये। सारे उत्तर काशी क्षेत्र में सिर्फ ५ परमिट मिले हुए हैं जबकि करीब दो सौ बसें ऋषिकेष से गंगोत्री, जमनोत्री वगैरह के लिये चलती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां के लोगों को ज्यादा परमिट मिलने चाहिये। वहां के लोग गरीब हैं, वह नहीं जानते हैं कि किस तरह से परमिट की दरख्वास्त देनी होती है उनके साथ पूरा सहयोग होना चाहिये जिससे कि वह परमिट हासिल कर सकें। दूसरी बात यह है कि ड्राइवर्स और क्लीनर्स जो वहां के हैं उनको परमिट जरूर मिलना चाहिये, उनको इसमें प्रायरिटी मिलनी चाहिये। बहुत से कंडक्टर्स और ड्राइवर्स तथा क्लीनर्स ने इसके लिये दरख्वास्तें दीं लेकिन वह नामंजूर हो गई। मैं यह उचित समझता

हूं कि जो इस बिजनेस में लगे हुए हैं उनको प्रायरिटी दी जाय उनको परमिट जरूर मिलना चाहिये । इसी तरह कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी प्रायरिटी मिलनी चाहिये और उनको भी परमिट दिया जाना चाहिये ।

यह मैं जानता हूं कि यह ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो है उसमें कामर्शियल साइड और लोगों की सहूलियत इन दोनों चीजों का समन्वय करना पड़ता है । प्राइवेट एंटरप्राइज वाले यह करते हैं कि वह रुपये को खींचने की कोशिश करते हैं, प्राफिट कमाना उनका केवल इंटरेस्ट रहता है । लेकिन ट्रांसपोर्ट का जब गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण किया है तो उसको उसकी कमर्शियल साइड भी देखना है कि आमदनी भी होती जा और उसके साथ साथ जनता को सहूलियत भी मिलती जाय और जो कर्मचारी लोग हैं उनको भी सहूलियत मिले । इन सब बातों का समन्वय उसमें करना पड़ता है । इसमें कुछ कठिनाइयां पड़ती हैं । उन कठिनाइयों को दूर करना सरकार का कर्त्तव्य है और हम सब लोगों का कर्त्तव्य है कि उनके दूर करने में हम सहयोग देवें ।

इस डिपार्टमेंट के अधीन एक टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी है । इस डिपार्टमेंट का अनुदान जो इस बार कम कर दिया गया वह ठीक नहीं है । टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिये और ज्यादा पैसा इसको मिलना चाहिये जिससे कि विदेशी लोग वहां अधिक संख्या में आयें और उससे गरीब लोगों की आर्थिक हालत अच्छी हो । यह गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तर-काशी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा वगैरह में टूरिज्म को ज्यादा डेवलप करना चाहिये जिससे टूरिस्ट लोग वहां जायं और वहां के लोगों की आर्थिक हालत अच्छी हो ।

कुछ माननीय सदस्यों ने जीपों के लिये कहा है कि एलेक्शन के समय में जीपें सब कांग्रेस के सदस्यों को ही दे दी गईं । यह बात सही नहीं है । मैं खुद ही जीप के लिये यहां पर आया था तो मालूम हुआ कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वाले ले गए । ठीक है, कहीं ऐसी गलती भी हो गई हो, ऐसी गलती हो सकती है । लेकिन आम तौर से जैसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस वालों को परमिट मिलते हैं और कांग्रेस वालों को ही जीपें चुनाव में मिलती हैं, यह बिलकुल गलत बात है, क्योंकि मैंने देखा है आर० टी० ए० से जो परमिट्स लेते हैं व हासिल कर लेते हैं वे न तो कांग्रेस-मैन होते हैं और न कोई किसी पार्टी के हैं, वे तो वह हैं जो कि चतुर होते हैं और जो जानते हैं कि किस तरह से परमिट हासिल किये जाते हैं । हमारे समाज की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि जिसमें इस तरह के लोग ज्यादा फायदा उठा लेते हैं । इसमें सरकार का कसूर नहीं है । हम लोगों को तो यह करना है कि जो गरीब हैं उनकी मदद करें जिससे वह उन फायदों को हासिल कर सकें जो सरकार उनको देना चाहती है ।

यह भी कभी कभी खबर उड़ती है कि हमारे पहाड़ों में जो बसें चलती हैं प्राइवेट एन्टर-प्राइसेज, उनका राष्ट्रीयकरण होने वाला है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा समय की तरफ भी ध्यान दें ।

श्री कृष्णसिंह—

केवल एक मिनट और लूंगा । उस सिलसिले में मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि नेशन-लाइजेशन बिलकुल ठीक है, लेकिन अभी वहां का नेशनलाइजेशन करना उचित नहीं है । वहां की आर्थिक हालत बहुत बुरी है और स्थायी रूप से अगर किसी चीज से उनको फायदा हो सकता है तो दो ही चीजें हैं जिनसे उनको फायदा हो रहा है—ट्रांसपोर्ट बिजनेस से और बगीचे लगाने से । वहां पर लोग बगीचा लगाते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से वह ज्यादा नहीं लगा सकते हैं । बसेज भी लोग चलाते हैं, लेकिन वह भी ज्यादा नहीं । थोड़ी बहुत लोग चला सकते हैं । लेकिन स्थायी रूप से जो कुछ आमदनी हो रही है वह इन दोनों चीजों से हो रही है । इसलिये वहां पर इसके बारे में यह सोचना कि राष्ट्रीयकरण किया जाय यह उचित नहीं होगा । कुछ सालों तक वहां पर राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं होगा ।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस परिवहन के अनुदान के विवाद में मेरी इच्छा भाग लेने की नहीं थी, किन्तु हमारे एक साथी सरकारी पक्ष के माननीय मेहरा साहब ने अपने भाषण के सिलसिले में कहा कि इस प्रदेश में यदि कोई एक विभाग है जो अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिये प्रसिद्ध है तो वह परिवहन विभाग है । उनकी इस बात को सुनकर मेरी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ चर्चा करूं ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पक्षपात और भ्रष्टाचार के लिये कई एक महकमे आपके प्रदेश में मौजूद हैं, लेकिन उन सबमें यदि कोई प्रमुख महकमा है जिस महकमे में पक्षपात और बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई है तो यह परिवहन विभाग है । अधिष्ठाता महोदय, मैं इसके लिये किसी अधिकारी को दोषी नहीं मानता हूं । आज जो गड़बड़ी देखने में आती उसकी जड़ में इस शासनसूत्र का संचालन करनेवाली मंत्रि परिषद एवं उसके सदस्यगण हैं । यह उनकी जिम्मेदारी है उनके कारण विभागों में सुस्ती, लापरवाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है । माननीय मुजफ्फर साहब हमारे प्रदेश के पुराने जनसेवी हैं । मैं भी उनको अरसे से जानता हूं । मेरा भी खयाल था कि आप बड़े सीधे-सादे और भोले भाले व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने इनके विभाग की कारगुजारी को देखा और इनका इन्तजाम देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुजफ्फर साहब कम पार्टीबाज व्यक्ति नहीं हैं । इनका महकमा पार्टीबाजी और दलगत स्वार्थ-सिद्धि के लिये खोला गया है ....

श्री अधिष्ठाता—

व्यक्तिगत आरोप न लगाकर विभागीय नीतियों पर ही बोलें ।

श्री मैनेजरसिंह—

इन सभी नीतियों का संचालन मंत्री जी करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस विभाग की लापरवाही को आप दूर करना चाहते हैं, यदि आप इस विभाग में ईमानदारी तथा कर्तव्यपरायणता लाना चाहते हैं तो हमारे माननीय मंत्री जी का विभाग परिवर्तन करना चाहिये । इनके अन्दर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इस विभाग में परिवर्तन कर डालें । मंत्री जी कोई आराम का विभाग ले लें और उसमें अपना समय बितायें । हमारे मित्र पालीवाल जी बहुत नाराज हैं । मैं पालीवाल जी से और मुजफ्फर साहब से यह कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से मित्रों ने बसों के परमिट के गोलमाल की चर्चा की । मैं आपकी जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि क्या आप इस बात की जांच करेंगे कि जो आर० टी० ए० के मेम्बर आपके द्वारा मनोनीत हैं. उनका चरित्र शुद्ध है ? मैं गोरखपुर के सिलसिले में कहना चाहता हूं और साधिकार कहना चाहता हूं कि गोरखपुर के आर० टी० ए० के एक सदस्य हैं जिनकी बड़ी शिकायत है और दुर्गन्ध आ रही है । मैं शिकायत के लिये नहीं कहता । हमको भी शर्म का अनुभव होता है, जब रास्ते में या किसी चाय की दुकान पर बैठे हुये यह सुनने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का एम० एल० ए० ऐसा कार्य करता है । यह हमारे लिये शर्म की बात है । इस आदरणीय सदन के लिये भी कोई शोभा की बात नहीं है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप सेन्ट्रल सी० आई० डी० से पता लगावें कि गोरखपुर के आर० टी० ए० के मेम्बर जो हैं जो कांग्रेसी एम० एल० ए० हैं उनकी शिकायत है कि नहीं ।

एक सदस्य—

उनका नाम क्या है ?

श्री मैनेजरसिंह—

वह भी आप चाहें तो बता सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपा करके माननीय मैनेजर सिंह जी को उत्तेजित न करें और उन्हें भाषण देने दें ।

श्री मैनेजरसिंह––

मैं यह कह रहा था कि मैं नाम रख सकूंगा । मैं चाहूंगा कि उसकी जांच हो और यदि वह शिकायत गलत हो तो मुझे दंड मिले । मैं यहां तक कहूंगा कि यदि वह गलत हो तो मैं इस आदरणीय सदन की सदस्यता से भी त्याग पत्र देने के लिये तैयार हूं । मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके विभाग में ईमानदारी आवे और आपके विभाग में कर्मचारी सच्चाई से काम करें, तो जो पब्लिक के लोग उन कमेटियों में जाते हैं, उनका नैतिक स्तर ठीक रखना होगा और आप ऐसे लोगों को भेजें कि जिससे आपकी और हमारी शिकायत न हो ।

एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे माननीय साथी, जिनके संबंध में मेरी शिकायत है, इस आदरणीय सदन में मौजूद थे, परन्तु अब दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं चाहता था कि उनकी मौजूदगी में ही मैं इस बात को कहता । आप जिस आदरणीय सदस्य को आर० टी० ए० का सदस्य मनोनीत करते हैं, उसी रीजन में उस माननीय सदस्य के लड़के और भाई के नाम से परमिट लिये जाते हैं । क्या यह निष्पक्षता और ईमानदारी का नमूना है ? मैंने एक सवाल आर० टी० ए०, कानपुर के एक माननीय सदस्य के संबंध में किया था परन्तु वह तो महीनों तक एजेन्डे पर नहीं आया । सवालों का जो हाल इस आदरणीय सदन में होता है, वह तो आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं । इसलिये मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से यह सफाई चाहूंगा और यह स्पष्टीकरण मानूंगा कि इस प्रकार के लोग आर० टी० ए० के मेम्बर क्यों रखे जाते हैं जिनके अन्दर लिप्सा है, जिनके अन्दर इच्छा है कि हमारे लड़के और भाई के नाम से परमिट हो । या तो परमिट लें या आर० टी० ए० के मेम्बर रहें । मैं यह कहता हूं कि आप अपनी ही पार्टी के मेम्बर को भेजें, आपकी पार्टी में भी ईमानदार लोगों की कमी नहीं है । आपकी पार्टी में भी बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो कि कर्मठ हैं और जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था । ऐसे सदस्य भी हैं, जिनका चरित्र उज्ज्वल है । मेरा आप से यही कहना है कि जब आप ऐसी कमेटियों में नाम भेजते हैं जहां कि लालच की संभावना है, जहां फिसलने की गुंजाइश है, वहां पर आपको दृढ़ चरित्र वाले लोगों को भेजना चाहिये । जिनकी नियत पर जिनकी इंटेग्रिटी पर कोई शंका न हो । मैं कटौती के प्रस्ताव का इसलिये समर्थन करता हूं कि आप की नीति ठीक नहीं है । आप जागरूक नहीं हैं । आदरणीय मुजफ्फर साहब अपने में सतर्कता लावें और कुछ जागरूक हो जायें । साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि वह इस विभाग को ठीक से संभालें ।

आज विभिन्न विभागों में ऊपर से हस्तक्षेप हो रहा है, नियुक्ति, प्रमोशन और छुट्टी आदि में भ्रष्टाचार की शिकायतें आदि के प्रश्न में ऊपरी हस्तक्षेप के कारण दुर्व्यवस्था हर एक विभाग में फैली हुई है । वही बीमारी इस विभाग में भी है । एक कंडक्टर, ड्राइवर, एक बुकिंग क्लर्क की शिकायत होती है, वह हटाया जाता है, फिर सिफारिशें होती हैं और दबाव पड़ता है, आपके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एवं रोडवेज के अधिकारियों पर जब दबाव पड़ता है, तो उनकी नियुक्ति फिर से हो जाती है । जब कर्मचारी किसी चार्ज पर सेवा मुक्त होते हैं तो सदस्य या प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा मंत्री को पकड़ा जाता है और उनकी नियुक्ति फिर से हो जाती है । यही सब कारण हैं जिनकी वजह से इस विभाग की गाड़ी ठीक से नहीं चल पा रही है । मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि आप इस विभाग में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो पहले आप अपने को ठीक करें, यह शिकायतों की बीमारी तो अपने आप दूर हो जायगी । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन में दोपहर से माननीय यातायात मंत्री ने जो बजट पेश किया है उस पर वाद-विवाद चल रहा है । मैं उसी समय से बड़े गौर से सुन रहा था कि माननीय सदस्य इस वाद-विवाद में क्या कहते हैं । यातायात विभाग एक कमर्शियल विभाग है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गनेशीलाल चौधरी]

और वह सोशल सर्विस का विभाग भी है । जहां तक मैंने सुना, किसी भी माननीय सदस्य ने हमारी नीति की आलोचना नहीं की । हमारी नीति यह है कि हम सस्ते से सस्ते दामों में कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को ले जा सकते हैं । तो इससे हमको बड़ा संतोष है और विभाग को संतोष है कि इस नीति की आलोचना नहीं हुई । जो माननीय सदस्य अबतक बोले वह या तो कार्यकर्ताओं की सैलरी और क्वार्टर्स के संबंध में बोले या बोनस और परमानेन्सी पर बोले हैं । अगर उन्होंने थोड़ा समय बजट के देखने में दिया होता तो इस शिकायत का मौका पैदा न होता ।

जहां तक वेतन का प्रश्न है, अपने प्रदेश में, देश में सन् १९४७ के पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सभी विभागों के कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है । यातायात विभाग के कर्मचारियों को अलग से वेतन बढ़ाने से या स्ट्रक्चर बनाने से यह होगा कि प्रदेश के दूसरे विभाग वाले भी इसको बढ़ाने के लिये अपनी मांग रखेंगे । तो जब सारे प्रदेश के वेतन-स्ट्रक्चर की बात आवेगी तो हमारे विभाग के लोगों को भी बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा ।

बहुत से मेम्बरों ने बोनस की बात कही । देश में कोई भी प्रदेश सरकार यातायात विभाग के कर्मचारियों को बोनस नहीं देती, उसके बजाय दूसरी तरफ के इंसेंटिव्ज और रिवार्ड्स दिये जाते हैं और बराबर अपने कर्मचारियों को भी मिलते रहते हैं, जैसे माइलेज अलावेंस, गुड-कंडक्ट अलावेंस--इस तरह के इंसेंटिव्स हम बराबर कर्मचारियों को देते रहते हैं ।

हमारे कई एक माननीय सदस्यों ने क्वार्टर्स की बात कही है । यह सही है कि अपने विभाग में कर्मचारियों के आवास के लिये हम इतनी प्रगति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो फोरमैन वर्कशाप में काम कर रहे हैं उनके लिये क्वार्टर्स बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । कानपुर की वर्कशाप में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वर्कर्स की एक कालोनी बन जाय और ऐलेन फारेस्ट के नजदीक भूमि ली जा रही है ।

कई मेम्बरों ने परमानेन्सी के बारे में कहा है । हमारे विभाग में इस समय लगभग २१,००० कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, इनमें ९,११२ पोस्ट परमानेन्ट हैं । बजट से आपको ज्ञात होगा कि इसमें ५,६४३ ऐसे कर्मचारी हैं जो ३ साल से ऊपर से काम कर रहे हैं और इनमें से २,७२८ कर्मचारी इसी वित्तीय वर्ष में परमानेन्ट हो जायेंगे । बाकी को हम अगले साल और आने वाले सालों में करेंगे ।

कई हमारे मित्रों ने कानपुर के बस स्टेशन की बात कही । यह बात सही है कि कानपुर का बस स्टेशन छोटा है और वह छोटी जगह पर है । अब काफी दिक्कतों के बाद यह तय हो गया है कि उसके पास जो नहर की पटरी है वह उसमें नाप ली जायेगी और उसमें बस स्टेशन बनेगा । इसके लिये ९ लाख का इस्टीमेट है । इसमें ३ लाख का प्राविजन इस वित्तीय वर्ष के लिये किया गया है और शीघ्र ही वह कार्य शुरू हो जायेगा । इससे जो कठिनाई माननीय सदस्यों को हो रही है वह दूर हो जायेगी ।

(इस समय ४ बज कर १६ मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

एक बात यह कही गयी कि कार्यकर्त्ताओं के लिये रनिंग रूम होने चाहिये । मैं यह बता रहा हूं कि अब तक ३९ स्टेशनों पर रनिंग रूम बना लिये गये हैं जहां पर ड्राइवरों और कंडक्टरों के रहने का इन्तजाम है । इनको और बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि दूसरे स्टेशनों पर भी यह काम हो जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

सदन में बड़ा शोर हो रहा है, कृपया शांति रखिये ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--

कई माननीय सदस्यों ने बसों के खराब होने की बात कही । उन्होंने कहा कि उसके कारण बसें काफी लेट हो जाती हैं । मैं माननीय सदस्यों को बताऊंगा कि अगर वे १९६२-६३ की पंचुअलिटी की फिगर्स को देखें तो उनको मालूम होगा .....

(व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा हल्ला हो रहा है, स्पीच सुनाई नहीं दे रही है । ऐसा मालूम हो रहा है जैसे यहां सदन में दाढ़ी वालों की कोई प्रदर्शनी हो रही हो, देखिये ५-६ एक साथ बैठे हैं । (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

काफी शोर हो रहा है । आप लोग भाषण सुनिये ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--

माननीय सदस्य अगर इस पत्रिका को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि १९६२-६३ में २७, ६२, ८८८ बसें चलीं जिनमें से २६, ६७,३०५ बसें राइट टाइम से छूटीं और पहुंचीं । यानी इसका मतलब यह है कि करीब ९६.५४ प्रतिशत बसें करेक्ट टाइम से चलीं । तो जो माननीय सदस्य बसों के खराब होने की बात करते हैं और यह कहते हैं कि वर्कशाप में उनकी मरम्मत ठीक से नहीं होती, उनका इस तरह का कहना ज्यादातर उचित नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

(श्री शिवनाथ सिंह के पुकारे जाने पर) श्रीमान्, हमें टाइम मिलेगा या नहीं, यह बता दिया जाय क्योंकि बार-बार खड़ा होना पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैंने माननीय शिवनाथ सिंह को बुला लिया है । (व्यवधान)

श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हिम्मतसिंह द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

श्रीमन्, मैं सुनना चाहता हूं लेकिन यहां दाढ़ियों की नुमाइश लग रही है इसका प्रबन्ध किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

शांति रखिए । हाउस का काम चलने दीजिये ।

श्री मैनेजरसिंह--

अगर दाढ़ी वाले पार्टियों के बंधन को तोड़ कर एक साथ बैठते हैं इससे तो आपको प्रसन्नता ही होनी चाहिये ।

श्री शिवनार्थसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया कि दैनिक जीवन की उपयोगिता में यातायात के सुलभ साधनों की नितान्त आवश्यकता है और आज सरकार ने जो बसों की व्यवस्था की है, मैं समझता हूं कि वह इस उद्देश्य से की गयी है कि हमारे समय की कीमत, आवश्यकतानुसार सवारियों में हमें सुविधाजनक स्थान मिले और हमारा कम पैसा खर्च हो, सरकार की ओर से और कुछ माननीय सदस्यों की ओर से परिवहन विभाग की सफलताओं को बताने के लिये आंकड़े प्रस्तुत किये गये, लेकिन मैं समझता हूं वे आंकड़े सोलहों आना भ्रामक हैं । उनमें कोई वास्तविकता नहीं है ।

[श्री शिवनाथसिंह]
इतना अधिक पैसा इस विभाग में लगाने के बाद इस विभाग द्वारा जो आमदनी दिखायी जाती है वह नहीं के बराबर है और जनता पर प्रत्यक्ष रूप से इसका भार डाला जाता है जो जनता के लिये असह्य होता जा रहा है। किराये में इतनी असमानता और गड़बड़ी है कि वह साधारण जनता की निगाह में नहीं आ पाती है और माननीय मंत्री जी भी उसको सही दृष्टिकोण से देखने में मजबूर हैं।

मिसाल के तौर पर मैं एक प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं माननीय मन्त्री जी इसको ध्यान से सुनें और उसका जवाब दें। हमीरपुर जमुना और बेतवा नदी के बीच आबाद है। जमुना नदी पर जो हमीरपुर घाट है, उसको करीब ३,९५,००० रुपये में ३ साल के लिये नीलाम किया गया है। कानपुर से हमीरपुर जाने वाली सरकारी बसें इसी पुल से गुजरती हैं जिनकी संख्या करीब ३७ के है। अगर बरसात के पांच माह छोड़ भी दिये जायं तो ७ माह तक प्रति दिन ३७ बसें आती और जाती हैं। अब प्रति बस साढ़े सात रुपया आने और साढ़े सात रुपया जाने के यानी १५ रुपया प्रति बस देना पड़ता है सरकार को बस की उतराई के रूप में ठेकेदार को। यानी प्रति दिन ५५५ रुपया देना पड़ता है। एक माह में १६,६५० रुपया हुआ। अब तीन साल का औसत लगाया जाय तो वह हो जाता है ३,४९,६५० रुपया। यह रुपया ठेकेदार को सरकार तीन साल में देगी जमुना के इस घाट की उतराई के रूप में। आप देखें कि सरकार ने अपना घाट ३ लाख ९५ हजार में ठेकेदार को ३ साल के लिये दे रखा है और उसका ठेके का पूरा का पूरा पैसा मैं समझता हूं कि केवल बसों के आने जाने से ही सरकार की तरफ से उस ठेकेदार को मिल जाता है और इसका पूरा का पूरा भार जनता के ऊपर पड़ता है। कानपुर से घाटमपुर २६ मील है और घाटमपुर से हमीरपुर १३ मील है। इस बीच जमुना के इस तरफ रामपुर में भी एक बस स्टेशन था, लेकिन उस ठेकेदार पर कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की कृपा दृष्टि होने की वजह से ही रामपुर वाले बस स्टेशन को तोड़-सा दिया गया ताकि उस ठेकेदार को नाजायत तौर पर फायदा पहुंच सके। इसके साथ ही फी टिकट ३७ नये पैसे बढ़ा दिये गये हैं, इस तरह से रामपुर बस स्टेशन के तोड़ देने से प्रति मुसाफिर ३७ नये पैसे अधिक देने पड़ते हैं। इस तरह से जनता के ऊपर ही अत्यधिक बोझ डाल दिया गया है। घाटमपुर से ६ मील सजेती स्टेशन पड़ता है वहां अधिकतर मेल बसें अनावश्यक चलाई जाती हैं, लेकिन रामपुर बस स्टेशन के तोड़ने की वजह से ही जनता को पैसा भी अधिक खर्च करना पड़ता है और परेशानी भी अलग से होती है। हमीरपुर से घाटमपुर तक का केवल १३ मील रास्ता तय करने के लिये जनता को १५ आना खर्च करना पड़ता है। तमाम मेल बसें खाली शाम को हमीरपुर जाकर खड़ी होती हैं और इस तरह से नाजायज तौर पर सीधे-सीधे ठेकेदार को फायदा पहुंचाया जाता है। इस तरह से एक बड़ी जबरदस्त लूट हो रही है।

बसों के किराये लेने में भी बड़ी अनियमितता बरती जाती है। इस संबंध में सरकार की नीति एक होनी चाहिये थी लेकिन देखने में आता है कि जहां मुकाबले में रेलवे लाइन है वहां तो करीब-करीब रेल के बराबर किराया है और जहां रेलवे लाइन नहीं है वहां ज्यादा किराया रखा गया है। सरकार की यह दोहरी नीति बहुत ही गलत है और आगे के लिये यह बहुत ही घातक व भयावह है। कहीं-कहीं तो जनता को सवाया तक अधिक किराया देना पड़ता है और कहा यह जाता है कि यह डिपार्टमेन्ट बड़ा ही न्यायप्रिय व ईमानदार है। असलियत यह है कि जनता पूरी तरह से लूटी जा रही है और पूरा का पूरा भार जनता के ऊपर ही पड़ता है।

यात्रियों को टिकट के लेन-देन में भी बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि टिकट पर तो हिन्दी में लिखा होता है और संबंधित क्लर्क या कंडक्टर उसे अंग्रेजी में बस नम्बर व किराया लिखता है जिससे यात्री जान ही नहीं पाता कि कितना पैसा देना है, कितना नहीं और उसे आंख बन्द करके ही मांगे हुए पैसे देने पड़ते हैं। परिणाम यह होता है कि यात्रियों को बड़ी परेशानी व दिक्कत होती है क्योंकि जनता की सुविधा के लिये वहां कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। इसलिये सरकार को इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिये।

इस विभाग के निम्न कर्मचारियों का जहां तक संबंध है उन्हें वैधानिक रूप से उतनी सुख सुविधा नहीं दी जाती। उनसे अनियमित रूप से काम लिया जाता है तथा उन पर अनियमित तरीके से जिम्मेदारी डाली जाती है, अधिकारियों की कृपा दृष्टि पर ही उनकी जिन्दगी निर्भर रहती है। जिस कर्मचारी पर अधिकारियों की कृपा दृष्टि नहीं रहती, वे बेचारे तबाह व परेशान हो जाते हैं और इसके शिकार अक्सर छोटे-छोटे कर्मचारी, कंडक्टर वगैरह ही होते हैं। जहां तक गाड़ियों के चलने में अनियमितता की बात है, और जगह की बात तो दूर की है लेकिन कानपुर चुन्नीगंज की बात ही मैं आपके सामने रखता हूं कि वहां टाइम से कोई भी बसें नहीं चलतीं। कभी-कभी तो एक घंटा क्या दो-दो, तीन-तीन और चार-चार घंटे तक लेट बसें चलती हैं। यह केवल एक दिन की बात नहीं है बल्कि यह बराबर उनका नित्य का पेशा-सा-ही हो गया है। हमेशा केवल कागजी खानापूरी समय की होती रहती है, लेकिन सदैव गाड़ियां लेट आती-जाती रहती हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे अपने खयालात के इजहार करने का मौका ट्रांसपोर्ट का जो बजट पेश हो रहा है उस सिलसिले में दिया। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं और जो बजट उन्होंने पेश किया है उसकी ताईद करता हूं। नीज कटौती का जो प्रस्ताव है उसकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय मेरी समझ में नहीं आता कि जब यह डिपार्टमेन्ट कमर्शियल डिपार्टमेन्ट है तो जहां उसमें ८० और ९० फीसदी अच्छाइयां हैं तो १०,५ फीसदी बुराइयां भी हो सकती हैं और कोई मुहकमा और व्यक्ति ऐसा नहीं है, मैं तो यहां तक दावा करता हूं कि कोई आदमी भी ऐसा नहीं बताया जा सकता जिसकी इस डिमोक्रेसी के दौर में आलोचना न की जाती हो। जहां तक बुराइयों का ताल्लुक है हम हर चीज में बुराइयां पैदा कर सकते हैं, यह अपने नजरिए का कसूर हो सकता है, इसमें किसी मुहकमें या व्यक्ति का मामला नहीं हो सकता।

मुझे एक बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि जब कभी इस हाउस में तकरीरें होती हैं तो मेरा खयाल ही नहीं, बल्कि यकीन भी है कि हाउस का हर एक मेम्बर यह महसूस करता है कि हमारा स्तर गिरता जा रहा है। हम मतलब की बातें कहने के बजाय इधर-उधर की बातें कहा करते हैं। जहां तक आलोचना का सवाल है इस अरसे में आपने देखा कि हमारे विरोधी दल के भाई कोई बात कहना चाहते हैं तो हम बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ उनको सुनना चाहते हैं और अपनी तबियत के खिलाफ और अपने जजबात के खिलाफ भी उन चीजों को सुनते हैं। लेकिन जब उसके खिलाफ कहने का मौका मिलता है और इधर से कोई बात कही जाती है तब उस वक्त ऐसी सूरतें और तरीके उधर से अख्तियार किये जाते हैं कि बातें कहना और सुनना मुश्किल और दुश्वार हो जाता है। डिमोक्रेसी का दस्तूर बकौल शायर जिसका इस शेर में इजहार किया है यह है––

"है दुनिया में तरीके अमनो बका के दो,
खुद भी जीते रहो औरों को भी जीने दो।"

जब सदन में कोई मुखालिफत में बोलता है तो सुनने की ख्वाहिश आटोमेटिकली पैदा हो जाती है और यह सही भी है कि अगर सुनने वाला ही नहीं होगा तो कहने से क्या फायदा। हमारे कांस्टीट्यूशन ने हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी दी है, तो आटोमैटिकली सुनना जरूरी हो जाता है। बोलनेवाला बोलकर क्या करेगा। इसलिये सुनने वाले को यह भी चाहिये और जरूरी है कि जब वह सुने तो सब्र के साथ सुने, सुनने वाले को सब्र और इस्तकलाल के साथ सुनना चाहिये। मैं माननीय मैनेजर सिंह की इस बात को मुनासिब नहीं समझता कि माननीय मुजफ्फर साहब पार्टीबाजी की बिना पर पक्षपात करते हैं। माननीय सदस्य को संजीदगी और एहतियात के साथ बात कहनी चाहिए, जजबात में बहकर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिये।

[श्री अहमद बख्श]

मैं पार्टी को बुरा नहीं समझता, हां पक्षपात को जरूर बुरा समझता हूं। मैं मिनिस्टर साहब को इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने संजीदगी के साथ सारी बहस को सुना है। मैं मुजफ्फर साहब को इसके लिये और भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक जमाअत की वफादारी के उसूल को उन्होंने हमेशा अपनी जिन्दगी का नस्बुलएन बना रखा है और वह हमेशा पार्टी के अन्दर रहते हुए मुल्क की बेहतरीन खिदमत अन्जाम देते रहे हैं। हाँ पक्षपात को तो मैं हमेशा बुरा समझता हूं, लेकिन पार्टीबाजी को बुरा नहीं। वे पार्टी में हमेशा एक मजबूत आदमी की तरह से रहे और इस मजबूती के लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और इसी बिना पर मैं उम्मीद करूंगा कि जब माननीय सदस्य तकरीर करने के लिये खड़े हों तो उन्हें संजीदगी को नहीं छोड़ना चाहिए और इस हाउस के मेआर को, इस सदन की प्रैस्टिज को और स्टैंडर्ड को हमेशा कायम रखना चाहिये। बहरहाल, मैं इस वक्त अपना कर्त्तव्य नहीं समझता हूं कि व्यक्तिगत जबाब दिया जाय क्योंकि अकलमन्दों के लिये इशारा ही काफी होता है। आपके द्वारा मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि इख्तिलाफ मुखालिफत की हद तक नहीं बढ़ना चाहिये और जजबात की रौ में बहकर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिये जो हाउस के मेआर के लिये नुकसान-देह हो।

मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देते हुए चन्द बातें आलोचना के रूप में नहीं कहना चाहता बल्कि एक साथी के शुभचिन्तक की हैसियत से, मोतरिज की हैसियत से नहीं, एक बीहीख्वाह की हैसियत से चन्द कलमात वजीर मुताल्लिका की खिदमत में सुझाव के रूप में बातों को पेश करना चाहता हूं।

जो लाइन हमारी रोडवेज ले लेती हैं उसका फर्ज यह है कि खूब देखभाल करके लेनी चाहिए। जिस सड़क पर वह बसें चलाना चाहते हैं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। बाज दफा ऐसी सूरत पैदा हो जाती है जिससे घाटे की नौबत आ जाती है। इसके लिये पूरी जांच-पड़ताल किसी लाइन को लेने से पहले मुकम्मल होनी चाहिये। दूसरे यह कि जब कि एक तरफ रोडवेज की बस....

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा धीमे-धीमे बोलें ताकि लिखने में भी आ जाय।

श्री अहमद बख्श—

सुनने में तो आ रहा होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन लिखने में भी तो आना चाहिये।

श्री अहमद बख्श—

मैं यह कह रहा था कि जब हम किसी लाइन के मुताल्लिक तय करें कि इस लाइन को हमें रोडवेज में लेना है तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उसके आस-पास की तमाम मुश्किलात और दिक्कतों को देखें और देखें कि क्या उस मकसद का हल निकलता है या नहीं कि जिसके लिये उस रूट को लिया जा रहा है और उससे किसी तरह के अवाम के या महकमें के नुकसान की तवक्को या इमकान तो नहीं है। मान लिया जाय कि चारों तरफ की ५ लाइन पर रोडवेज की गाड़ियां चल रही हैं और बीच में एक रूट पर प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं और उस सूरत में अगर हम बीच में से लेते हैं तो जो सहूलियत एक स्टेशन पर हो सकती है वह खत्म हो जाती है।

मुझे आप से दूसरी गुजारिश यह करनी है कि इससे कब्ल कि जब कोई लाइन हम डिक्लेयर करें तो हमारा फर्ज होना चाहिये कि जिन महकमों से उसका ताल्लुक हो उनके अफसरों से इस बारे में पहले से लिखकर पूछ लें जैसे कि पी० डब्लू० डी० है उससे पूछ लिया जाय कि सड़क इस काबिल है या नहीं कि उस पर गाड़ी चलाने का परमिट दिया जा सकता है या नहीं। क्योंकि बाद में अक्सर देखा जाता है कि पहले परमिट हासिल हो जाता है और फिर कहा जाता है कि लाइन मोटरेबिल नहीं है और इस हालत में दूसरी जगह का परमिट दिया जाय।

तीसरी अर्ज मेरी यह है कि प्रान्विशयल लेविल पर दो चीजें हैं। एक एम० टी० ए० और एक एस० टी० ए० (Tribunal)। बदकिस्मती यह है कि थोड़ा-थोड़ा काम दो जगहों पर होता है। काम में बहुत दिक्कत और देर होती है और जिस सहूलियत और कामयाबी से काम चलना चाहिये वह नहीं चल पाता। ऊपर जाकर जो रिवीजन होता है वह गलत है। जिस मामले में अपील अलाऊ नहीं है वहां रिवीजन भी अलाऊ नहीं होना चाहिये वर्ना इससे काम में देरी और बाज दफा गलतियां हो जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जल्द समाप्त करें।

श्री अहमद बख्श---

इससे दिक्कत पैदा होती है। बाज औकात कोई हुकुम हाई कोर्ट से बेकेट हो जाता है मगर S.T.A में पड़ा रहता है। जिससे हाईकोर्ट की कार्यवाही बेकार हो जाती है। इसलिये Provincial level पर ही अथारिटी होनी चाहिए। मेरी राय में सब कामों के लिये Tribunal ही काफी है। आमतौर से रीजनल ट्रांसपोर्ट कमेटीज में आरजी परमिट ईश्यू हो जाया करते हैं जिसका मकसद यह है कि जिसको परमिट दिया उसका Claim पैदा करना होता है। फिर जब मुस्तकिल परमिट के लिये गौर करेंगे तो यह दिक्कत हमारे सामने होगी कि हम मजबूर होंगे कि जिसको आर्जी परमिट दिया है उसी को मुस्तकिल परमिट दें वरना वह यह कहेगा कि हमने ३०, ४० हजार रुपये की गाड़ी खरीदी है, यह बेकार हो जायगी। इसलिये हमको मुस्तकिल परमिट ही देनी चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि आरजी परमिट न दे कर मुस्तकिल परमिट ही दिया जाया करे।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अहमद बख्श---

एक बहुत जरूरी सुझाव और देना है कि आर० टी० ओ० कमेटी का एक मेम्बर जज होना चाहिये बजाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ताकि उसकी मदद से आजाद कानूनी राय वहीं मिल सके।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सीमेंट वाली सड़कों पर ३० मील की रफ्तार से धुआं और धन उड़ाते हुए रोडवेज की बसों को देखते हैं तो हमें सरकार की सेवावृत्ति और शक्ति का प्रदर्शन बहुत अच्छी तरह से होता है। हमारे पहाड़ी जिलों में जहां कुली नहीं मिलते हैं अगर रोडवेज की बसें न होतीं तो २०, ३० रुपया किराया एक एक मन के लिये देना पड़ता था, जो अब नहीं देना पड़ता। इसलिये हम रोडवेज की सेवा और उसके चालू रहने की जरूरतों को महसूस करते हैं। क्योंकि पहाड़ में सामान ढोने के लिये कुली नहीं मिलते हैं और उसकी वजह से हम अपने घरों को सामान नहीं ले जा सकते हैं। जहां पहले १ रुपया मन पर सामान जाता था अब २० रुपया मन पर कुली सामान ले जाते हैं। लेकिन रोडवेज के जरिये सस्ते भाव से सामान ले जा सकते हैं। पहाड़ी जिलों में यातायात का प्रश्न बहुत ही महत्व का है। हमारे यहां पहले बेगार की प्रथा चलती थी। वह बेगार इसलिये थी कि क्योंकि बोझा ढोने के लिये कुली खुशी से नहीं मिलते थे। इसलिये सरकारी काम को चलाने के लिये जबरदस्ती सामान ढोने का काम लोगों से लिया जाता था। उसके बाद पहाड़ में कुली एजेंसी हुई। लेकिन अब जहां जहां मोटर जाती है वहां हम लोगों को बहुत सुविधा हुई है। पर हम गढ़वाल के लोग उस सेवा से वंचित हैं क्योंकि रोडवेज उन्हीं सड़कों पर चलती हैं जो खूब पक्की हों, सीमेन्ट की हैं और कच्ची सड़कों पर नहीं चलतीं। जैसे दुगड्डा से रतवाढ़ाव और ऋषिकेश से जोशीमठ, कोटद्वार से जोशीमठ इन रास्तों पर रोडवेज की बसें नहीं चलतीं, वहां प्राइवेट बसेज चलती हैं। कहने को रोडवेज वाले कहते हैं कि हमने कच्ची सड़कें प्राइवेट बसों के लिये छोड़ दी हैं, लेकिन असलियत यह है कि वे कच्ची सड़कें हैं और वहां रोडवेज वाले अपनी मोटर नहीं ले जाना चाहते। इसलिये लोगों के दिमाग से

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

यह खयाल हटाने के लिये कि सरकार कच्ची सड़कों पर अपनी मोटर नहीं चलाना चाहती कोटद्वार से जोशीमठ तक कम से कम दो रोडवेज बसें रोजाना चलायें, प्राइवेट बसों के अलावा और दो बसें रोजाना ऋषिकेश से जोशीमठ तक चलनी चाहिये ताकि लोग समझें कि हमारी सरकार कच्ची सड़कों से डरती नहीं। इसका दूसरा फायदा यह होगा कि यही रोडवेज की बसें उन सड़कों पर चलेंगी तो सड़कों की भी उन्नति होगी।

तीसरा सुझाव यह है कि मैंने पिछले साल भी कहा था, एक मोटर सड़क १९३५ में बनी हुई है जो फारेस्ट विभाग ने बनायी है, दुगड्डा से रतवाढ़ाव २६ मील की सड़क है लेकिन कच्ची होने की वजह से रोडवेज वाले उस सड़क पर अपनी बसें नहीं चलाते, केवल प्राइवेट बसें और ट्रक उस कच्ची जंगलात की सड़क पर चलती हैं। मेरा सुझाव यह है कि कम से कम रोजाना एक रोडवेज बस दुगड्डा से रतवाढ़ाव चलाई जाय। मेरे क्षेत्र लेंसडाउन में तीन चौथाई जनता उस सड़क के अपने गांवों की ओर रास्ते जाती है। उस सड़क को पक्का करना और बारहमासी बनाना जरूरी है एक, दो बसें रोडवेज की चलाना नितान्त आवश्यक है।

कोटद्वार–जोशीमठ सड़क पर गढ़वाल मोटरओनर्स पहले एक यूनियन थी। अब उसमें आपस में फूट पड़ जाने से ४, ५ यूनियन वहां बन गई हैं और वे अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग अलापने लगी हैं। इस बात की जरूरत है कि उन पर नियंत्रण किया जाय और उसके लिये ऐसे नियम व कानून बनाये जायं जिससे वे सब एक कानून के नियंत्रण में आ जायं। अगर ऐसा न हुआ तो सिपाहियों का सामान नहीं जा सकेगा और यात्री जो केदारनाथ तथा बदरीनाथ तक जाते हैं, वे नहीं जा सकेंगे। रोडवेज के कुछ कर्मचारियों ने एक स्ट्राइक किया था। मैं चाहता हूं कि जो कर्मचारी माफी मांग लें, उन्हें माफ कर दें और जो हमारे ड्राइवर वगैरह बेरोजगार हो गये हैं उन्हें ले लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि विरोधी बेंचों से यह आपत्ति की गयी थी कि आप सचिव महोदय से सलाह नहीं ले सकते। इस पर कल यह व्यवस्था दी गयी कि सचिव महोदय से सलाह ली जा सकती है। लेकिन मैं यह देखता हूं कि मेम्बर लोग इधर से और उधर से बोलने के लिये समय मांगने लिये आपके पास पहुंच जाते हैं। क्या यह जरूरी है कि भाषण देने के इच्छुक आपके पास बजाय इसके कि आपकी आंख के लिये खड़े हों, आपके मंच के दोनों ओर गेट बना दिये जायं और ताला लगा दिया जाय और चाभी आपके पास रहे ताकि हम लोग आपके पास मंच पर न आ सकें। यह उचित नहीं है कि हम लोग आपके पास आवें, आपकी खुशामद करें और तब बोलने की उन्हें इजाजत मिले। हम लोग खड़े हों और जो सदस्य आपकी आंख पकड़ सकें उन्हें बोलने का अवसर मिले तो मुनासिब होगा।

श्री कल्पनार्थीसिंह––

उपाध्यक्ष महोदय, अभी गनेशीलाल जी ने कहा कि किसी ने नीति की आलोचना नहीं की। तो हुजूर वाला आपकी नीति है क्या? आपकी नीति के मुताबिक इस महकमे का लेखा जोखा नहीं मिल सका। यह नीति है? उसकी नीति की चर्चा की जाय जिसकी कोई नीति हो। कहा गया कि हमारी नीति यह है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधा दी जाय और सस्ती दर पर लोगों को पहुंचाया जाय। यह यातायात की नीति बतलाई गयी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी नीति तो यह है कि आप तीन तरह का किराया चार्ज करते हैं। पहली नीति के मुताबिक ६ पाई, दूसरी नीति के मुताबिक ७ पाई और तीसरी नीति में ७ १/२ पाई है। इसकी चर्चा कराना चाहते हैं या इसकी चर्चा कराना चाहते हैं कि जो लोग यातायात के साधनों से ज्यादा पीड़ित हैं उनसे आपने ज्यादा किराया चार्ज किया है और उन लोगों से कम चार्ज किया है जिनको रेल की, तांगे की और इक्के वगैरह की सुविधायें हैं। क्या इस नीति की आप चर्चा कराना चाहते हैं? मैनेजरसिंह जी ने कुछ कह दिया तो आपको बुरा लग गया। नीति भी व्यक्तिगत बातों से सम्बन्धित होती है। इसलिये इस सिलसिले में कोई बात कही जाय तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिये। हमारे पूर्व वक्ता मौलाना साहब

ने कहा कि हाउस की भी प्रतिष्ठा रहनी चाहिये, लेकिन आप कायम रखें तब तो रहे। आप रहने नहीं देना चाहते हैं। बार-बार कहा जाता है कि इस विभाग को ठीक कीजिये। लेकिन आप ठीक नहीं करते, कौन सुनता है? अगर आप आलोचना से घबराते हैं तो महकमे को ठीक करें। इसमें शुरू से लेकर आखिर तक घनघोर गुटबन्दी है और इसकी एक नहीं, १०१ मिसालें हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं उनको खिदमत में हाजिर हो सकता हूं।

श्रीमन्, नीति के साथ-साथ दूसरा सवाल जनहित का है। कितने पाखाने और कितने बेटिंग रूम बस स्टेशनों पर बनवाये गये? मैं अपने जिले की बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जितने सवाल इसके लिये हुए कि कहां-कहां बस स्टेशनों के लिये जमीन ली, कहां-कहां बस स्टेशन बने, इनका लेखा जोखा मन्त्री जी दें। इस पर ध्यान क्यों नहीं गया? अगर यह किताब पहले बटी होती तो एक चिट्ठा रखने में समर्थ हो सकता था। पूरे गोरखपुर रीजन के बारे में सवाल था लेकिन आपने केवल घोसी और दोहरीघाट का ही नाम लिया। जैसे महाभारत में एक भीम रहा, एक अर्जुन रहा और एक और कोई रहा, यही आपकी सारी महाभारत है।

माननीय ऊबल जी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं और कर्मचारियों के प्रमोशन के चैनेल खोलें। मैं इसकी तारीफ करता हूं कि आपने कर्मचारियों के स्थायीकरण करने का कदम उठाया है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, लाल बत्ती न दिखायें।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी जवाब होना है और फिर मन्त्री जी का वक्तव्य होना है।

श्री कल्पनाथसिंह--

वह भी हो जायगा। कुछ समय बढ़ा दीजियेगा। गोरखपुर रीजन की बात मुझे मालूम है। परमिट के लेन-देन में कितनी गड़बड़ी होती है, इसका कोई उदाहरण मन्त्री जी खोजें तो शायद ही कहीं दूसरी जगह मिले।

एक चीज मैं अफसरों के बारे में कहना चाहता हूं। सरकारी विभागों ने इस विभाग के जरिये मोटरें खरीदी हैं। क्या इसके लिये टेंडर्स मांगे गये? किस कम्पनी को ठेका दिया गया, किसके जरिये खरीदी गईं? अगर सफाई देना चाहते हैं तो इसकी सफाई दी जाय। वे कौन लोग हैं जिनसे यह सारा कारोबार कराया, मैं यह जानना चाहता हूं? यह नीति से सम्बन्धित है, किसी व्यक्ति से नहीं। मैं सारा चिट्ठा खोल कर रख सकता हूं, लेकिन समय नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय हिम्मत सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हिम्मतसिंह। (श्री हिम्मतसिंह सदन में नहीं थे।)

(श्री रक्षपाल सिंह के खड़े होने पर)

नहीं, आपको उत्तर देने का अधिकार नहीं है।

माननीय परिवहन मन्त्री।

श्री मुजफ्फर हसन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

केवल पांच मिनट बोलने के लिये दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा, माननीय रक्षपालसिंह पांच मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री रक्षपालसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं पांच मिनट में नीति सम्बन्धी बातें नहीं करूंगा ।

श्री बैजनाथसिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें कि आपने अभी माननीय मन्त्री जी को बुलाया था । वह खड़े हुए, और उसके पहले माननीय सदस्य खड़े हुए थे, उनको आपने बिठाल दिया था । तो कौन-सी बात बीच में पैदा हो गयी कि फिर उठा दिया ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात हो गई कि उन्होंने कटमोशन मूव किया था, उनका टाइम थोड़ा सा बच गया था। वह हैं नहीं । उन्हीं के पार्टी के यह हैं । वह मुझसे कह रहे थे कि हमको उनकी जगह पर बोलने दीजिये । जगह पर मैंने बोलने नहीं दिया । लेकिन पांच मिनट माननीय मन्त्री जी की राय से दे दिये हैं ।

श्री रक्षपालसिंह--

तो मैं कह रहा था कि आज जो विभाग के अन्दर थोड़ी बहुत आमदनी दिखायी गयी है इसके जिम्मेदार बड़े-बड़े अधिकारी या मन्त्री जी नहीं हैं । वास्तव में इसके जिम्मेदार इस विभाग के मजदूर और छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, कंडक्टर्स और ड्राइवर्स हैं, जिनसे १२-१४ घंटे काम लिया जाता है, इसका श्रेय उन क्लर्कों को है जिनसे आठ-दस घंटे रोज काम लिया गया है और ओवरटाइम नहीं दिया गया । इस विभाग में सर्विस रूल्स नहीं बने हैं जिनके परिणाम स्वरूप अफसर जिस प्रकार से चाहते हैं, काम लेते हैं ।

जो अभी कहा गया कि भ्रष्टाचार नहीं है उसके बारे में भी मैं दो बातें कहना चाहता हूं । इस विभाग के अन्दर ऐसा होता है कि पहले बसों का चालान किया जाता है, और चालान करने के बाद फिर लेन-देन की बात होती है । अगर लेन-देन की बात तय होती है तो छोड़ दिया जाता है वरना चालान कर दिया जाता है । कंडक्टर और ड्राइवर दोनों की कम्बाइन्ड लाइबिलिटी है अगर बिना टिकट के यात्री पकड़े जायं, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं कि एक आदमी को निकाल दिया गया और दूसरे का कुछ नहीं हुआ । इस प्रकार पक्षपात होता है । नियम न होने के कारण फरवरी में आदेश दे दिये जाते हैं कि तुमको हटा दिया गया और उनकी फिर से नियुक्ति की जाती है । उस वक्त भी लेन-देन की बातें होती हैं । जब तक सर्विस रुल्स नहीं बन जाते तब तक इसकी व्यवस्था ठीक नहीं की जा सकती ।

अब मैं दो एक बातें स्थानीय कहना चाहता हूं । जिला फतेहपुर के अन्दर नौबस्ता-किसनपुर और फतेहपुर--गाजीपुर सड़क के लिये सरकार के आदेश हो गये लेकिन क्या कारण है कि बसें उनके अन्दर नहीं चलायी जा रही हैं ? श्रीमन्, इसी प्रकार से एक स्थान और है हदगांव, वहां से भी बस चलाने की मांग है, वह भी पूरी की जानी चाहिये । फतेहपुर का बस स्टेशन ऐसा है कि बरसात के दिनों में डेढ़-डेढ़ और दो-दो फुट पानी भर जाता है । कई बार प्रश्न भी उसके लिये किये गये । कहा गया कि स्टेशन बनवा दिया जायगा, लेकिन दो साल हो गये कोई व्यवस्था नहीं की गई । इसी तरह से पेट्रोल की गाड़ियां भी बतायी गईं कि कुछ हैं । मुझे तो ऐसा लगता है कि यह पेट्रोल की बसें बुन्देलखंड और उसके बाद बची हुई सब फतेहपुर को दे दी गई हैं । तमाम ब्रेक डाउन होते हैं, इससे जनता को वहां बड़ी असुविधा है ।

एक बात का और उल्लेख कर दूं कि हमारे यहां जो स्टेशन इंचार्ज महोदय हैं उनका ट्रांसफर दो बार हुआ और दोनों बार वह अपना ट्रांसफर यहां से कैंसिल करा लिये । इससे बड़ा भ्रम वहां की जनता के अन्दर उनके बारे में उत्पन्न हो गया है ।

लखनऊ से वाराणसी जो मेल जाता है वह सुल्तानपुर और जौनपुर तो रुकती है परन्तु उसके बीच में एक स्थान ऐसा है जहां कि काफी यात्री भी मिलते हैं और जिसका जिक्र एक और माननीय सदस्य ने भी यहां किया था। सिंगरामऊ में भी उसका स्टापेज हो जाय तो जनता को उससे काफी सुविधा होगी।

आखिरी बात मैं कह कर समाप्त करता हूं कि कानपुर से होकर जिनको जाना पड़ता है वे जानते हैं कि कलेक्टरगंज में जितनी देर लगती है और कितनी असुविधा होती है बसों को खड़ी करने में, उनको निकालने में और परिक्रमा करने में ? बहुत समय से कहा जा रहा है कि रोड को पाटकर उसकी व्यवस्था कर दी जायगी, लेकिन वह अभी तक नहीं हुई। जल्दी से जल्दी उसका इन्तजाम होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुजफ्फर हसन—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इस अनुदान के सिलसिले में इस सदन में बहस हुई उसके लिये मैं उन सब बहस करने वालों का और सदन का शुक्रिया अदा करता हूं इसलिये कि आम तौर से एक दो मुस्तसना को छोड़कर जो इसका स्टैंडर्ड था वह काफी ऊंचा था और जिन लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है उन्होंने साथ ही साथ अगर तारीफ की बातें देखीं तो उस पर दो कलमे खैर भी कहा है चाहे वह इस तरफ के लोग हों, चाहे उस तरफ के लोग हों। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं। बहुत से सजेशन आये। वह सब यहां हमारे डिपार्टमेंट के आफिसर्स बैठे हुये हैं, वह नोट कर लिये गये हैं और एक-एक के ऊपर कुछ कहना तो थोड़े से समय में मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी सुझाव दिये गये हैं जिनमें कुछ करने की जरूरत है वह जरूरत किया जायगा। सबसे पहले हमारे माननीय हिम्मत सिंह जी ने जो कटमोशन मूव किया था उसमें पहले ही उस बात का हवाला दिया कि जो हमारे वर्कशाप में स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी के बारे में शिकायत पिछले बहुत दिनों से चली आ रही है जिस पर कई दफा बहसें हो चुकी हैं, सवालात हो चुके हैं और बताया जा चुका है, वही सवाल आज उन्होंने फिर पेश किया। वाकया यह है कि सन् १९५२ में जब कोरिया की लड़ाई हो रही थी चूंकि चीजों के भाव बढ़ रहे थे, लिहाजा उस वक्त स्पेयर पार्ट्स कुछ बड़ी तादाद में खरीद लिये गये। बाद में बाहर की बसों का आना बन्द हुआ और हमने हिन्दुस्तान में बनने वाली ली लैंड तथा मर्सेडीज को ही यहां पर जगह दी। उसकी वजह से और कुछ इस वजह से कि जब शुरू में पेट्रोल के इन्जिन्स थे वह सब बदलकर डिजिल के वे इंजिन सामने आ गये, काफी बड़ा भाग स्पेयर पार्ट्स का ऐसा हुआ कि जो काम में नहीं आ सका। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसमें से जो हमारी थोड़ी सी गाड़ियां पैट्रोल वाली चल रहीं थीं और कुछ पुरानी चल रही थीं उनमें वे सर्फ हो गये हैं। १०, १२ लाख के स्पेयर पार्ट्स अभी भी बाकी हैं और उनको निकालने की कोशिश हो रही है।

दूसरी बात उन्होंने बिजनौर के वाकये की बतलाई और एक दूसरे सदस्य ने भी उधर तवज्जह दिलाई। माननीय सदस्य ने यह भी शिकायत की कि उन्होंने लिखकर भेजा तो उनको कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर बात कर ली और मैंने उनको बतलाया कि उस के ऊपर फौरन एक्शन लिया गया है और इन्क्वायरी हो रही है तो फिर उसमें जवाब की क्या बात रह गई। उसकी इन्क्वयारी खत्म हुई मगर उसकी अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन बात यह थी कि जो हमारे पास थोड़ी सी टैक्सीज हैं अगर बाहर के लोग उनको लेने के मुस्तहक हैं तो डिपार्टमेंट वाले अगर कोई लेते हैं तो वह कोई जुर्म तो नहीं समझा जायगा। बहरहाल किस वक्त वह किराये का रुपया जमा हुआ और क्या चीज हुई, जो शिकायत इसके मुताल्लिक उन्होंने लिखकर भेजी है उसकी पूरी इन्क्वायरी हो रही है और जो भी जरूरत होगी उसके ऊपर कार्यवाही की जायगी।

एक बात यह कही गई कि टिकट वापसी की सुविधा होनी चाहिये और उस सिलसिले में रेलवे का जिक्र किया गया। हमारी दिक्कत यह है कि रेलवे की मिसाल इस डिपार्टमेंट

[श्री मुजफ्फर हसन]

के लिये पूरी तरह से लागू नहीं होती । रेलवे में टिकट जितने भी मांगे जायं दिये जाते हैं चाहे उसके अन्दर जगह हो या न हो। हमारी बसें छोटी बसें होती हैं और उसमें बन्धे हुये टिकट होते हैं। अगर हम इसको मन्जूर कर लें कि जो टिकट बेव दिया गया वह वापस हो तो उसमें डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और दूसरी बसों में भी मौका देने के सिलसिले में यह रुकावट होती है। हम चाहते हैं कि कोई तरीका हो जिसमें दिक्कत इस तरह की दूर हो, लेकिन जो हमारा ढांचा है उसमें इस तरह से टिकट वापस लेने की कोई शकल बनती नहीं है।

एक शिकायत यह भी की गई कि यह जो आर० टी० ए० है उसमें खाली एक पार्टी के लोग लिये जाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि जो प्रान्तीय लेविल पर ए० टी० ए० बना हुआ है उसमें दो अपोजीशन के मेम्बर हैं जिसके सामने लोगों की अपील हर रीजन से आती है। उसमें कोई कांग्रेस पार्टी का मेम्बर नहीं है। तो यह बात सही नहीं है। एक बात कर्मचारियों के बारे में कही गई कि बोनस उनको क्यों नहीं दिया जाता। बोनस यू० पी० में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान भर में कहीं इस सर्विस में नहीं दिया जाता। दूसरी बात मैं यह अर्ज करूं कि बोनस का सिस्टम कुछ थोड़ा सा डिफेक्टिव है यानी उसमें अच्छा काम करने वाले और खराब काम करने वाले को एक ही लेविल पर रखा जाता है। हमारे यहां कई तरह की सुविधा अच्छा काम करने वालों के लिये रखी गई है। रोड माइलेज पर ड्राइवर्स को अलाउन्स दिया जाता है। अगर वह अच्छी तरह से काम करें, और टायर को ज्यादा चलावें, तो उनको उसके लिये इनाम भी दिया जाता है। पेट्रोल कम खर्च करें, तो उस पर भी उनको इनाम दिया जाता है। आप देखें कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स सभी को इनाम दिया जाता है। कई तरह से इस बारे में लोगों को मदद दी जाती है। यह सब इस विभाग में हो रहा है। एक बात यह कही गई कि कुछ कन्डक्टरों से आफिस में काम लिया जाता है, लेकिन उनको एलाउन्स नहीं दिया जाता है जो कि एक कन्डक्टर को मिलता है। यह जाहिर है कि वह दोनों बराबर की पोस्ट पर है। अगर कोई आदमी यह पसन्द करता है कि वह आफिस में काम करे तो यह जाहिर है कि सफर करने वालों को जो गुड कन्डक्ट एलाउन्स दिया जाता है, वह उनको नहीं दिया जा सकता है, जब कि वह आफिस में काम करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से बजाय कन्डक्टर के आफिस में काम करना चाहते हैं, उनको काम दिया जाता है। उसमें यह बात नहीं है कि एक जगह पर तरक्की हो, दूसरी जगह पर जाने की बात हो।

एक सदस्य--

ट्रांसफर्स होते हैं।

श्री मुजफ्फर हसन--

वह तो होते ही हैं मुहकमों के अन्दर। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो कि समझ में न आती हो। एक बात यहां पर रनिंग रूम के बारे में कही गई। मैं मानता हूं कि जितने रनिंग रूम्स चाहिये, वह अभी तक नहीं बन सके हैं। लेकिन जैसा कि हमारे माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि कहीं उसका वजूद ही नहीं है, तो यह बात सही नहीं है। जो फेहरिस्त दी हुई है, उसमें आप देखें कि १३७ जगह वह वेटिंग रूम मय सब चीजों के बन चुके हैं। इस बजट में भी प्राविजन है।

(व्यवधान)

वह सब अगर मैं पढ़ने लगूं तो आधे से ज्यादा वक्त तो उसी में लग जायगा। आप देखें कि उस तरफ बराबर कोशिश हो रही है। वह कमी मैं मानता हूं कि जितने होने चाहिये, वह नहीं बन पा रहे हैं। उसकी कमी का कारण है धन का काफी न होना। इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो कमियां रह गई हैं, वह दूर की जायें।

कानपुर बस स्टेशन के सिलसिले में यहां पर जिक्र हुआ। यह सही है कि जो कानपुर का बस स्टेशन है, वह कलेक्टरगंज में नहर के किनारे है, उसकी हालत बहुत खराब थी। हमने नहर अधिकारियों से दरख्वास्त करके नहर पटाने की मांग की है। उनकी कान्फ्रेन्स में यह

फसला कराया कि वह पाट दी जाय। यह जो बजट है इसमें ९ लाख रुपये वहां पर पाटने के लिये रखे गए हैं। इस बजट में भी ३ लाख रुपये रखे गये हैं। जो कट मोशन मूव किया गया है, शायद उन्होंने उसको बिना पढ़े ही कर दिया होगा। वह मैं बता दूं कि वह बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। रास्ते में गाड़ियों को रोकने के सिलसिले में भी कहा गया कि गाड़ियां रोकने पर भी स्टापेज पर नहीं रुकतीं। यह शिकायतें आती हैं और हम उनको रफा करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ उन लोगों की भी जिम्मेदारी आ जाती है जो सफर करते हैं। यदि हमको उनकी उचित लिखित शिकायत मिले तभी तो हम उस पर ऐक्शन ले सकते हैं। यहां पर बैठे हुए हमको यह नहीं मालूम हो सकता है कि कौन-सी लाइन पर कौन-सी गाड़ी चली जा रही है और उसको कहां पर रोकने की कोशिश की गई और वह नहीं रुकी है। उसमें जबतक कोआपरेशन नहीं मिलेगा तब तक हम उसको नहीं कर सकते हैं। यहां पर सामान के उठाने के सम्बन्ध में भी शिकायत आई कि कन्डक्टर्स मदद नहीं करते हैं। हालांकि हमारी तरफ से उनको हिदायत है कि उनको इस मामले में मदद करनी चाहिये। अब मुश्किल यह है कि उनका तालीम का भी कुछ स्टैन्डर्ड बना दिया गया है। हाई स्कूल कम से कम होते हैं। जहां थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन गया तो तकल्लुफ होने लगता है। हमारे पास कोई तदबीर नहीं है, सिवाय इसके कि जो हमारी सर्विस में हैं उनसे कहें कि मदद कीजिये। उसमें भी शिकायत आने पर रफा करने की इमकानी कोशिश की जायगी।

हमारे एक भाई ने खास तौर से आर० टी० ए० के बारे में कहा है। यह शिकायत बाहर भी कई तरह से आती है। हमारा एक सेंट्रल ऐक्ट है, उसका एक ढांचा है जिसके मुताबिक उसको बनाना पड़ता है, वह सेमी-जुडीशियल चीज है। हम सोच रहे हैं कि किस तरह के परिवर्तन किये जायं? जहां तक इंक्वायरी की बात है, एक रीजन के बारे में बहुत जिम्मेदार लोगों ने शिकायत की। मैंने उनसे लिख कर लिया और सी० आई० डी० के सुपुर्द किया। सी० आई० डी० की रिपोर्ट आती है कि जिन साहब ने लिख कर दिया था वह हमको सबूत और शहादत देने के लिये तैयार नहीं हैं। जो ढांचा है उसमें एक आदमी को जिम्मेदार करार देना मुश्किल हो जाता है। हो वह भले ही जिम्मेदार, लेकिन एक कमेटी की बैंकिंग अपनी पुश्त पर लेकर वह अपनी जिम्मेदारी से बरी-उलजिम्मा हो जाता है। तबादला होगा तो आखिर किसी रीजन में होगा, बाहर नहीं। तो वह सेक्शन ऐसा है जो हमारे लिये दर्द-सर बना हुआ है और हम इस फिक्र में हैं कि उसका किस तरह से सुधार हो सके? हम शुक्रगुजार होंगे अगर माननीय सदस्य कोई सजेशन लिखकर या मिलकर देंगे।

यह कहा गया कि लोग बरख्वास्त कर दिये जाते हैं और कुछ जाती बात कही गयी। किसी साहब को जाती बात करने में खुशी होती हो तो उनके लिये खुशी का मुकाम है, उससे किसी की तबियत को सुकून होता है तो मैं क्या कह सकता हूं––स्टैंडर्ड की बात अलग है, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता। इसी डिपार्टमेंट में, इस हाउस में कह रहा हूं कि हमने और आफिसर्स ने नियम बना लिया है कि अगर करप्शन के सिलसिले में किसी आदमी को बरख्वास्त किया जाय तो किसी भी ऊंचे से ऊंचे लेविल से भी अगर सिफारिश होगी तो उसको नहीं माना जायगा। हमारी जो अन्डरस्टैंडिंग है अपने डिपार्टमेंट से उसमें किसी भी आदमी के बारे में इस्तस्ना नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है क्योंकि अक्सर लोग आ जाते हैं कि इस बात का ख्याल करके तब कोई सिफारिश करें। अपनी तरफ से मुझे संतोष है कि जहां तक इस डिपार्टमेंट में करप्शन का मौका है और उसके मुकाबले में जो कैफियत है वह इत्मिनान बख्श है और मुझे जो लोग मिलते हैं उसकी थोड़ी तारीफ ही करते हैं। मैं नहीं जानता कि यह कैफियत कब तक कायम रहे, लेकिन इसका क्रैडिट देने के बजाय अगर कोई साहब उसके खिलाफ बात कहते हैं तो थोड़ी दिल-शिकनी होती है––मेरी नहीं, डिपार्टमेंट की होती है और उन लोगों की होती है जो मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मैं आप से अर्ज करूं कि हर तरह की एफिशियेन्सी कायम करने और करप्शन को मिटाने की लगातार कोशिश जारी है और जारी रहेगी।

मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।

श्री कल्पनाथसिंह---

सरकारी मोटरों की खरीद के लिये भी कुछ कहिये।

श्री मुजफ्फर हसन---

जो गाड़ी बेचने वाले कारखाने हैं, उन्हीं से ली जाती हैं वे। अब कोई खास बात हो तो आप लिख कर दें, मैं देख सकता हूं।

श्री बलवानसिंह---

आर० टी० ओ० के मेम्बर्स के चुनाव के बारे में कुछ कह दीजिये।

श्री मुजफ्फर हसन---

उसके बारे में मैं कह चुका हूं। अगर किसी के बारे में आप लिख कर दें और उसे साबित करने के लिये तैयार हों, तो किसी के साथ कोई रिआयत नहीं की जायगी, मैं इतना ही कह सकता हूं।

माननीय शिवनाथसिंह जी ने हमीरपुर के बारे में एक बात कही, उसे सुनकर बड़ी परेशानी हुई। मैं इतना कह सकता हूं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हुई है और उसके अनुसार फेरीज टैक्स देना लाजमी हो गया है।

उन्होंने एक बात और कही, किसी स्टेशन को तोड़ने के बारे में। वे जल्दी जल्दी कह गये, मैं उनकी बात को समझ नहीं सका, अगर वे लिख कर मेरे पास भेज देंगे तो मैं उसे देख लूंगा।

(श्री शिवनाथसिंह जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिख कर भेज दें।

श्री मुजफ्फर हसन---

इन चन्द लफ्जों के साथ, मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह सदन इत्तिफाक राय से जो मांग पेश की गयी है उसको पास करेगा और जो संशोधन रखा गया है उसे माननीय सदस्य वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९---परिवहन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ३९---परिवहन के अन्तर्गत २०,०१,७०,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२---राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते

श्री मुजफ्फर हसन---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ४२---राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत २१,९२,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ४२-राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत २१,९२,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२---सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री मुजफ्फर हसन---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ५२---सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ७,५२,५८,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ५२---सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ७,५२,५८,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २४ मिनट पर अगले दिन साढ़े १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
६ मार्च, १९६३।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर]

सूची

उन्नाव जिले की सहकारी कृषि अग्रगामी योजना में सम्मिलित सहकारी कृषि समितियां	इन सहकारी कृषि समितियों को दिये गये विभागीय अनुदानों एवं कर्जों का ब्योरा			
		वर्ष	अनुदान	कर्ज
			रु०	रु०
(१) नवाबगंज बहुधन्धी सहकारी खेती समिति, लि० नवाबगंज		१९५८–५९	४,२००	..
		१९६१–६२	३००	४,०००
(२) मकूर संयुक्त सहकारी खेती समिति, लि०		१९६१–६२	५०	४,०००
(३) बरुआ संयुक्त सहकारी खेती समिति, लि०		१९६१–६२	५०	४,०००
(४) सुभाष संयुक्त सहकारी खेती समिति, लि० मकूर		१९६१–६२	..	४,०००
(५) इटकुटी संयुक्त सहकारी खेती समिति, लि०		..	..	..
(६) मार्तण्ड संयुक्त कृषि समिति, लि० ..		..	..	..
(७) किसान संयुक्त सहकारी कृषि समिति, लि० ..		..	..	..

नोट––क्रम सं० १ से ४ तक की समितियां कार्य कर रही हैं। शेष ३ समितियां अभी हाल में ही संगठित हुई हैं।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर]

श्रीमान् सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रार्थना है कि आज दिनांक ३–८–६२ के सहकारी समिति ग्राम वैद्य की बैठक हुई, जिसपर रुपया बांटने पर विचार किया गया।

२––प्रस्ताव पलुक जी का यह है कि खाद का जो ५ रुपया फी सैकड़ा कटा है वह हम लोग कम करेंगे क्योंकि बाढ़ से हम लोग तबाह हैं। इससे हम लोग खाद की कमी करेंगे। इस लिये श्रीमन् से प्रार्थना है कि खाद का कटौती रुपया हमारी समिति को वापस किया जावे। क्योंकि खाद वाली जमीन नहीं है।

समर्थक रामधनी।

यह प्रस्ताव सम्मत से पास हुआ।

इसमें श्रीमन् से प्रार्थना है कि हमारी समिति का १९५ रुपया (एक सौ पंचानवे रुपया) कटा है यह दिलाने का कष्ट किया जाय।

प्रार्थी,
(ह०) सीताराम सरपंच,
पो० सराई, जिला देवरिया,
ब्लाक–रुद्रपुर, देवरिया
सहकारी समिति।

सत्यमेव जयते

संयुक्त रजिस्ट्रार महोदय,

कोआपरेटिव विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मान्यवर महोदय,

सेवा में निवेदन है कि साधन सहकारी समिति किशनपुर से विजेपुर, ब्लाक मौरंजिया, जिला देवरिया ने अपने प्रस्ताव दिनांक १८-७-६२ में खाद लेने के लिये प्रस्ताव नहीं दिया था। मगर बाद में सुपर० तथा इंसपेक्टर महोदय ने खाद का प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर में लिख दिये और बैंक से रुपया लेते समय प्रस्ताव लिपि पत्र पेश कर ५ प्रतिशत कर्ज लिये गये रुपये में से मु० ३१७ रुपये मात्र काट लिये और पूछने पर सरकार का आदेश बताते हुये हम लोगों को डांट दिये।

हम लोग यह जानना चाहते हैं कि सरकार का कोई आदेश सं० तथा दिनांक क्या है सरकार का आदेश हम मान भी लें तो कैसे मान लें, जबकि अलग-अलग ग्रामों में २ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक काटा जाता है। सम्बन्धित अधिकारियों का यह मनमाना कार्य जनतन्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। केन यूनियन से जब वही खाद सुविधापूर्वक हम किसानों को मिल जाता है तो नकद रुपया में से जबरदस्ती खाद का रुपया अपने मन माना क्यों काट लिया जाता है?

अतएव ऐसी दशा में श्रीमान से निवेदन है कि उक्त कर्मचारियों के ऐसे मनमाने हरकत को रोकने के लिये उचित कदम उठाया जाय। नहीं तो सम्बन्धित कर्मचारियों को यह मनमाना हरकत सरकार तथा किसानों के बीच गहरी खायी पैदा करने वाली है। साथ ही साथ आप से यह निवेदन है कि खाद का कटा हुआ रुपया किसानों जो दिलाने की आज्ञा प्रदान करें।

भवदीय,

(ह०) विशन पाठक,

डेलीगेट, सहकारी समिति, किसुनपुर,

बिजनौर।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर]

सेवा में,

माननीय मुख्य मन्त्री जी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदरणीय,

मैं आपकी सेवा में अभी हाल ही में हुये छोटे कर्मचारियों की छटनी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जब देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा है, देश की रक्षा एवं आक्रांता से अपनी पवित्र भूमि की वापसी की तैयारियां हो रही हैं उत्तर प्रदेश में राज्य के छोटे कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। ज्ञात हो कि यह वे छोटे कर्मचारी हैं जो वर्षों से राज्य सरकार की नौकरी में हैं और जिन्होंने इस संकट के समय दुश्मन से लोहा लेने के लिये विशेष त्याग और उत्साह का परिचय दिया है। सभी जानते हैं कि राज्य के चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को जीवन यापन योग्य वेतन नहीं मिल पा रहा है। वर्षों से वे पर्याप्त वेतन तथा भत्तों की मांग कर रहे थे परन्तु ज्यों ही चीन ने देश पर आक्रमण किया इन कर्मचारियों ने अपनी आजादी की रक्षा के लिये अधिकाधिक धन ही नहीं दिया वरन् उस समय तक के लिये जब तक कि मातृभूमि का चप्पा-चप्पा फिर अपना न हो जाये अपनी समस्त मांगों को स्थगित कर दिया, अधिक समय तक काम करने की घोषणा की, सरकार से मांग की वह ऐसे काम चलाये जहां युद्ध के लिये आवश्यक सामग्री का निर्माण हो और जिनमें अपने खाली समय में बगैर कुछ लिये काम करने का आश्वासन दिया। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि उन्हीं कर्मचारियों की छटनी प्रारम्भ हो गई है। जहां तक पता चल सका है गत १५ दिनों में केवल लखनऊ में ही इस प्रकार की छटनी अब तक परिवहन विभाग के ६० व उद्योग सिंचाई के २५ तथा अन्य अनेक विभागों में तमाम तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जीविका विहीन किये जा चुके हैं और यह क्रम अन्यत्र और अन्य विभागों में भी तत्काल शुरू होने वाला है।

राज्य कर्मचारियों पर इसका अत्यन्त विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और सभी अस्थायी कर्मचारी बेचैन हो गये हैं। राज्य के प्रशासकीय विभागीय अधिकारियों का इन कर्मचारियों को बगैर ज्येष्ठता आदि का विचार किये तथा बगैर किसी अन्य स्थान पर नियुक्त किये आज के इस महंगाई तथा संकट के समय भुखमरी के मुंह में ढकेलना अत्यन्त ही खेदजनक एवं अविवेकपूर्ण है। इनमें से अधिकांश ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार ५, ७ वर्ष से अधिक से नौकरी में हैं और जब इन कर्मचारियों को एकाएक नौकरी समाप्ति की नोटिस मिली तो वे अपने तथा अपने परिवार पर आये इस आघात से क्षुब्ध हो उठे और कई तो रो भी पड़े। उनके अन्य साथियों पर भी इसकी प्रतिक्रिया बड़ी ही दुखमय हुई और आशंका है कि इनमें चीन के आक्रमण से उत्पन्न जो एकता सौहार्द्र तथा त्याग की भावना का जन्म हुआ था उसको कहीं धक्का न लगे। काम में लगे कर्मचारी और उनके संगठनों के सम्मुख यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि वे किस प्रकार उन निकाले गये कर्मचारियों की सहायता कर सकते हैं। अतः आर्थिक सहायता आदि के रूप में वह शक्ति जो राष्ट्र की सुरक्षा में लग सकती थी अब इन भुखमरी के शिकार कर्मचारियों की ओर लगेगी।

सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य के कर्मचारी द्वितीय रक्षा पंक्ति होते हैं और इस समय उनमें किसी प्रकार का असन्तोष शिथिलता आदि का पैदा होना बड़ा गम्भीर प्रश्न बन जाता है। सरकार को चाहिये कि वह इन कर्मचारियों को दी गई नोटिसें तत्काल वापस लें, उन्हें उनके पदों पर लगा रहने दें।

सरकार को यह भी घोषणा करनी चाहिये कि अब होने वाली सभी जगहों पर पहले इन्हीं कर्मचारियों को लिया जायेगा और इन कर्मचारियों की नौकरी का क्रम नहीं टूटेगा और उनकी पुरानी नौकरी भी नई नौकरी के साथ जोड़ी जायगी।

हम मुख्य मन्त्री जी से सानुरोध प्रार्थना करते हैं कि स्वयं इस ओर ध्यान देने की महती कृपा करें।

(ह०) बागेश्वर प्रसाद यादव,
महामन्त्री,
उत्तर प्रदेश राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,
महासंघ, लखनऊ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

वित्तीय वर्ष १९५९-६० में फैजाबाद ट्रेनिंग सेंटर पर प्रशिक्षित सहकारी निरीक्षकों की नियुक्तियां विभिन्न जिलों में निम्न संख्या में की गईं

जिला	नियुक्ति की संख्या
बस्ती	४
बांदा	२
फतेहपुर	३
फैजाबाद	२
शाहजहांपुर	२
आजमगढ़	३
देवरिया	६
एटा	१
झांसी	४
मिर्जापुर	२
बलिया	१
मैनपुरी	२
गोरखपुर	२
गाजीपुर	२
इलाहाबाद	५
अल्मोड़ा	१
पौड़ी-गढ़वाल	२
राय-बरेली	२
हरदोई	२
हमीरपुर	३
कानपुर	१
मुरादाबाद	२
गोंडा	३
इटावा	१
फर्रुखाबाद	२
रामपुर	२
बदायूं	२
बिजनौर	२

जिला	नियुक्ति की संख्या
टेहरी गढ़वाल	२
वाराणसी	१
उन्नाव	१
बाराबंकी	२
बरेली	२
सीतापुर	२
सुलतानपुर	२
आगरा	१
लखनऊ	३
अलीगढ़	२
बहराइच	१
जालौन	१
योग ..	८६

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

सरकुलर नम्बर सी १७६, दिनांक २५-४-१९६० के अनुसार निम्नलिखित जिलों में उनके सम्मुख अंकित संख्या में निरीक्षकों में से सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पद पर नियुक्त किये गये

जिला	सहकारी विकास अधिकारियों की संख्या
शाहजहांपुर	१
मुजफ्फरनगर	१
बदायूं	१
हरदोई	१
इलाहाबाद	१
मेरठ	१
बुलन्दशहर	१
एटा	१
बरेली	१
मुरादाबाद	१
इटावा	१
फतेहपुर	१
हमीरपुर	१
वाराणसी	१
मिर्जापुर	१
गाजीपुर	१
बस्ती	१
आजमगढ़	१
देवरिया	१
पौड़ी गढ़वाल	१
उन्नाव	१
रायबरेली	१
फैजाबाद	१
गोंडा	१
सुल्तानपुर	१
गोरखपुर	१
योग ..	२६

नोट—उनका वेतन-क्रम १२०-६-१४४-ई० बी०—६-१७४-ई० बी०—६-२०४-ई० बी०-६ २१०-१०-२५० रु० निर्धारित किया गया।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३३८ एल० ए०—१९६३ (प्रो०) ८५० ।